रजिस्ट्री सं० डी(डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY, GOVT. OF INDIA — 14 OCT 1976

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1976/भाद्र 27, 1898

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1976

का॰ आ॰ 3309.—एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवेज कम्पनी लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1210/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/19/76-एम॰ 2]

एम॰ सी॰ वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Departmentof Company Affairs)

New Delhi, the 6th September, 1976

S.O. 3309.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. The Central Provinces Railways Company Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 1210/75).

[F. No. 2/19/76/M.II.]

M. C. VARMA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1976

का॰ आ॰ 3310—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 208 (अ॰ मा॰) तारीख 16 मई, 1975 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1 सितम्बर, 1976 को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होगा।

[सं॰ I-11012/1/75-एस॰ एण्ड पी॰ (डी-1)]

सुरेश चन्द्र वैश्य, निदेशक

74 GI/76—1

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th August, 1976

S.O. 3310.—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S. O. 208(E), dated the 16th May, 1975, the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 1976, as the date on which the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), shall come into force in the State of Sikkim.

[No. I-11012/1/75-S&P(DI)]

S. C. VAISH, Director

New Delhi, the 31st August, 1976

S.O. 3311.—In pursuance of clause (2) of paragraph 2 of the Foreigners Order, 1948, the Central Government hereby appoints the supervisory officers of the Intelligence Bureau of the rank of Assistant Central Intelligence Officers I, Deputy Central Intelligence Officers, Assistant Directors and Deputy Directors having jurisdiction and control over the Intelligence Bureau checkposts on the Indo-Tibet, Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders in the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Sikkim, Assam and the Union Territory of Arunachal Pradesh, and the Deputy Director Checkposts, Intelligence Bureau Headquarters, to be the Civil authority for the purpose of said Order for the areas within their respective jurisdiction.

[No. 11012/6/75-F.I.(i)]

S.O. 3312.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 3 of the Registration of Foreigners Rules, 1939, the Central Government hereby appoints the supervisory officers of the Intelligence Bureau of the rank of Assistant Central Intelligence Officers I, Deputy Central Intelligence Officers, Assistant Directors and Deputy Directors having jurisdiction and control over the Intelligence Bureau checkposts on the Indo-Tibet, Indo-Nepal, and Indo-Bhutan borders in the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Sikkim, Assam and the Union Territory of Arunachal Pradesh, and the Deputy Director Checkposts, Intelligence Bureau Headquarters, to be the Registration Officers for the purposes of the said rules for the areas within their respective jurisdictions.

[No. 11012/6/75-F.I.(ii)]

S.O. 3313.—In pursuance of clause (2) of paragraph 2 of the Foreigners Order, 1948, the Central Government hereby appoints Officers-in-charge of and above the rank of a Head Constable of the Intelligence Bureau Checkposts on the Indo-Tibet, Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders in the State of Sikkim, to be the Civil authority, for the purposes of the said Order for the areas within their respective jurisdictions.

[No. 11012/6/75-F.I.(iii)]

S.O. 3314.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 3 of the Registration of Foreigners Rules, 1939, the Central Government hereby appoints Officers-in-charge of and above the rank of a Head Constable of the Intelligence Bureau Checkposts on the Indo-Tibet, Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders in the State of Sikkim, to be the Registration Officers for the purposes of the said rules for the areas within their respective jurisdictions.

[No. 11012/6/75-F.I.(iv)]

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1976

(आय कर)

का० आ० 3315.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्धारण वर्षों से 1964-65 में के लिए और से "इंस्टीट्यूशन धर्मशाला" दक्षिण कनारा जिला कर्नाटक राज्य को, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 1386/फा० सं० 197/28/76-II (ए आई)]

के० आर० राघवन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

New Delhi, the 6th July, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 3315.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies "INSTITUTION DHARMASTHALA", South Kanara District, Karnataka State for the purpose of said section for and from assessment year(s) 1964-65.

[No. 1386 F. No. 197/28/76-IT(AI)]

K. R. RAGHAVAN, Director

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1976

(बैंकिंग पक्ष)

का० आ० 3316.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंडों (i) और (ii) तथा धारा 10ख की उपधाराएं (2) और (4) के उपबंध, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, 'इण्डियन बैंक, मद्रास' पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध उस बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी, 'आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' का एक निदेशक बनने का प्रतिषेध करते हैं; और

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उपरिलिखित बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध उक्त बैंक को, कम्पनी अधिनियम, 1956, (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी, 'आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' की शेयरधारिता का प्रतिषेध करते हैं ।

[सं० 15(21) बी० ओ० III/76]

New Delhi, the 26th August, 1976

(Banking Wing)

S.O. 3316.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares:—

(a) that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 and sub-sections (2) and (4) of section 10B of the said Act shall not apply to Indian Bank, Madras, for a period of one year from the date of notification, in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Chief Executive Officer from being a director of the Andhra Pradesh Industrial and Technical Consultancy Organisation being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) that the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of this notification to the above-mentioned bank in so far as the said provisions prohibit the said bank from holding shares in the Andhra Pradesh Industrial and Technical Consultancy Organisation being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(21)-B.O.III/76]

का० आ० 3317—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि —

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंडो (i) और (ii) तथा धारा 10ख की उपधाराएं (2) और (4) के उपबंध, इस अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, 'दि आंध्र बैंक लि०, हैदराबाद' पर उस सीमा तक लागू नही होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध उस बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनियां, 'आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' तथा 'उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टैक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' का एक निदेशक बनने का प्रतिषेध करते है; और

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उपरिलिखित बैंक पर उस सीमा तक लागू नही होंगे जहा तक कि उक्त उपबंध उक्त बैंक को, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनियां 'आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टैक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' तथा उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टक्नीकल कंसल्टैंसी आरगानाइजेशन' की शेयरधारिता का प्रतिषेध करते हैं।

[स० 15(21) बी० ओ III/76]

S.O. 3317.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares:—

(a) that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 and sub-sections (2) and (4) of section 10B of the said Act shall not apply to the Andhra Bank Ltd., Hyderabad, for a period of one year from the date of notification, in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Chief Executive Officer from being a director of the Andhra Pradesh Industrial and Technical Consultancy Organisation and Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) that the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of this notification to the above mentioned bank in so far as the said provisions prohibit the said bank from holding shares in the Andhra Pradesh Industrial and Technical Consultancy Organisation and Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

[No. 15(21)-B.O.III/76]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

का० आ० 3318.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) और (2) के उपबंध 31 जुलाई, 1977 तक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उसके अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री एम० सेन शर्मा के भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड का निदेशक होने का इसलिए प्रतिषेध करते है कि यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कम्पनी है, और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध 31 जुलाई 1977 तक उक्त बैंक पर उस सीमा तक लागू नही होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध उक्त बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड की शेयरधारिता का प्रतिषेध करते है।

[स० 15(27)-बी०ओ०II/76

म० भा० उसगांवकर, अवर सचिव।

New Delhi, the 3rd September, 1976

S.O. 3318.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares:—

(a) that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta, till the 31st July, 1977 in so far as the said provisions prohibit Shri M. Sen Sarma, its Chairman and Managing Director, from being a director of the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) that the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply till the 31st July, 1977 to the above mentioned bank in so far as the said provisions prohibit the said bank from holding shares in the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.

[No. 15(27)-B.O.III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

का० आ० 1319.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री टी० आर० तुली को 1 सितम्बर, 1976 से प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1977 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप मे पुन. नियुक्त करती है।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I(1)]

New Delhi, the 1st September, 1976

S.O. 3319.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri T. R. Tuli as the Managing Director of Punjab National Bank for a further period commencing on 1st September, 1976 and ending with 31st July, 1977.

[No. F.9/3/76-BO.I(1)]

का० आ० 3320.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्

एतद्द्वारा श्री टी० आर० तुली को, जिन्हें 1 सितम्बर, 1976 से पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I (2)]

S.O. 3320.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri T. R. Tuli, who has been re-appointed as Managing Director of Punjab National Bank with effect from 1st September, 1976 to be the Chairman of the Board of Directors of Punjab National Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/3/76-BO.I(2)]

का० आ० 3321.—राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री एम० सेन शर्मा को 1 सितम्बर, 1976 से प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1977 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I (3)]

S.O. 3321.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri M. Sen Sarma as the Managing Director of United Bank of India for a further period commencing on 1st September, 1976 and ending with 31st July, 1977.

[No. F. 9/3/76-BO.I(3)]

का० आ० 3322.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा श्री एम० सेन शर्मा को, जिन्हें 1 सितम्बर, 1976 से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I (4)]

S.O. 3322.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri M. Sen Sarma who has been re-appointed as Managing Director of United Bank of India with effect from 1st September, 1976 to be the Chairman of the Board of Directors of United Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/3/76-BO.I(4)]

का० आ० 3323.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री आर० ए० गुलमोहम्मद को 1 सितम्बर, 1976 से प्रारम्भ होने वाली और 31 जनवरी, 1977 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए, देना बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I (5)]

S.O. 3323.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby re-apoints Shri R. A. Gulmohamed as the Managing Director of Dena Bank for a further period commencing on 1st September, 1976 and ending with 31st January, 1977.

[No. F. 9/3/76-BO.I(5)]

का० आ० 3324.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा श्री आर० ए० गुलमोहम्मद को, जिन्हें 1 सितम्बर, 1976 से देना बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से देना बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० 9/3/76-बी० ओ० I (6)]

एम० जी० बालसुब्रमण्यन, अपर-सचिव

S.O. 3324.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri R. A. Gulmohamed who has been re-appointed as Managing Director of Dena Bank with effect from 1st September, 1976 to be the Chairman of the Board of Directors of Dena Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/3/76-BO. I(6)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Additional Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1976

का० आ० 3325.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
1. कल्याण अधिकारी, महा लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व का कार्यालय, नई दिल्ली	महा लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन और महा लेखापाल केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के स्थानों की सीमा के भीतर के सरकारी स्थान ।

1	2
2. ज्येष्ठ उप महा लेखापाल "संकर्म", महा लेखापाल, मध्य प्रदेश का कार्यालय, भोपाल शाखा, भोपाल	महा लेखापाल, मध्य प्रदेश, भोपाल के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन और उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित सरकारी स्थान ।

[सं० ए० 11013/1/76-ई जी आई]
एस० के० दास, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 7th September, 1976

S.O. 3325.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

Designations of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Welfare Officer, Office of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi.	Public premises under the administrative control of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi and within the boundary of the premises of Accountant General Central Revenues New Delhi.
2. Senior Deputy Accountant General "Works", Office of the Accountant General, Madhya Pradesh, Bhopal Branch, Bhopal.	Public premises under the administrative control of the Accountant General Madhya Pradesh, Bhopal, and which are situated within the local limits of his jurisdiction.

[No. A-11013/1/76-EG.I]
S. K. DAS, Under Secy

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1976

का० आ० 3326.—सर्वश्री महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स प्राइवेट लि०, बम्बई को अमरीकी सहायता ऋण सं० 386-एच०-206, के अधीन 15,46,500 रुपए (पन्द्रह लाख छियालीस हजार पाँच सौ रुपए मात्र) के लिए आयात लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/2062532/एस/ए० एन०/39/एच/33-34/सी० जी० 4, दिनांक 17-5-71 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । 28,097.21 रुपए मात्र के लिए लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि की आवश्यकता बैंक द्वारा उस पर पृष्ठांकन करने के लिए है ।

2. इस तर्क के समर्थन मे, आवेदक ने नौटरी, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के समक्ष शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स प्राइवेट लि०, बम्बई के नाम में जारी किए गए लाइसेंस सं० पी०/सी० जी/2062532, दिनांक 17-5-71 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

3 आवेदक को उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अब अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० सी० जी० 4/83(22)/70-71]
चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1976

S.O. 3326.—M/s. The Mahalakshmi Glass Works Private Ltd., Bombay were granted import licence No. P/CG/2062532/S/AN/39/H/33-34/CG.IV dated 17-5-71 under US Aid Loan No. 386-H-206 for Rs. 15,46,500/- (Rupees fifteen lakhs, fortysix thousand & five hundred only). They have applied for issue of a Duplicate of the Exchange Control Purposes Copy of the said import licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been lost/misplaced. Duplicate of the Exchange Control Copy of the licence is required for Rs. 28,097.21 only for the purpose of endorsement on the same by the Bankers.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit sworn before a Notary, Maharashtra State, Bombay. I am accordingly satisfied that the Original Exchange Control Copy of the said licence has been lost/misplaced. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Exchange Control Purposes Copy of licence No. P/CG/2062532 dated 17-5-71 issued to M/s. Mahalakshmi Glass Workers Private Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CG.IV/32(22)/70-71]
CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बम्बई, 31 अगस्त, 1976

का० आ० 8327.—सर्वश्री दि० स्टैन्डर्ड मिल्ज कं० लि०, न्यू प्रभादेवी रोड बम्बई-25 को पंजीकृत निर्यातक योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार रंगों और रसायनों का आयात करने के लिए 73831 रुपए (तिहत्तर हजार आठ सौ इकत्तीस रुपए मात्र) के लिए ला० सं० 1383181 दि० 5-2-1974 प्रदान किया गया था ।

उन्होंने उपर्युक्त ला० की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है ।

आगे यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं कराया गया है और उपयोग में नहीं लाया गया है ।

अपने दावे के समर्थन मे आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि ला० सं० 1383181 दि० 5-2-74 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति खो गई/स्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि ला० की अनुलिपि आवेदक फर्म को जारी की जानी चाहिए ।

मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी है ।

[मिसिल सं० 1032-45992-31-12-73 ए एम० 74 जे एस-73-एस आर ई पी आई-8] एन० के० जगताप, उप मुख्य नियंत्रक कृते मुख्य नियंत्रक

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bombay, the 31st August, 1976

S.O. 3327.—M/s. The Standard Mills Co. Ltd., New Prabhadevi Road, Bombay-25 has been granted Licence No. 1383181 dated 5-2-1974 for Rs. 73831 (Rupees Seventy three thousand eight hundred and thirtyone only) for import of Dyes and Chemicals as per list attached under the Registered Exporter's Scheme.

They have applied for duplicate copy of Custom purpose copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced.

It is further stated that the said original licence is not registered with any Customs authority and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am saisfied that the original copy of Custom purpose copy of Licence No. 1383181 dated 5-2-74 have been lost/misplaced and direct that the duplicate of the licence should be issued the applicant firm.

The original Custom purpose copy is cancelled.

[File No. 1032. 45992. 31-12-73.AM.74.IS.73.L.REPI.B.]

N. K. JAGATAP, Dy. Chief Controller.
For Chief Controller.

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

का० आ० 3328—सर्वश्री हिन्दुस्तान कन्डक्टर्स प्राइवेट लि०, 24 ब्रेलवी सैयद अब्दुल्ला रोड फोर्ट, बम्बई-1 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत 2,98,500 रुपया मात्र के लिए इलैक्ट्रोनिक संघटकों (ट्रांसजिस्टर तथा डायोडस) के विनिर्माण के लिए कच्चा माल आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1390885/सी/एक्स/53/एच/37-38/रेडियो, दिनांक 23-10-1974 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस पर बिना उपयोग किया हुआ शेष धन 1,58,235 17 रुपए मात्र है । लाइसेंस बम्बई सीमा-शुल्क पत्तन पर पंजीकृत कराया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1390885, दिनांक 23-10-74 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है तथा निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए । मूल सीम शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है ।

4. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि अब अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० रेडियो/8(3)/74-75/आर० एम०II]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1976

S.O. 3328.—M/s. Hindustan Conductors Private Ltd., 24, Brelvi Syed Abdula Road, Fort, Bombay-1 were granted Import Licence No. P/D/1390885/C/XX/53/H/37-38/Radio dated 23-10-1974 under G.C.A. for Rs. 2,98,500/- only for import of Raw material for the manufacture of Electronic Components (Transistors & Diodes).

2. The firm have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an un-utilised balance of Rs. 1,58,235.17 only. The licence was registered with Bombay Customs.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/D/1390885 dated 23-10-74 has been lost and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence is being issued separately.

[No. Radio/8(3)/74-75/RM.II]

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1976

का० आ० 3329:—सर्वश्री अपर प्रा० लि०, बम्बई (भूतपूर्व फर्म सर्वश्री पावर केबल्स प्रा० लि०) को रुपए में अदायगी क्षेत्र के अन्तर्गत कच्चे माल और संघटकों का आयात करने के लिए 3,31,000/- रुपए के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/डी० 2198284/टी/ओ०, आर/51/एच०/37-38 लैम्प दिनांक 20-5-74 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति उनसे खो गई/अस्थानास्थ हो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह भी सूचित किया है कि लाइसेंस पर शेष अप्रयुक्त 121,693-61 रुपये बाकी था । लाइसेंस बम्बई सीमा शुल्क में पंजीकृत था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक एक शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या पी०/डी/2198284 दिनांक 20-5-74 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या लैम्प/20(1)/73-74/आर० एम०-2]

राजिन्द्र सिंह, उप मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 1976

S.O. 3329.—M/s. APAR Pvt. Ltd. Bombay formerly M/s. Power cables P. Ltd.) were granted Import Licence No. P/D/2198284/T/OR/51/H/37-38/Lamp dated 20-5-74

under RPA for Rs. 3,31,100 only for import of Raw Materials and Components.

2. The firm have requested for the issue of duplicate Customs Purposes and Exchange Control Purpose copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes and Exchange Control Copies have been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an un-utilized balance of Rs. 1,21,693.61. The licence was registered with Bombay Customs.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes and Exchange Control Copies of Import Licence No. P/D/2198284 dt. 20-5-74 have been lost and directs that a Duplicate Customs Purposes and Exchange Control Copies of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes and Exchange Control Copies are cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes and Exchange Control Copies of the licence are being issued separately.

[No. Lamp/20(1)/73-74/RM. II]

RAJINDER SINGH, Dy. Chief Controller for Chief Controller.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

मद्रास 26 जून, 1976

आदेश

का० आ० 3330:—सर्वश्री अमुथा मेटल इंडस्ट्रीज संख्या 130, वन्दीयूर, मदुरई के नाम में निम्नलिखित आदेश जारी किया गया था:—

9900 रुपए के लिए पी०/एस०/आर०/एम०/931680/37-38 दिनांक 10-3-74.

हमें यह पता चला है कि सर्वश्री अमुथा मेटल इंडस्ट्रीज द्वारा सारी मशीनें हटा ली गई हैं और वहां पर उनका कोई उद्योग नहीं है।

समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत सर्वश्री अमुथा मेटल इंडस्ट्रीज मदुरई-2 को एक कारण बताओ सूचना दिनांक 29-5-76 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि निर्धारित समय के भीतर कारण बताएं कि उपर्युक्त रिहाई आदेश क्यों इस कारण से रद्द कर दिया जाना चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए उन को माल आवंटित किया गया था उसे क्यों नहीं प्रयोग में लाया जा सका। मामले का प्रतिवेदन करने के लिए उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी एक मौका दिया गया था।

उपर्युक्त कारण बताओ सूचना बिना विलम्बित हुए डाक सेवा से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गई कि लिखे गए पते पर कोई भी उद्योग नहीं है। पहले की कंडिकाओं में जो कुछ कहा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि संबंधित रिहाई आदेश को रद्द कर देना चाहिए या अन्यथा उसको प्रभावहीन कर देना चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उप-धारा (सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त फर्म के नाम में जारी किए गए उपर्युक्त सूची बद्ध रिहाई आदेश को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या जे० सी०/आई० एंड एस०/118/इन्फ०/75]

के० जयरामन, उप मुख्य नियंत्रक

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

Madras, the 26th June, 1976

ORDER

S.O. 3330.—The following Release Order was issued in favour of M/s. Amutha Metal Industries, No. 130, Vandiyur, Madurai-2 :—

P/S/R/M/931680/37-38 dated 10-3-1974 for Rs. 9900.

It has come to our notice that M/s. Amutha Metal Industries have removed all the machinery and that their industry is not in existence.

A show cause notice dt./ 29-5-76 under Clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955, as amended from time to time was issued to M/s. Amutha Metal Industries, Madurai-2 asking them to show cause within a specified time as to why the said Release Order should not be cancelled for the reason that the goods when allotted cannot be utilised by them for the purpose for which the same have been allotted. An opportunity for personal hearing was also allowed to represent their case.

The said show cause notice has been returned undelivered with a postal remark that there is no such industry in the given address.

Having regard to what has been stated in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that the Release Orders in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in under Sub-Clause (cc) of Clause 9 of the Import (Control) Order 1955, as amended from time to time, hereby cancel the Release Order listed above and issued in favour of the above said firm.

[File No. JC/I&S/118/Enf/75]

K. JAYARAMAN, Dy. Chief Controller.

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियन्त्रण)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1976

का० आ० 3331—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण, अधिनियम 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 5253 दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के अधीन गठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के सदस्य के रूप में, श्री जे० सी० राजाध्यक्ष, उप सचिव, उद्योग विकास मंत्रालय, के स्थान पर श्री एन० के० बेरवा, उप सचिव, उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) नई दिल्ली, को एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं 5/14/75-ई पी (कृषि-II)]

आर० आर० सिंह, अवर सचिव

(Marine Products Industry Development Control)

New Delhi, the 4th September, 1976

S.O. 3331.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act. 1972 (13 of 1972) read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Govt. hereby appoints Shri N. K. Berwa, Deputy Secretary, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development), New Delhi as a member of the Marine Products Export Development Authority, Cochin, constituted under the notification of the Govt. of India Ministry of Commerce, S.O. No. 5253 dated the 13th December, 1975, vice Shri J. C. Rajadhyaksha, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development.

[No. 5/14/75-EP(Agri.II)]

R. R. SINGH, Under Secy.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1976

का० आ० 3332:—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन चेम्बर आफ कामर्स हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त, 1976 से 9 अगस्त, 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त चैम्बर ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाए।

[संख्या 12(17)-आई० टी०/76]

बृज नन्दन लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

New Delhi, the 7th September, 1976

SO. 3332.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of one year from the 10th August, 1976 upto the 9th August, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(17)-IT/76]

B. N. LALL, Under Secy

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 3333:—यतः भारत के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 31 जनवरी, 1963 की अधिसूचना सं० 16-7/62-एम० पी० टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी आफ बेसेल द्वारा प्रदत्त "डाक्टर आफ मेडिसिन" चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० (कु०) ई० एम० होक जिनके पास उक्त अर्हता है, शैक्षिक, अनुसन्धान और क्लिनिकी कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल सरकारी मेडिकल कालेज, श्रीनगर और सरकारी मानसिक अस्पताल, श्रीनगर के साथ सम्बद्ध हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(i) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की,

अथवा

(ii) उस अवधि को जब तक डा० (कु०) ई० एम० होक सरकारी मेडिकल कालेज, श्रीनगर और सरकारी मानसिक अस्पताल, श्रीनगर के साथ सम्बद्ध रहती है जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेगी।

[संख्या वी० 11016/14/76-एम० पी० टी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd September, 1976

ORDER

S.O. 3333.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-7/62-MI, No. V. 11016/25/73-MPT dated the 31st January, 1963, the Central Government has directed that the Medical qualification, "Doctor of Medicine" granted by the University of Basel, Switzerland shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) ;

And whereas Dr. (Miss) E.M. Hoch, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Government Medical College, Srinagar and Government Mental Hospital, Srinagar, for the purposes of teaching, research and Clinical work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. (Miss) E.M. Hoch is attached to the said Government Medical College, Srinagar and Government Mental Hospital, Srinagar, whichever is shorter as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/14/76-MPT]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

का० आ० 3334:—इस मंत्रालय की 31 जुलाई, 1976 की अधिसूचना सं० वी० 11015/43/75-एम० पी० टी० का अधिक्रमण करते हुए और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर से संबंधित प्रविष्टियों में,

(1) "ये अर्हताएं यदि 20 अगस्त, 1975 के बाद ही दी गई हों तो ये मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी" शब्दों और अंकों के पूर्व और "डिप्लोमा इन ट्यूबरकुलोसिस डिजीजेज————डी० टी० डी०" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचारोग विज्ञान एवं रतिरोग विज्ञान—एम० डी० (त्वचा एवं रति)"

(2) "ये अर्हताएं यदि 30 अगस्त, 1975 के बाद ही दी गई हों तो ये मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी" शब्दों और अंकों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"डाक्टर आफ मेडिसिन—एम० डी० (संवेदनाहरण विज्ञान) (सवेदना-हरण विज्ञान)

क्षय रोग तथा वक्ष रोग में डिप्लोमा----डी० टी० सी० डी०"

[सं० वी० 11015/43/75-एम० पी० टी०]

एस० श्रीनिवासन, उप सचिव

New Delhi, the 3rd Sept., 1976

S.O. 3334.—In supersession of this Ministry's notification No. 11015/43/75-MPT, dated the 31st July, 1976 and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, in the entries pertaining to the Guru Nanak Dev University, Amritsar,—

(i) before the words and figures "These qualifications shall be recognised medical qualifications only when granted after the 20th August, 1975" and the entry "Diploma in Tuberculosis Diseases.....D.T.D.", the following entry shall be inserted, namely:—

'Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology . . . .M.D. (Derma. & Ven.)"

(ii) after the words and figures "These qualifications shall be recognised medical qualifications only when granted after the 20th August, 1975," the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine..... .....M. D. (Anaesthesiology) (Anaesthesiology)

Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases ....D.T.C.S."

[No. V. 11015/43/75-MPT]

S. SRINIVASAN Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1976

का० आ० 3335 :—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 का उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अहमदाबाद नगर निगम के ज्योतिन्द्र मणिलाल भट्ट को उनके सामने दी गई तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पशु कल्याण मंडल का सदस्य मनोनीत करती है।—

सदस्य	तारीख	श्रेणी
1. श्री ज्योतिन्द्र मणि लाल	2-7-76	धारा 5(1) (ई०)—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास को छोड़कर दूसरे निगम के प्रतिनिधि।

[संख्या 14-27/73-एल० डी० I]

गुरुदयाल मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 7th August, 1976

S.O. 3335.—Under provisions of Sub-Section (1) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the Central Government hereby nominates Shri Jyotindra Manilal Bhatt of the Ahmedabad Municipal Corporation, to be the member of the Animal Welfare Board for a period of one year from the date mentioned against him :—

Member	Date	Category
1. Shri Jyotindra Manilal Bhatt	2-7-76	5(1)(e)—Representative of Municipal Corporation other than Bombay, Calcutta, Delhi and Madras.

[No. 14-27/73-LDI]

GURDIAL MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 31st August, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 3336.—The words "Deputy Registrar" appearing after the words "in charge of a Branch" in column (3) of Part II-General Central Services, Group D-of Schedule to Notification No. G. 11025/23/74-FRY-F dated the 27th May, 1976 may be deleted.

[No. G. 11025/23/74-FRY-F]

S. N. SINHA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

का० आ० 3337 :—भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी श्री अब्दुल बारी को 6 महीने की अवधि अथवा आगामी आदेश होने तक के लिए, इनमें जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर दिल्ली परिवहन निगम का महाप्रबन्धक नियुक्त किया जाता है।

[संख्या टी० जी० डी०(13)/75]

एन० ए० ए० नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 1st September, 1976

S.O. 3337.—Shri Abdul Bari, an officer of the Indian Railway Accounts Services, is appointed as General Manager, Delhi Transport Corporation on an ad hoc basis for a period of six months or till the issue of further orders, whichever is earlier.

[No. TGD(13)/75]

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

का० आ० 3338 :—विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1111, तारीख 28 फरवरी, 1976 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 मार्च, 1976 में पृष्ठ 1296 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 7 अप्रैल, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम डाक

कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 मे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खंड 37 में, उपखंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7) रजिस्ट्रीकृत नियोजक किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को, उस कर्मकार को सामान्यतः और वस्तुतः देय मजदूरी से अधिक नकद या अन्यथा संदाय नही करेगा।"

[सं० एस० डी० वी०/36/75]

वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

S.O. 3338.—Whereas certain draft scheme further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, was published as required by Sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at page 1296 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th March, 1976, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1111, dated the 28th February, 1976, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 7th April, 1976;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Second Amendment, Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Clause 37 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after sub-clause (6), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(7) A registered employer shall not pay a registered dock worker anything in cash or otherwise in excess of the wages normally and actually due to the worker."

[No. LDV/36/75]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

शुद्धिपत्र

का० आ० 3339.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 फरवरी, 1976 के पृष्ठ 792 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 681 तारीख 27 जनवरी, 1976 मे अनुसूची में,—

(i) पंक्ति सं० 5 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति पढ़ें :—

"सभी अधिकार (जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमिया वर्णित है)"

[सं० 19(1)/75-सी० ई० एल०]

सी० डी० त्रिपाठी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 1st September, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 3340.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 681 dated the 27th January, 1976, published at page 793 of the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 14th February, 1976, in column 2,—

(i) for line 7, read

"All rights (showing lands to be acquired)";

(ii) for line 14, read

"2. Bukbuka read 14 ,, ,, ".

[No. 19(1)/75-CL]

C. D. TRIPATHI, Director.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1976

का०आ० 3341.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल राष्ट्रीय महत्व का है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पुरातत्वीय स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

उक्त पुरातत्वीय स्थल में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के दो मास के भीतर, किए गए किसी भी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थिति	स्थल का नाम	सरक्षण के अन्तर्गत आने वाले राजस्व प्लाटो की संख्या	क्षेत्र	सीमा	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	जबलपुर	सिहोरा	फकर-हटा	नीचे पुनरुद्धृत स्थल नक्शो मे यथादर्शित सर्वेक्षण प्लाट सं० 350, 378/1, 402/1 और 402/2 के भाग और सर्वेक्षण प्लाट स० 349, 374/1, 374/2, 374/3, 388, 389 में समाविष्ट प्राचीन टीला ।	नीचे पुनरुद्धृत स्थल नक्शो में यथादर्शित सर्वेक्षण प्लाट सं० 350, 378/1, 402/1 और 402/2 के भाग और सर्वेक्षण प्लाट सं० 349, 374/1, 374/2, 374/3, 388, 389	19.73 एकड़	उत्तर-सर्वेक्षण प्लाट सं० 336, सर्वेक्षण प्लाट सं० 378/1, 402/1 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 392 के शेष भाग पूर्व-सर्वेक्षण प्लाट सं० 391/1, 390/1, 385, 378/2, 381/1, 377, 375, (तालाब) और 373 दक्षिण-सर्वेक्षण प्लाट सं० 372/1, 351/1 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 350 के शेष भाग पश्चिम-सर्वेक्षण प्लाट सं० 348 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 336 का भाग ।	सर्वेक्षण प्लाट स० 350 प्राइवेट स्वामित्व के अधीन है और शेष क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में है ।	टीले पर कोई आधुनिक निर्माण नही है ।

ककराहट के टीले का मान-चित्र

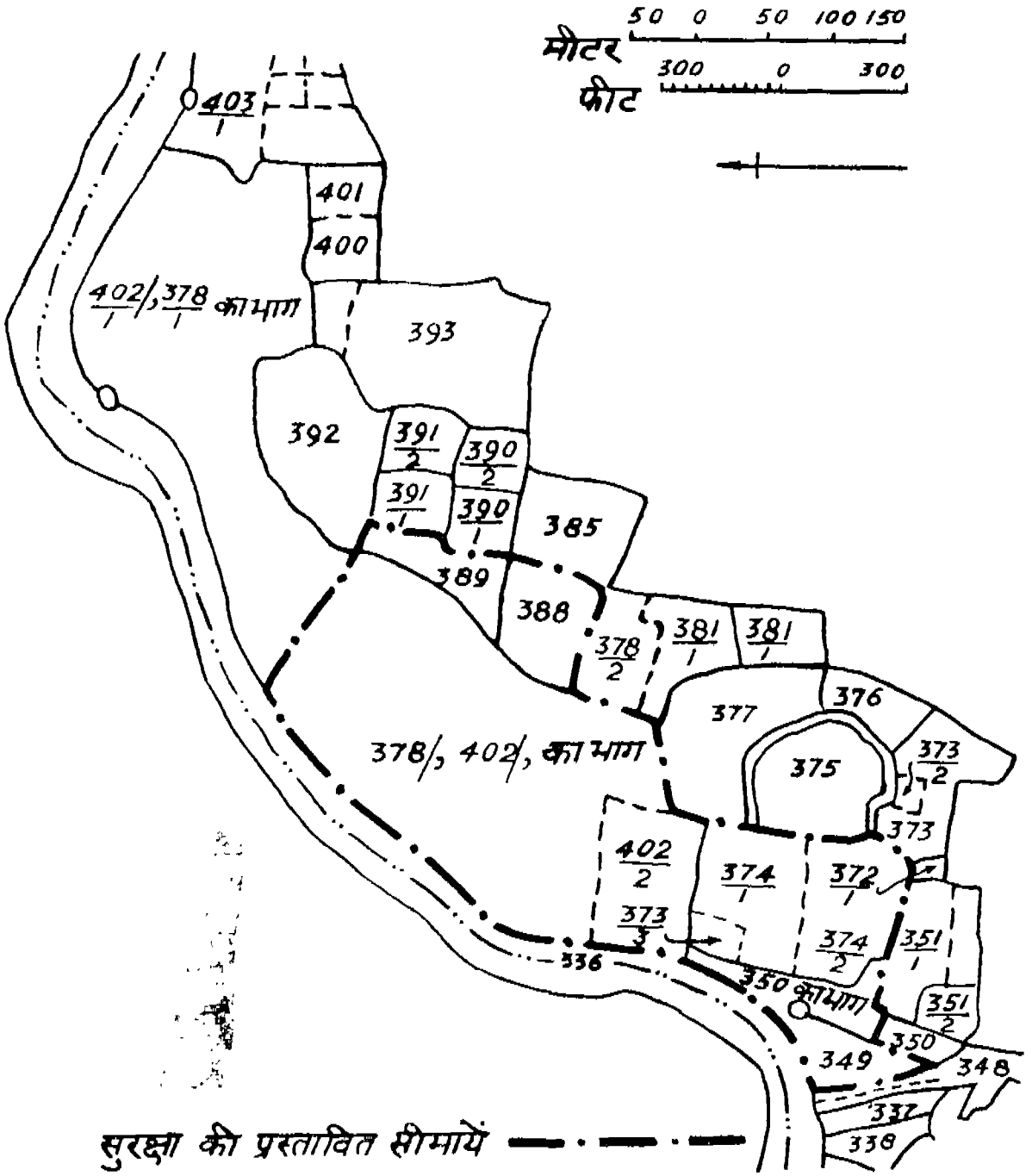

[सं० 2/1/एम पी/6/65-एम]

एम० एन० देशपांडे, महानिदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

New Delhi, the 14th September, 1976

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 3341—Whereas the Central Government is of opinion that the archaeological site specified in the Schedule attached hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said archaeological sit eto be of national importance.

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said archaeological site will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
Madhya Pradesh	Jabalpur	Sehora	Kakrahta	Ancient mound comprised in survey plot numbers 349, 374/1, 374/2, 374/3, 388, 389, parts of survey plot numbers 350, 378/1, 402/1 and 402/2 as shown in the site plan reproduced below.	Surey plot numbers 349, 374/1, 374/2, 374/3, 388, 389 parts of survey plot numbers 350, 378/1, 402/1 and 402/2 as shown in the site plan reproduced below.	19.73 acres	North :—Survey plot number 336, remaining portions of survey plot numbers 378/1, 402/1 and survey plot number 392 East :—Survey plot numbers 391/1, 390/1 385, 378/2, 381/1, 377 375 (Pond) and 373 South :—Survey plot numbers 372/1, 351/1 and remaining portion of survey plot number 350 West :—Survey plot number 348 and part of survey plot number 336.	Survey plot number 350 under private ownership and remaining area is government owned.	No modern structures exists in the mound.

SITE PLAN OF MOUND AT KAKRAHTA

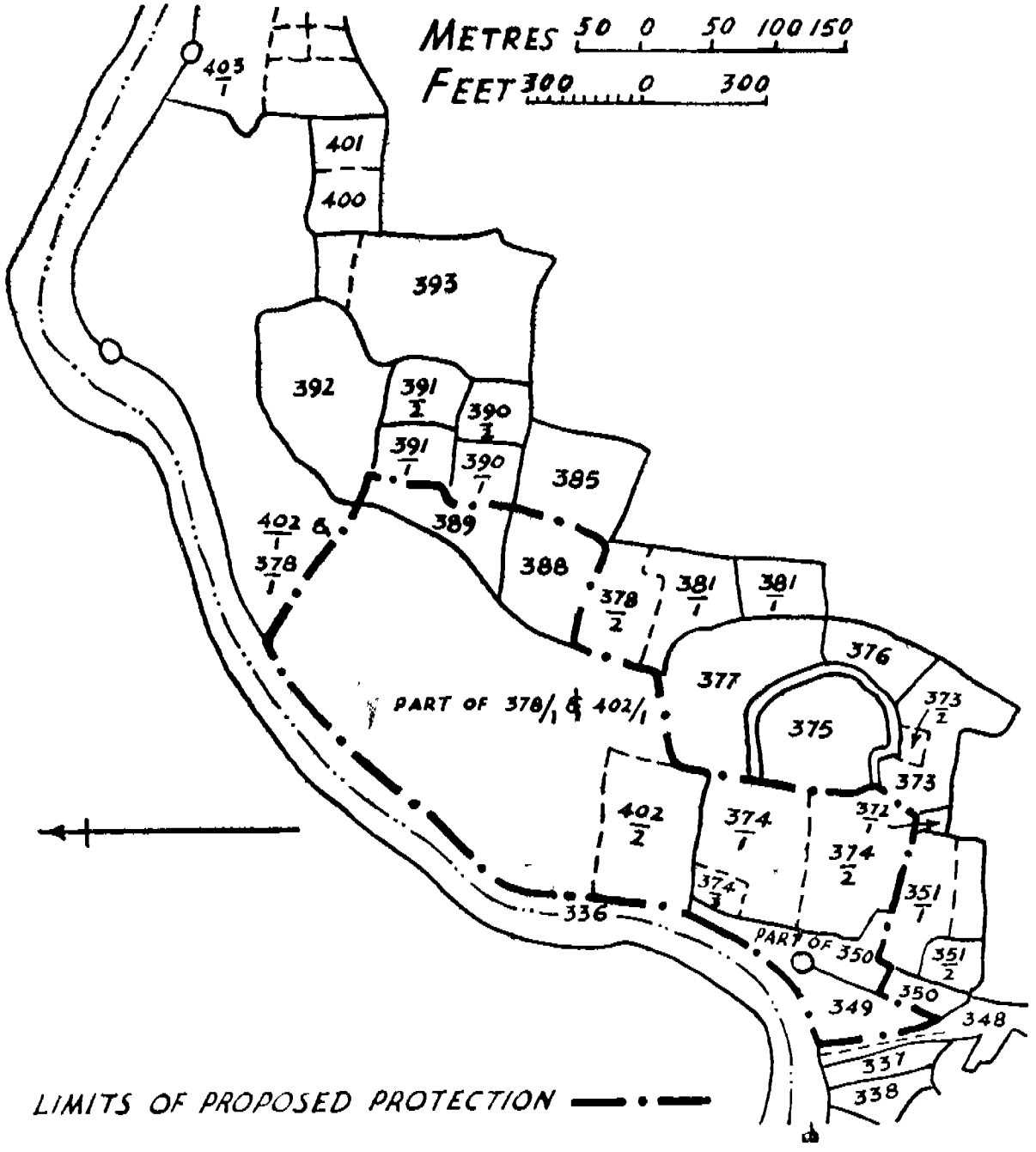

[No. 2/1/MP/6/65-M]

M. N. DESHPANDE, Director-General and
Ex-Officio Jt. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1976

का० आ० 3342—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1625, तारीख 22 अप्रैल, 1969 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
सम्पदा अधिकारी, उत्तर रेलवे नई दिल्ली।	(i) समस्त उत्तर रेलवे की स्थानीय सिमाओं के भीतर स्थित उत्तर रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी स्थान। (ii) दुकान सं० 6, ब्लाक एफ०, कन्नाट सर्कस, नई दिल्ली नामक स्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है।

[फा० सं० 1/2/68-अधिग्रहण]

एम० डब्ल्यू० के० यूसफजई, सम्पदा निदेशक

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 28th August, 1976

S. O. 3342.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning and Works & Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) No. S.O. 1625, dated the 22nd April, 1969, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a Gazetted Officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of officer	Category of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Estate Officer, Northern Railway, New Delhi.	(i) Public premises under the administrative control of the Northern Railway situated within the local limits of the entire Northern Railway. (ii) Premises known as shop No. 6, Block F, Connaught Circus, New Delhi, requisitioned by the Central Government.

[File No. 1/2/68-Reqn.]

M. W. K. YUSUFZAI, Director of Estates

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1976

का० आ० 3343.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नलगोंडा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-10-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-9/76-पी० एच० बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 4th September, 1976

S.O. 3343.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-10-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nalgonda Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-9/76-PHB.]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHB).

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1976

का० आ० 3344—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक वाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायोनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड, हाल बाजार अमृतसर के प्रबन्धतन्त्र की, निम्नलिखित कर्मकारों की मजदूरी से नीचे बताए गए अनुसार कटौतियां करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है?

क्रम संख्या	तारीख	कर्मकार का नाम	मजदूरी कटौती की अवधि	काटी गई राशि
				रु० पै०
1.	8 मई, 1975	श्री एस० पी० खन्ना	1½ घंटे	11.80
2.	9 मई, 1975	श्री यशपाल भाटिया	1½ घंटे	1.91
3.	9 मई, 1975	श्री सुखदेव राज शर्मा	55 मिनट	3.89
4.	6 दिसम्बर, 1975 और 9 दिसम्बर, 1975	श्री एस० के० सागर	2 घंटे 5 मिनट और 3 घंटे 10 मिनट	25.82

[संख्या एल०-12011/15/76-डी० II(ए०)]

आर० कुंजितपादम, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 12th July 1976

S.O. 3344.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, Hall Bazar, Amritsar, in effecting deductions from the wages of the following workmen as shown below is legal and justified ?

Serial Number	Date	Name of the workmen	Period of wage cut	Amount deducted
1.	8th May, 1975	Shri S.P. Khanna	1 1/2 Hours	Rs. 11/80
2.	9th May, 1975	Shri Yash Pal Bhatia.	1 1/2 hours	Rs. 1/91
3.	9th May, 1975	Shri Sukhdev Raj Sharma	55 minutes	Rs. 3/89
4.	6th December, 1975 and 9th December, 1975	Shri S.K. Saggar	2 hurs 5 minutes and 3 hours 10 minutes	Rs. 25/82

[No. L. 12011/15/76/DII(A)

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 3rd September, 1976

S.O. 3345.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank Delhi Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI

C.G.I.D. No. 62 of 1975

BETWEEN

M/s. Punjab National Bank.

AND

Its workmen, as represented by Punjab National Bank Employees' Union.

Shri M. K. Jain—for the management.

Shri O. P. Malhotra, Vive President of the Union—for the workmen.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. 12012/104/75/D II/A dated the 22nd September, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the Punjab National Bank, Delhi Region, is justified in proposing recovery of leave salary for the period from 9th August, 1967 to 16th August 1967 and from 30th October 1967 to 9th November 1967 from Shri O. P. Malhotra of Asaf Ali Road Branch, New Delhi of the said Bank and to postpone his increment? If not, to what relief is the said workmen entitled?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri M. K. Jain on behalf of the management and by Shri O. P. Malhotra on behalf of the workmen/union. Both the above-named representatives verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

16th August, 1976.

D. D. GUPTA, Presiding Officer.

[No. L./12012/104/75/DII(A)]

S.O. 3346.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Baroda Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI

C.G.I. D. No. 14 of 1976

BETWEEN

The management of M/s. Regional Manager, Bank of Baroda, Lucknow.

AND

Its workmen, as represented by U.P. Bank of Baroda Employees Union, Kanpur C/o Bank of Baroda, Brihana Road, Kanpur. Shri Narain Bhandari with Shri R. C. Trivedi for the workman None for the management.

AWARD

The Central Government on consideration of a report submitted by the Conciliation Officer that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/65/74/LRIII dated the 17th January, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the action of the management of the Bank of Baroda in denying officiating parmanent chances of Special Assistant to Shri N. N. Bhandari, Clerk in their Varansasi Branch is justified ? If not, to what relief is he entitled ?

2. The case came up today for hearing before me, Shri R. C. Trivedi on behalf of the workman moved an application that the workman had settled the case with the management and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

16th July, 1976.

D. D. GUPTA, Presiding Officer.

[No. L. 12012/65/74/DIII/DII(A)]

S.O. 3347.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/YC(R) (34)/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman, Shri Kishanlal Tulsiyan, 24-Vivekanian Nagar, Raipur (M.P.).

APPEARANCES :

For Bank.—Shri K. P. Munshi, Advocate.

For workman—Shri H. N. Vyas, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M.P.)

Dated, August 21, 1976

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour has by its Order No. L-12012/27/75/DII/AI. dated 31st May, 1975 made the following reference under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act for adjudication by this Tribunal :

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Raipur in terminating the services of Shri Kishanlal Tulsiyan, Son of Shri Chotelal, Godown 1 Clerk-cum-Assistant Cashier, under section 10 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. It is not disputed that this Bank employee was ultimately held guilty by the IIIrd Additional Sessions Judge, Bilaspur in Criminal Appeal No. 61 of 1973 on 6-8-1973, for an offence under Sec. 323 I.P.C., for voluntarily causing simple hurt to Sri Chaturbhuj Kumar, a railway employee, at Akaltara Railway station, far away from the place of duty of the assailant, and was sentenced to pay a fine of Rs. 100.

3. Prosecution story in the case was that Chaturbhuj Kumar, ticket checker only five days before this occurrence had found this delinquent bank employee travelling in train without ticket and the latter had to pay the penalty. In order to avenge that incident Sri Tulsiyan assaulted the ticket checker at Akaltara railway station. Defence plea of alibi was disbelieved by the trial Court as well as by the Appellate Court. When the Applicant informed the Bank about his conviction under Sec. 332 I.P.C. by the trial Court he was ordered to abstain from joining the duty. The Appellate Court did not believe that Sri Chaturbhuj Kumar was on duty at the time of the incident hence conviction was changed to one under Sec. 323 I.P.C. On being informed of the final result Sri Tulsiyan's service was terminated vide Order dated 16-11-73 with effect from 13-4-73 (the date on which the Trial Court had passed the order of conviction) even though he had performed his regular duties from 13. 4. 73 to 25. 9. 73 when he was asked to abstain from duty.

4. The case of the employer is that Clause (b) (i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the Banking Regulation Act, 1949 enacted an inhibition upon it to allow the workman to continue in the service of the bank as soon as he is convicted of an offence involving moral terpitude. The facts indicated that moral terpitude of the delinquent was involved and as such the service had to be terminated with retrospective effect i. e. with effect from the date of conviction by the trial court. No domestic enquiry was necessary.

5. The case of the employee is that the offence of S. 323 I. P. C. did not contemplate any moral terpitude as an ingredient of the offence hence Cl. (b) (i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the Banking Regulation Act, 1949 did not apply. Domestic enquiry was necessary as is apparent from bipartite agreement also. The termination amounted to retrenchment and retrenchment without payment of retrenchment compensation was bad in law. The termination was also illegal because it was given retrospective effect.

6. Normally employer employee relationship comes under the strain of termination only if the act of the employee is either directly or indirectly connected with his employment; directly connected when it is subversive of discipline and indirectly when it throws an aspersion on the integrity of the employee making him unworthy of holding the post, looking to the nature of his job or when it adversely affects the reputation, specially the business or industrial reputation, of the employer. Otherwise after duty hours and away from the place of employment one is free to act in the manner he deems fit and even commit offences which are innocuous in the above sense. In things wholly unconnected with the duty, the employer is hardly competent to interfere by the poking him nose in the private affairs of the employee. An employee, simply because he accepts service under another person or firm for specified part of day or night, does not totally surrender his otherwise off time independent status to serfdom of twenty four hours unless nature of duties or service conditions call for the rigors of service discipline to hang on his head all the time.

7. This fundamental aspect of the service has received different forms and expensions by different authors & judges. In Chapter III Note 2(a) at page 194 Sri B. R. Ghaiye has in 1976 edition of his book 'Departmental Enquiries' summarised these principles in the following words :

"The Rule of law is that where a person has entered into the position of a servant if he does anything in compatible with due or faithful discharge of his duties to his master then the latter has a right to dismiss him"

"If a servant is guilty of such a crime outside his service as to make it unsafe for the employer to keep him in service then he may be dismissed..... .....his conduct should be so grossly immoral that all reasonable men would say that he cannot be trusted."

Discussing the riotious conduct of an employee outside the scope of his service and away from the premises of his employment the learned author goes on to say that:

"How an employee conducts himself outside the premises and beyond the duty hours is generally his own concern and his acts may be morally bad and reprehensible still the employer cannot take any action. However there are norms which are applicable to an employee even though he may be outside factory premises and beyond working hours. Such obligations are not to indulge in any act of insubordination against the employer or his senior officers or not to associate himself with competitive concerns etc."

Thus an act committed beyond duty hours and outside the premises should have some direct or indirect bearing upon his employment and on the conduct that is expected of him as an employee. Only then the employer acquires a right to terminate his services on account of such conduct.

8. It is these fundamental principles relating to the conduct of an employee that have been transfated into the provisions of Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of Banking Regulation Act 1949 containing the words: 'convicted of an offence involving moral terpitude'. That Section does not give a charter to the employer Banking Company to poke it's nose in all private affairs of an employee. According to this provision the legal finding of conviction has also to satisfy the norms of it's ethical aspect for the inhibition to become effective. Supreme Court has also said In re Pan advocate AIR 1963 SC 1313 that whenever the conduct is (i) contrary to honesty (ii) opposed to good morals or (iii) is unethical, it may be safely held that it involves moral terpitude.

9. The question is whether in S. 10 (1)(b)(i) of the Banking Regulation Act the clause 'convicted of an offence involving moral terpitude' simply means that irrespective of the nature of conduct and circumstances. Per se the offence be such as may involve moral terpitude as one of it's ingredients or requires the conduct to be such as may involve moral terpitude; whether the offence of causing simple hurt is covered under that clause if the hurt is caused with a morally reprehensible motive and depravity and under the circumstances showing baseness of character or it will cover only such offences as rape, theft and breach of trust etc.

10. Learned Counsel, Shri Munshi, has tried to support the former interpretation by advancing the argument that 'convicted of an offence involving moral terpitude' should be distinguished from the clause 'convicted for an offence.....'. As the legislature used the word 'of' it meant moval' terpitude to qualify the conduct rather than the offence. Whatever the merits of this gramatical approach I think the interpretation becomes crystal clear if the word 'offence' used in the clause is substituted by it's definition given in S. 2(n) of Cr. P. C. There offence has been defined as 'an act made punishable by law'. After such substitution of definition in the said clause appearing in S. 10(1)(b)(i) of the Banking Regulation Act the clause will read as follows :

> 'convicted of an act made punishable by law, involving moral terpitude.'

11. Thus moral terpitude should be in the act and not simply an ingredient of the offence. In the aforesaid Supreme Court case also the stress was on the conduct not simply on the ingredients of the offence or misconduct defined in the Act. Similarly in all other cases cited at the bar the High Courts looked to the conduct rather than the nature and ingredients of the offence.

12. With all this general back ground I would now come to the specific question involved in this case as to when an assault outside the premises of employment and during off hours made on a person not even remotely connected with the industry amounts to a conduct involving moral terpitude. In Bank of Jaipur Vs. Kishorelal (1954 L.A.C. 362) the workman took the key from another labourer of the same industry and entered into forcible possession of the quarter and when objected to by the uncle of the landford he assaulted him. The Labourer Appellate Tribunal held that the workman committed an act involving moral terpitude. This case was distinguished by the Central Govt. Industrial Tribunal in State Bank of Bikaner and Jaipur Vs. Their workmen (1966 (13) FJR 139, where an assault was committed on a person not connected with the industry, on the ground that in the former case there was clement of dishonesty because the assault was to defend possession of the premises over which he had not even a semblance of title. It is obvious that in the former case the conduct had a direct bearing on the employment; it was within the premises of the bank quarters and the real dispute was with another employee whose uncle had intervened, while in the latter case there appears to be not even an indirect relationship between the conduct and employment.

13. The cases of Budha Pitai Vs. S.D.O. Malihabad AIR 1965 Allahabad 382(FB); Chandgi Ram Thakurdas Vs. Election Tribunal (AIR 1965 Punjab 433; Mangli Vs. Chhakkilal (AIR 1963 All. 52); Baleshwar Singh Vs. D. M. and Collector Banaras (AIR 1959 All. 71); Risal Singh Vs. Chandgi Ram (AIR 1966 Punjab 393) do throw some light on the abstract definition of the clause 'offence involving moral terpitude' but they all relate to election matters and in none of those cases the incident of assault was involved. The standard of moral involved in terpis differs with the standard of man in life—the higher the office of responsibility a man holds the more strict is the standard of morals expected to be maintained by him by the society and hence by the law. It also differs with the variation in circumstances hence more abstract generalised definition is not of much help except that it gives a proper direction to the thought for carving out the yardstick in the particular case.

14. In the case of Durga Singh vs. State (AIR 1957 Punjab 97) the constable was dismissed because he was convicted under S. 34 of the Polic Act as he was found drunk in the street abusing the passers by. such a reprehensible conduct casts a stigma on the whole of the police force and ternishes it's public image. His conduct is then corelated with his employment image and adversely affects employer's reputation.

15. In the present case the assault is on a person who is not at all connected with the Bank. It is far away from the place of duty and it has no bearing whatsoever on the employment (nature of duties of the assailant) or the employer. It does not morally discredit the employee from discharging the nature of duties allotted to him in the Bank. Such an assault even though it may be morally reprehensible, may yet not amount to be involving such moral terpitude as may render him unfit for work.

16. Trial Judge has believed the whole of the prosecution story including the story of previous incident which furnished the motive & cause for the present incident. But the appellate court did not give a word of approval to the previous history which formed motive or cause for the present incident of assault. The trial court judgement merged into appellate judgement and only the specific reliefs in the latter judgment can be considered for deciphering the nature of the act culminating in conviction. I have gone through the appellate judgment carefully and I find that learned Appellate Judge only said that it was proved as a fact that the delinquent employee voluntarily caused simple hurt to a person who was not proved to be on duty. Why he assaulted ? What was the motive ? Whether the previous alleged incident did take place or not ? All these questions have not been discussed at all. Learned advocate for the Bank tried to raise a halo out of the alleged previous incident for proving baser motive etc. but all that remains a cry in wilderness without an iota of it being approved or disapproved by the appellate Court. After the appellate Court judgment the trial Court judgment has lost all it's sanctity & force. Recitals in the trial Court judgment cannot therefore be looked into for deciding one way or the other. Thus the perusal of discussion & findings in the appellate judgment prove only a bare case of conviction for simple hurt without the stigma or background of any previous incident indicative of depravity. Hence I am of the view that on the facts of the present case the conviction was not of an offence involving moral terpitude.

17. Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the Banking Regulation Act, 1949 can hardly justify termination of service with retrospective effect when the law is wholly and consistently against such termination. There will almost always be a time lag between the date of actual conviction and the date on which the employer acquires information thereof, except where the employer is a party to such a case. The provision of Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the aforesaid Act cannot be read to mean that in all such cases, in order to escape liability of transgressing the inhibition, the Company should raise a fiction that an employee actually in employment during this interim period was not in employment at all. His acts and omissions during that period should be deemed to have been washed away in the current of fiction and should be deemed to have become inconsequential. This Workman had actually performed his duties faithfully during the period from 13-4-73 (date of conviction in trial court) to 25-9-73 when he was asked to abstain from work. If his services are retrospectively terminated from 13-4-73 what would be of the 5 month's pay he must have earned and drawn during this period ? Whether he will be required to refund the same; and why should he not be so required if there was no relationship of master and servant during that period ? The termination would mean that master & servant relationship came to an end on 13-4-73. What about the contractual and torteous liabilities if any for the acts of the employee committed during this period as servant of the Company. The whole concept of rights and liabilities would come under a big question mark if retrospective termination is so allowed. Such far reaching upsetting of norms is not contemplated by the provisions of Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Section 10 and the section will be deemed to contemplate that the Company is under a duty to terminate the service of an employee as soon as it comes to know of such conviction. The termination is therefore illegal because of it's retrospecitve operation I know that the Tribunal has a right to correct the date from which such termination should be effective but in view of the findings given above that is not necessary in the present case.

18. The termination is again bad because retrenchment compensation was not paid to the workman. The words 'for any reason whatsoever' used in S. 2(00) of the Industrial Disputes Act are wide enough to cover such a case. In State Bank of India Vs. Sundra Money 1976 (32) FJR. (a) Supreme Court held at page 200 that 'whatever the reason every termination spells retrenchment'. It further observed on page 199 that :

> "without further ado we reach the conclusion that if the workman swims into the harbour of S. 25F, he cannot be retrenched without payment at the time of retrenchment, compensation computed as prescribed therein read with S. 25-B(2)."

Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the Banking Regulation Act no where says that retrenchment compensation need not be paid. Termination even under that section should be associated with all the formalities prescribed under Industrial Disputes Act for safeguarding the workman from being suddenly thrown into the jaws of hunger and death on account of sudden unemployment. That social security cannot be denied to a workman simply in the name of inhibition carved out against a banking Company under Clause (b)(i) of Sub-section (1) of Sec. 10 of the Banking Regulation Act, 1949.

For all these reasons the order of termination, being invalid and unlawful, was unjustified and is therefore set aside with all back wages and other benefits of continuty of service etc. granted to the workman as if he was never retrenched. The Bank shall pay Rs. 100/- as cost of this litigation to the workman besides Counsel's fee Rs. 50/- if certified. Award is given accordingly.

[No. L. 12012/27/75/D II(A)]

21-8-1976 S. N. JOHRI, *Presiding Officer*

New Delhi, the 4th September, 1976

S.O. 3348.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of India Asaf Ali Road, New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on the 27th August, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. LABOUR COURT : DELHI

Reference L.G.I.D. No. 15 of 1975

BETWEEN

The management of M/s. The Regional Manager, Bank of India, Asaf Ali Road, New Delhi

AND

Its workman Shri Ved Prakash S/o. Shri Atam Sarup, C/o. M/s. Mam Raj Radhey Sham Gupta, Katra Bansi Dhar, Khari Baoli, Delhi-6.

Shri Devendra Singh for the management.
Shri S. P. Dua for the workman.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Court by its Order No. L. 12012/103/74-LRIII dated the 15th April, 1976 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the Bank of India was justified in not allowing Shri Ved Prakash, Clerk, to join duty with effect from the 11th October, 1973 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The applicant averred that he worked as a clerk for the management, since 20-8-1968. His last drawn salary was Rs. 154/- per month. On 20-2-1969 he was confirmed. He continued in his service upto 8-9-73 when he was constrained to resign from the said post. The resignation dated 8-9-73 was, however, not accepted and in the meantime it was withdrawn on 11-10-73. He, then, made several representations to take him back on duty but to no avail. He had not even been paid the salary which he was legally entitled, the same having been withheld; hence, the dispute with the prayer that the management be directed to allot him duties which he had been performing before and to pay him the salary which he was legally entitled to get.

3. The management raised the preliminary objections that the order of reference was bad in law as it was not in respect of an industrial dispute as defined in Section 2(k) of the I.D. Act, and that it was not an industrial dispute within the meaning of Section 2-A of the I.D. Act. On merits it was stated that the workman had resigned from the service of the Bank voluntarily and of his own accord. He was, therefore, not legally entitled to re-instatement nor salary nor any other dues. It was, prayed that the order of reference be quashed.

4. The workman field a rejoinder and reiterated his claim.

5. On these pleadings the following issues were framed :—

ISSUES :

1. Whether the dispute is an industrial dispute under Section 2-A of the I.D. Act.
2. If issue No. 1 is decided against the workman, is it still not an industrial dispute as there is no espousal.
3. As in the term of reference.

6. In oral evidence the workman Shri Ved Prakash examined himself as WW1. In rebuttal came Shri N. C. Mittal MW1.

ISSUE NO. 2

7. The question for determination is whether the dispute contained in the reference under consideration is an industrial dispute under Section 2-A of the I.D. Act. Section 2-A reads as follows :—

2-A. Dismissal etc. of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute "Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the service of an individual workman any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workman is a party to the dispute".

8. In this case, evidently, and admittedly, the employer has neither discharged, nor dismissed nor retrenched not otherwise terminated the services of the workman. It was the workman himself who resigned and it was on the basis of it that the employer did not allow the workman to rejoin his duties even though he withdrew his resignation, later. The case is, therefore, not covered by Section 2-A and it cannot be deemed to be an industrial dispute.

9. It was urged, here, by Shri Dua learned representative for the workman that the resignation was withdrawn by the workman before it was accepted. It meant that there was no resignation at all and the workman continued to be in service, the resignation having been withdrawn. Refusing duty, thereafter, to the workman, therefore, amounted to termination of service by the employer.

10. This raises the question whether the resignation did not take effect not having been accepted and having been withdrawn.

11. On consideration, I am of the opinion that a resignation for becoming effective does not need acceptance by the employer at all, in absence of a rule or regulation to that effect. Resignation is a mode of putting an end to the contract of service, by the employer like termination of service is the mode of putting an end to the service by the employer and either of them does not need consent or acceptance of the other. If termination of service by the employer is not dependent on its acceptance by the employee, its bringing to an end by the employee cannot be dependent or subject to the acceptance by the employer. Therefore, a resignation takes effect from the time employee makes it effective. It can, no doubt, be withdrawn before it becomes effective but once it takes effect, it is not open to the employee to withdraw it to make it non-existent.

12. Here in this case, the resignation was given on 8-9-73 and the words of resignation were :

"I do, hereby, resign from the post of staff clerk in your esteemed bank with effect from today i.e. 8-9-73.

13. To my mind the workman herein, made it effective from the 8th September, 1973 itself, that is to say, with the expiry of the 8th day of September, 1973 at 12.00 A.M., the resignation became final and put an end to the contract of service between the parties. It could not have been drawn, thereafter, that is to say, it was not available to the employee to withdraw it. It is true that the management wrote back that to consider the matter certain other things were necessary to be done. It only meant that in order to absolve the employee from his liabilities to the employer, he was called upon to do certain things. It, did not and could not mean that the resignation did not take effect at all for the purpose of putting and end to the contract of service. In fact, it was not open to the employer to say so since it did not depend on his acceptance. It was the employee who could make it effective as and when he liked which he did in this case.

14. Shri Dua has cited the decision M/s. A. Tellery & Sons Vs. Qubool Ahmed Khan (1955 L. A.C. 294) for saying that a resignation had to be accepted to become effective. I, however, do not see the meaning in the decision. The question before the Bench was not whether a resignation had to be accepted before it took effect. The question was either the employer could accept and enforce Moreover, the resignation in that case had been given in a fit of impulse and secondly it had not become irrevocable as it was to become effective at the end of the day. Here in this case, the workman did not resign in a fit of an impulse. He has admitted in his own statement WW1 that he had been talking of resignation since as early as July 1973. He actually resigned in September 1973. It could not be, therefore, said to be in a fit of impulse. Then, it was not withdrawn on 8-9-73 itself before the end of the day. It was withdrawn on 11-10-73, more than a month after; and that, too not with the intention of withdrawing the resignation to serve the bank but in order to evade payment of one month's notice pay which he was, under the contract, bound to pay to the employer. The letter withdrawing the resignation clearly speaks in this trend, it reads :—

"I am in receipt of your kind letter No. AAR/14/SBM/1253 dated the 3rd instant. I note that my resignation has not been accepted as yet.

I do not want to pay Rs. 579.60 in lieu of the notice period I am ready to join duty on hearing from you. Kindly advice, The period from 25-8-73 till I resume duty, may be treated as leave without pay. As to may letter of resignation dated 8-9-73, I do, hereby withdraw the same."

15. The decision, cited by Shri Dua does not, therefore, apply to the facts of this case at all.

16. It is, therefore, held that the withdrawing of the resignation was ineffective. The contract of service of the workman had been put an end to by himself and had been made effective on 8-9-73 itself. The issue is, accordingly, decided against the workman.

ISSUE No. 2

17. Since, the dispute was not covered by Section 2-A it was necessary that it should have been espoused by a substantial number of workmen of the establishment, in order to become an industrial dispute. Such espousal was neither pleaded nor proved. It has to be therefore, held that this was not an industrial dispute. The issue is, accordingly, decided against the workman.

ISSUE No. 3

18. The point for consideration, now, is whether the management was justified in not allowing the workman to join duty on his withdrawing the resignation.

19. I hold that there was nothing unjustified in the management's action. The workman put an end to the contract of service and made it effective from 8-9-73 itself. It was, therefore, not open to him to withdraw the resignation without the consent of the employer; and if the employer did not consent in such withdrawal there was nothing unjustified in it. In order to show that there was anything unjustified in it, the workman should have pleaded and proved that it was by way of victimisation or some unfair labour practice. The workman failed to plead and prove so. It is, therefore, held that the workman failed to prove that the action of the management was unjustified. Accordingly, this issue is decided against the workman

20. The total result is that firstly this very reference is incompetent, there being no industrial dispute and secondly, the action of the management is not unjustified. The workman is, therefore, not entitled to any relief herein. An Award is made accordingly.

17th July, 1976 D. D. GUPTA, Presiding Officer.

[No. L-12012/103/74/LR III/D II (A)]

S.O. 3349.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employees in relation to the management of the Central Bank of India, Delhi Road, Meerut Cantt. and their workman which was received by the Central Government on the 27th August, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

C.G.I.D. No. 66 of 1975

BETWEEN

The Divisional Manager, Central Bank of India, Delhi Road, Meerut Cantt.

AND

Their workman as represented by the Central Bank Employees Association (U. P.).

Shri K. S. Sharma for the management.

Shri T. C. Gupta for the workmen.

AWARD

The Central Govt. on consideration of a report submitted by the Conciliation Officer that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/140/74/LBIII dated the 10th November, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the Central Bank of India Meerut, is justified in denying the post of Daftri to Shri Mehar Chand Jain with effect from July 1973 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The case of the workman is that he was appointed in the service of the management as a Peon on 27-12-68 and was posted at Shamli branch of the bank. On 25-3-72 he was transferred from there to the Baraut office on his own request. In July, 1973 Shri R. R. Misra who worked at Baraut as a permanent deftri was promoted to clerical cadre and was transferred from there. A permanent vacancy of daftri thus occurred at Baraut. It was pleaded that the workman was the senior most among the members of subordinate staff at Baraut; therefore, he was entitled to be promoted to the post of daftri. The management, however, did not promote him as such; hence the dispute with the prayer that, (a) he be deemed to have been appointed as a permanent daftri from July 1973 in place of Shri R. R. Misra; and (2) that he be paid the daftries special allowance @ Rs. 20/- per month with all the cumulative benefits thereon from July 1973 onwards.

3. The management raised a preliminary objection that the applicant was estopped from raising the present dispute. On merits it was admitted that the workman was the senior most at Baraut in July 1973. It was, also, admitted that he was not promoted as daftri when a vacancy occured. It was

pleaded that the workman was not eligible to be so promoted as per rules and policy of the management. It was, therefore, prayed that the claim of the workman be rejected.

4. The workman filed a rejoinder and re-iterated his claim.

5. On these pleadings the following two issues were settled for decision.

ISSUES :

1. Whether the applicant is estopped from raising the pressent dispute.

2. As in the term of reference.

6. In oral evidence the management produced Shri Shyam Beharilal Sharma-MW1 and Shri R. Chandra-MW2. The workman did not produce any evidence on its side.

7. Arguments were, then, heard. My decision is as follows :—

ISSUE No. 1

8. The management has not given any evidence in support of this issue. Nothing was said about it even in arguments addressed by the management. The law about estoppal is, also, well settled. Technical pleas like acquiescence and estoppel are not appropriate to the industrial adjudication.

9 Moreover, what the management meant by raising this plea of estoppel was that the workman himself admitted in his application dated the 27th September, 1974 (Annexure 7); that he was governed by the thirty months' bar. Thus, there was an admission on his part that he was not entitled to be promoted as daftri and thus operated as estoppel against him.

10. On consideration, I have no hesitation to reject this contention.

11. Estoppel has been defined in Section 115 of the Evidence Act thus.

> 115. "Estoppel" When a person has by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

12. As per his definition if the workman had by his declaration, act or ommission, intentionally caused or permitted his management to believe it be to true that there was a bar against his for promotion and if he had caused or permitted the management to act on such belief, that is to say, if his transfer to Baraut had been on the understanding that he would not be permitted to the post of daftri before 3years or 30 months, he could have been estopped from denying the truth of that thing. The letter Annexure 7 is evidently dated the 27th September, 1974 whereas a transfer had already taken place in 1973. It could not, therefore, operate as an estoppel. Annexure 2 is the correct document which speaks about this matter. It contains a stipulation between the parties regarding the workman's being entitled for promotion. It is in these words,

> "he (the workman) will not be entitled for promotion, for three years in terms of transfer policy.

13. Now, the said policy is contained in Annexure 3. Its clause(d) which is the relevant part thereof says,

> (d)..."It is a condition that a member transferred at his request to an office in another group or zone will not be eligible for promotion to clerical grade, officer grades or for the post of Special Assistant as the case may be for a period of 5 years from the date of his transfer, notwithstanding his seniority, qualifications etc.

14. It was contended on behalf of the management that this clause laid down that a member of the subordinate staff would not be eligible for promotion even as daftri

15. On consideration, I have no hesitation to reject this contention. The clause clearly says that one would not be eligible for promotion to clerical grade, officer grade or for the post of special assistant. It nowhere lays down that a member of subordinate staff could not be promoted to another post in the subordinate cadre itself, which the post of daftri was.

16. My attention was then drawn to Annexure 4. The relevant portion thereof reads,

> "It may also be mentioned here that the clerical staff so transfered at his/her request within the Group will be entitled to promotion to Officer cadre on the basis of the stipulation in our promotion policy but will not be entitled to claim officiating chances at the office of his posting on transfer for three years from the date he is transferred to that office."

17. Here, again I find that it applies to the clerical staff. It was the clerical staff which was disentitled for promotion to officers cadre. It did not apply to the subrdinate staff and did not debar the promotion to the subordinate cadre it self.

18. The managements' reprasentative than further relied upon clause (k) of Para 4 of Annexure 6. It reads as follows :—

> "A member of the subordinate staff transferred on request shall not be eligible to any post attracting special allowance in terms of the Bipartite Settlement for a period of 30 months reckoned from the date of posting at office of his choice."

19. It was urged that a period of 30 months reckoned from the date of posting at the office of his choice, had to lapse before a member of the subordinate staff transferred on request could be eligible for any post attracting special allowance in terms of the Bipartite Settlement. There is no controversy that the post of daftri attracts special allowance. Shri Tara Chand Gupta appearing for the workman also conceded that a period of 30 months reckoned from the date of posting had to expire before, the workman herein, who was a member of the subordinate staff and was transferred to Baraut on his own request, could be eligible for promotion as daftri. His contention, however, was that his circular was signed at Bombay on the 15th June, 1974 and was to come into force and became operative on the 15th July, 1974. It could, therefore, have prospective effect only and not retrospective. The vacancy in this case had already occured in July, 1973. The matter could therefore, be not governed by this Annexure VI. I agree with Shri Gupta entirely. Annexure 6 could not become a harbour of the management as it did not exit in July 1973 when the cause of section arose to the workman herein. The managements' contention in this behalf is, therefore, rejected. There was, therefore, no estoppel against the workman and the issue is accordingly decided against the management.

ISSUE No.—2

20. The main question for determination under this issue is whether there was any justification for denying the post of daftri to the workman with effect from July 1973. As already observed above in issue no. 1 it his been seen that there was no bar against the promotion of the workman to the post of daftri neither in the rules of the management not the Bipartite Settlement. On the other hand the Bipartite Settlement (Annexure 5) laid down in its para 17 thus,

> "Normally Citywise Seniority will be the criterion for appointments to posts attracting Special Allowance in Subordinate Cadre provided the requisite skill, knowledge and ability are there."

21. It is not dispute by the management that citywise the workman, herein was the senior most man at Baraut. He was, therefore entitled for promotion to the post of daftri when the vacancy occured in July 1973. The management failed to justify its action in denying the post to the workman as held above. The issue is, accordingly, decided against the management

22. The result is that the workman herein is entitled to the relief claimed by him. He will be deemed to have been

promoted as daftri ever since July 1973, in the vacancy caused there by the promotion of Shri R. R. Misra. It is further ordered that the workman will be entitled to special allowance @ Rs. 20/- per month and all concurrent benefits thereon from July 1973 onward. An award is made accordingly.

30th July, 1976

D. D. GUPTA, Presiding Officer
[L-12012/140/74/LR III/D II (A)]
R. P. NARULA, Under Secy.

का०आ० 3350.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्ध, वहां तक जहां तक कि उसमें यह अपेक्षा की गई है कि विहित प्ररूपों, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के प्ररूप 4, 5 और 10 में अतिकाल मस्टर रोल और मजदूरी का एक रजिस्टर रखा जाए, मुम्बई पत्तन न्यास के सम्पदा, विधि, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर, चिकित्सा और श्रम विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए नियत की गई है कि ऐसे कर्मचारियों की विशिष्टियां प्ररूप छ-14 ख-1 में रखी जाएंगी, जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उपवर्णित है और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के प्रयोजनार्थ अतिकाल मस्टर रोल और मजदूरी का रजिस्टर समझा जाएगा, और इस शर्त के भी अधीन रहते हुए नियत की गई है कि भिन्न-भिन्न तारीखों को किसी कर्मकार द्वारा किए गए अतिकाल के घन्टों की संख्या तथा उस कर्मकार द्वारा एक मास में किया गया कुल अतिकाल-कार्य, प्रस्थापित प्ररूप क्रमशः स्तम्भ 10 और 16 के अन्तर्गत, उस पंक्ति के, जिसमें कर्मकार का नाम वर्ज हो, ठीक पश्चात्वर्ती पंक्ति में उपदर्शित किया जाएगा ।

अनुसूची

छ-14-ख/1

197 के मास के लिए मस्टर रोल

भ० नि० लेखा संख्या	क्रम संख्या	आकस्मिक छुट्टी	वैकल्पिक छुट्टियां	पदनाम — प्रथम नियुक्ति की तारीख	संदेय न्यूनतम मजदूरी की दर, आधारिक और मंहगाई भत्ता — वेतनमान	पिता/पति के नाम सहित कर्मचारी का नाम	टिकट संख्या	पुरुष या महिला	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	न्यूनतम मजदूरी दर	अतिकाल दर	प्रति सप्ताह सामान्य घन्टे
										10											11	12	13

उन दिनों की संख्या जिनके लिए निम्नलिखित के अधीन अतिकाल अनुज्ञेय है — न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	उन दिनों की संख्या जिनके लिए निम्नलिखित के अधीन अतिकाल अनुज्ञेय है — पत्तन न्यास नियम	कुल हाजिरी किए गए कार्य की इकाइयां	वेतन की दर	वेतन रु० पै०	कार्यकारी भत्ता रु० पै०	वास्तव में संदत्त मजदूरी — अन्य भत्ते, विशेष वेतन आदि रु० पै०	वास्तव में संदत्त मजदूरी — प्रतिकारात्मक (नगर) भत्ता रु० पै०	मंहगाई भत्ता रु० पै०	मकान किराया भत्ता रु० पै०	अतिकाल — न्यूनतम मजदूरी अधिनियम रु० पै०	अतिकाल — पत्तन न्यास नियम
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

रात्रि भारण रु० पै०	सकल संदेय मजदूरी रु० पै०	भविष्य निधि अभिदाय, अभिदायी भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित कर्मचारी रु० पै०	भविष्य निधि अभिदाय, पेंशन स्कीम द्वारा शासित कर्मचारी रु० पै०	स्वैच्छिक भविष्य निधि अभिदाय रु० पै०	भविष्य निधि उधार	कटौतिया — बीमा प्रीमियम और स्टाक बीमा प्रीमियम रु० पै०	आयकर	सहकारी प्रत्यय सोसाइटी रु० पै०
26	27	28	29	30	31	32	33	34

कटौतियां							वास्तविक सदेय मजदूरी	अतिकाल सदाय की तारीख	टिप्पणियां
वेतन बचत स्कीम रु० पै०	क्वार्टरों का किराया रु० पै०	विद्युत ऊर्जा रु० पै०	अन्य कटौतियां, त्योहारी उधान आदि रु० प०	वेतन रोल बचत स्कीम रु० पै०	क्रीड़ा क्लब रेनोल्ड आई० एन० एस० टी रु० पै०	कुल कटौतियां रु० पै०	रु० पै०		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	4

[सं० एस० 32014(3)/74-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

S.O. 3350—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby directs that for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provisions of sub-section (1) of section 18 of the said Act, in so far as it requires a Register of Overtime, Muster Roll and Register of Wages to be maintained in the prescribed forms, namely, Forms IV, V and X of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 shall not apply in relation to the employees of the Estate, the Legal, the Chief Mechanical Engineer's, the Chief Engineer's, the Medical and the Labour Departments of Bombay Port Trust, for whom minimum rates of wages have been fixed under the said Act, subject to the condition that particulars of such employees shall be maintained in Form G 14 B1 which is set out in the Schedule to this notification and which shall be deemed to be the Register of Overtime, Muster Roll and Register of Wages for the purpose of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 and subject also to the condition that the number of hours of overtime put in by a worker on different dates as well as the total of overtime work put in by the workers in a month shall be indicated in the proposed form under columns 10 and 16 respectively in the line immediately following the line on which the name of the worker is entered.

SCHEDULE

MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 19 G 14 B/1

P.F. Account No.	Sr. No.	Casual Leave	Optional Holidays	Designation	Date of 1st appointment	Rate of Minimum wages payable Basic+D.A./ Scale of Pay	Name of the Employee with Father's/Husband's Name	Ticket No.	Sex
1	2	3	4	5		6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														10																

Minimum Wage Rate Rs. P.	Oertime Rate Rs. P.	Normal hrs. per week	No. of days/Hrs. for which overtime is admissible M.W.A.	P.T.R.	Total attendance/ Unit of work done	Rate of Pay	Pay Rs. P.
11	12	13	14	15	16	17	18

RATE OF WAGES ACTUALLY PAID

Acting Allowance Rs. P.	Other Allowances Sp. Pay Etc. Rs. P.	Compensatory (City) Allowance Rs. P.	Dearness Allowance Rs. P.	House Rent Allowance Rs. P.	Over-time M.W.A. Rs. P.	Over-time P.T.R. Rs. P.	Night Weightage Rs. P.
19	20	21	22	23	24	25	26

Gross Wages Payable	DEDUCTIONS							
	P.F. Contr. Employees Governed by Cont. P.F. Scheme	P.F. Contr. Employees Governed by Pension Scheme	V.P.F subscription	P.F. Advance	I.P. & S.I.P.	Income Tax	Co-op. Credit Society	
Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
27	28	29	30	31	32	33	34	

DEDUCTIONS

Salary Savings Scheme	Rent for Quarters	Electric Energy	Other Deductions Festival Adv. Etc.	Pay Roll Savings Scheme	Sports Club Reynold's Inst.	Total deductions	Actual Wages Payable	Date of O.T. payment	Remarks
Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

[No. S. 32014(3)/74-WC (MW)]

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1976

का०आ० 3351.—कृषि में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को सदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कतिपय प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 413(अ) तारीख 2 अगस्त, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 2 अगस्त, 1975 में पृष्ठ 1792-1796 पर प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों को, जिनमें उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, जानकारी दी गई थी, तथा उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र 2 अगस्त, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2389 तारीख 8 अगस्त, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट कृषि के नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को सदेय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करती है और निदेश करती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग	प्रतिदिन मजदूरी की सर्व समावेशी न्यूनतम दरें									
	क्षेत्र-क		क्षेत्र-ख-1		क्षेत्र-ख-2		क्षेत्र-ग		क्षेत्र-घ	
1	2									
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
अकुशल										
(1) बेलदार (पुरुष/स्त्री); (2) काफ बाय; (3) पशुपाल, (4) चौकीदार; (5) क्लीनर; (6) क्लीनर (मोटर; शेड; ट्रैक्टर; पशुशाला, एम० टी०); (7) खुला चारा एकत्रित करना; (8) धोबी, (9) डेरी कुली; (10) डेरी वाला, (11) स्टाक खोलना; (12) ट्रैमर; (13) ड्राइवर (बैल; खच्चर); (14) फीडर व्यस्क सूखी घास, (15) घास काटने वाला; (16) चरवाहा; (17) मददगार (भण्डार—मजदूर); (18) श्रमिक (पुरुष/स्त्री), बायलर, पशुशाला, खेती, साधारण; लदाई और उतराई, वण्डल बनाना ढोना, उर्वरक, कटाई, प्रकीर्ण, बीजन, बुवाई, छप्पर छाना; प्रतिरोपण; निराई; (19) माली; (20) मजदूर (वृक्ष संवर्द्धक; कम्पोस्ट; डेरी, घास का चट्टा लगाना, सिंचाई; खाद, चट्टा लगाना; दुग्धकक्ष; राशन कक्ष, भण्डार; मलेरिया-रोधक; एम० आर०); (21) सन्देशवाहक (कार्यालय); (22) चपरासी, (23) सईस; (24) सूखी घास बांधना और ढोना; (25) स्वीपर (झाड़ूकश); (26) गांठें तोलना और ढोना; (27) तोलने वाला (गाठ, पल्ली); (28) पानी वाला; (29) तार काटने वाला; (30) तार मिस्त्री और टीन लेबल चिपकाना;										

1	2				
(31) अस्तबल वाला; (32) ट्रोली वाला; (33) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो अकुशल प्रकार के है	6.50	5.95	5.40	4.90	4.45
अर्धकुशल/अकुशल/पर्यवेक्षीय					
(1) सहायक (चौधरी), (2) परिचारक (साड); ब्याना-स्थल, कुट्टी मशीन; छात्रावास, सूखा पशुधन, अनाज-भंडार, पम्प; रोगी-पशु आवास, अस्तबल; यार्ड; पशुधन; (3) सहायक (प्लम्बर); (4) (काट दिया गया) (5) भिश्ती; (6) ब्रांडर; (7) सांड़ वाला; (8) मक्खन वाला; (9) कोचवान; (10) (10) मोची; (11) कृषक, (12) दफ्तरी, (13) पत्र-वितरक, (14) ड्रैसर; (15) फरियर (नाल लगाने वाला); (16) फीडर; (17) फायरमैन, (18) ग्वाला; (19) हथौड़ा वाला; (20) मददगार (लोहार), (21) मददगार, (22) जमादार (सन्तरी); (23) जमादार; (24) खलासी; (25) माली (ज्येष्ठ); (26) मेट/मिस्त्री; (27) मजदूर (शिक्षित); (28) नालबन्द; (29) तेल वाला; (30) हल वाला; (31) पट्टा लगाने वाले; (32) पर्यवेक्षक; (33) छप्पर छाने वाला; (34) तोलने वाला; (35) वाल्वमैन; (36) वाल्व मैन (ज्येष्ठ); (37) किसी भी नाम से कहलाने वाला कोई अन्य प्रवर्ग, जो अर्द्ध-कुशल प्रकार के है	8.12	7.44	6.75	6.12	5.56
कुशल :					
(1) कारीगर (वर्ग II, III, IV); (2) लोहार; (3) लोहार (वर्ग II); (4) बायलर मैन; (5) बढ़ई, (6) बढ़ई (वर्ग II); (7) बढ़ई-एवं-लोहार; (8) चौधरी; (9) चालक (ड्राइवर); (10) चालक (ड्राइवर) (इंजन ट्रैक्टर; एम० टी०; मोटर); (11) बिजली मिस्त्री; (12) फिटर; (13) राजमिस्त्री; (14) राजमिस्त्री (वर्ग II); (15) मशीन हैड (वर्ग II, III, IV); (16) मशीन वाला, (17) मेट श्रेणी-I (ज्येष्ठ); (18) मैकेनिक; (19) दुग्ध राइटर; (20) मिस्त्री (प्रधान); (21) सांचेवाला; (22) उपस्थिति राइटर; (23) प्रचालक (नलकूप); (24) पेन्टर; (25) प्लम्बर (नलसाज); (26) कलाईगर, (27) गद्दी वाला; (28) तार मिस्त्री; (29) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो कुशल प्रकार के हैं . .	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12
अति-कुशल :					
(1) कारीगर वर्ग I, (2) लोहार वर्ग I, (3) बढ़ई वर्ग I; (4) मशीन हैड वर्ग I, (5) राजमिस्त्री, वर्ग I; (6) मैकेनिक (ज्येष्ठ); (7) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रकार के है .	13.00	11.90	10.80	9.80	8.90
लिपिक वर्ग :					
(1) सहायक (फार्म), (2) सहायक; (3) रोकड़िया; (4) लिपिक; (5) मंशी, (6) रजिस्टर पाल, (7) स्टोर कीपर (भण्डारी); (8) समयपाल (टाइम कीपर); (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो लिपिक वर्ग प्रकार के है	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12

स्पष्टीकरण — 1 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (क) क्षेत्र ए०, बी०-1, बी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट हैं और जिसमें निगमों या नगर पालिकाओं या छावनी बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे, तथा क्षेत्र डी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो क्षेत्र ए०, बी०-1, बी०-2 और सी० के अन्तर्गत नहीं है ।

(ख) अकुशल — काम से ऐसा काम अभिप्रेत है, जिसमें साधारण संक्रियाएं आएं और जिसे करने के लिए थोड़ी सी कुशलता या अनुभव का होना या बिल्कुल ही न होना अपेक्षित हो ।

(ग) अर्ध-कुशल — काम से ऐसा काम अभिप्रेत है, जिसमें कुशलता या क्षमता की कुछ मात्रा आए जिसे काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाए और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में किया जा सके तथा इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय काम भी है ।

(घ) कुशल — काम से ऐसा काम अभिप्रेत है, जिसमे कुशलता या क्षमता की कुछ मात्रा आए जिसे काम पर अनुभव द्वारा या शिक्षु के रूप मे या किसी तकनीकी या व्यावसायिक सस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सके और जिसके करने में पहल और विवेक-बुद्धि की आवश्यकता हो ।

(ङ) अतिकुशल — काम से ऐसा काम अभिप्रेत है, जिसमें कतिपय कार्यों के करने में परिपूर्णता की ऐसी उच्च मात्रा और पूर्ण क्षमता की अपेक्षा हो, जो गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या लम्बे समय तक व्यावहारिक कार्य-अनुभव से प्राप्त की गई हो और जिसमें कर्मकार से यह भी अपेक्षित हो कि वह इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय या विनिश्चयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सम्भाल सके ।

2 जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें, कृषि के नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी की दरें, इन क्षेत्रों की बाबत, इस अधिसूचना के अधीन संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जाएंगी ।

3 इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं ।

4. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्व समावेशी दरों के रूप में होंगी और उनके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी होगी ।

5. नियोज्य व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के अल्पव्यस्क व्यक्तियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें, समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होंगी ।

उपाबन्ध

राज्य, संघ राज्यक्षेत्र का नाम	शहरों/नगरों के वर्ग			
	'ए'	'बी-1'	'बी-2'	'सी'
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	..	..	अडोनी, अनकापल्ली, अनन्तपुर, बंदर (मसूलीपट्टम), भीमावरम्, चिराला, चित्तूर, कुडप्पा, एलुरु, गुडीवाड़ा, गुन्ताकल, गुन्टूर, काकीनाड़ा, खम्माम, कोठागुडम, करनूल, महबूब नगर, नन्दयाल, नैल्लौर, निज़ामाबाद, ओंगोल, प्रोद्दूर राजामुन्द्री, तैनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयवाडा (बैजवाडा), विशाखापत्तनम् (विजगापट्टम), विजयानगरम्, वारंगल ।
बिहार		..	पटना धनबाद जमशेदपुर	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो इस्पात नगर, छपरा, दरभंगा, दीनापुर, गया, हज़ारीबाग कटिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची ।
चण्डीगढ़	..	..	..	चण्डीगढ़ ।
दिल्ली	दिल्ली	..	..	..
गुजरात	अहमदाबाद	..	सूरत बड़ोदरा (बड़ौदा)	आनन्द, भावनगर, भुज, भड़ौच, कैम्बे, धोरजी, गोधरा, गोन्डल, जामनगर, जूनागढ़, कलौल, महेसाना, मोरवी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, वेरावल
हरियाणा	..	..	..	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर ।
जम्मू और काश्मीर	..	..	श्रीनगर	जम्मू ।
कर्नाटक	बंगलौर	.	..	बागलकोट, बैलगाम, बल्लारी, भद्रावती, बीदार, बीजापुर, चित्रादुर्ग, देवनगर, गादग-बेतगारी, गुलबर्गा, हसन, होसपेट, हुबली, धारवाड़, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, मांड्या, मंगलौर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर ।
केरल	.	..	कोचीन त्रिवेन्द्रम्	अलेप्पी, बदगारा, कालीकट (कोझीकोड), कन्नामौर, कयामकुलम-कोट्टायम, पालघाट, तेल्लीचेरी, त्रिचुर, क्वीलोन ।
मध्य प्रदेश		.	इन्दौर जबलपुर ग्वालियर	भिलाई नगर-औद्योगिक नगर भोपाल, बिलासपुर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, धमोह, देवास, दुर्ग, (लश्कर), खण्डवा, मन्दसौर, महू (छावनी), मुरवारा, रायपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पूना	शोलापुर	अचलपुर नगर समूह, अहमदनगर, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवण्डी, भुसावल, चांदा, चन्द्रपुर, धुलिया, डोम्बिवलि, गोडिया, इचलकारंजिया, जलगांव, जालना, कल्याण, कामपटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातूर, मालेगांव, नांडेड़, नन्दुरबार, नासिक, नासिक रोड, देवलाली, पंढरपुर, परमानी, पिम्परी, चिन्दवाड़, सांगलीमराज, सतारा, उल्हास नगर, यवतमाल, वर्धा ।
उड़ीसा	..	..	..	बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, राउरकेला, सम्बलपुर ।
पाण्डिचेरी	.	..	..	पाण्डिचेरी ।
पंजाब		.	अमृतसर लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	..	..	जयपुर	अजमेर, अलवर, बेवार, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर ।

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	मद्रास	..	कोयम्बटूर मदुराई सलेम तिरुचिरापल्ली (त्रिचनापल्ली)	अम्बूर, अरुयुक्कोटाई, बोडीनयाकानूर, कुड्डालूर डिंगीगल इरोड, गुडी-प्रथम काडयानालूर, कांचीपुरम्, करांईकुडी, करूर, कुम्बाकोनम, मयूरम, नागापट्टिनम्, नागरकोइल, पलायमकोट्टई, पोल्लची, पुडुकोट्टई, राजा-मलयम, श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुथुर, तंबारम, थाजावुर (तन्जौर), तिरु-नेलवेली, तिरुपुरा, तिरुवन्नमलाई, तूतीकोरिन, वालपराई, बनियमबोर्ड, वेल्लूर, विल्लीपुरम्, विरूपनगर ।
उत्तर प्रदेश	..	कानपुर लखनऊ	आगरा इलाहाबाद वाराणसी (बनारस)	अलीगढ़ (कोल अलीगढ़), अमरोहा, बहराइच, बावा, बरेली, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फरूखा-बाद-एवं-फतेहगढ़, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हल्दवानी एवं काठगोदाम, हापुड़, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, मथुरा, मऊनाथभजन, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज्जफर-नगर, पीलीभीत, रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, सीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	..	..	आसनसोल, बैद्यवती, बाल्ली, बनगांव, बांकुरा, बासबेड़ियां, बैरकपुर, बसीरहाट, बेरहामपुर, भाटपाड़ा, बजबज, वर्द्धवान, चमदानी, चन्द्रनगर, कूच बिहार, दुर्गापुर, इंगलिश बाजार, हालीशहर, हुगली-चिन्सुरा, जल-पाईगुड़ी, कमरहटी, कचरापाड़ा, खड़गपुर, कृष्णानगर, मिदनापुर, नबाद्वीप, नइहाटी, नार्थपडमदम, पनिहाटी, पुरलिया, रिशरा, शान्तिपुर, सेरमपुर, सिलीगुड़ी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग ।

[सं० एस० 32019(7)/75--डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

टी० एस० शंकरन, अपर सचिव

New Delhi, the 8th September, 1976

S.O. 3351.—Whereas certain proposals to revise the Minimum Rates of wages payable to the categories of employees employed in agriculture, were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 1787-1796 of the Extra ordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd August, 1975 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour number S.O.413(E) dated the 2nd August, 1975, for the information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 2nd August, 1975.

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 2389 dated the 8th August, 1973, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in agriculture specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A Rs. P.	Area. B1 Rs. P.	Area. B2 Rs. P.	Area. C Rs. P.	Area. D Rs. P.
1	2	3	4	5	6
Unskilled : (1) Beldar (Male/Female); (2) Claf Boy; (3) Cattlemen; (4) Chowkidar; (5) Cleaner; (6) Cleaner (Motor Shed; Tractor; Cattle Yard; M. T.); (7) Collecting Loose fodder; (8) Dhobi; (9) Dairy Coolies; (10) Dairy-man; (11) Dismantling Stocks; (12) Dresser; (13) Driver (Bullocks; Mule); (14) Feeder (Adult) Hay; (15) Grass Cutter; (16) Grazier; (17) Helper (Store-Mazdoore); (18) Labourer (Male; Female; Boiler ; Cattle Yard; Cultivation; General; Loading and Unloading; Bundling; Carting; Fertilizers; Harvesting; Miscellaneous; Seeding; sowing; Thatching; Transplanting; weeding); (19) Mali; (20) Mazdoor (Arboriculturist; compost; Dairy; Hay-Stocking; Irrigation, manure stacking, Milk Room; Ration Room; Store; Anti-Malaria; M. R.); (21) Messenger (Office); (22) Peon; (23) Syce; (24) Tying and Carrying; Losse Hay; (25) Sweeper; (26) weighing and Carrying Bales;(27) Weighman (Bales; Pally); (28) Waterman; (29) Wire-Cutter; (30) Wireman; and Fixing Tin Labels; (31) Stable-man, (32) Trolly Man; (33) Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature . .	6.50	5.95	5.40	4.90	4.45

1	2	3	4	5	6
Semi-Skilled :					
(1) Assistant (Chowdhary); (2) Attendant (Bull; Calving Line; Chaff Cutter; Hoste Dry Stock; Grain Crusher; Pump; Sick-Line; Stable; Yard; Stock); (3) Assistant (Plumber); (4) (Deleted) (5) Bhisti; (6) Brander; (7) Bullman; (8) Butterman; (9) Coachman; (10) Cobbler; (11) Cultivator; (12) Daftry; (13) Delivery Man; (14) Dresser; (15) Farriar; (16) Feeders; (17) Fireman; (18) Gowalas; (19) Hammerman (20) Helper; (Blacksmith) (21) Helper; (22) Jamadar (Stand); (23) Jamadar; (24) Khalasi; (25) Mali (Senior); (26) Mate/ Mistry; (27) Mazdoor (Literate); (28) Nalband; (29) Oilman; (30) Ploughman; (31) Stackers; (32) Supervisor; (33) Thatcher; (34) Weighman; (35) Valveman; (36) Valveman (Senior); (37) Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature	8 12	7.44	6.75	6.12	5.56
Skilled :					
1) Artificier (Class II; III; IV); (2) Blacksmith; (3) Blacksmith (Class II); (4) Boiler Man; (5) Carpneter; (6) Carpenter Class II (7) Carpenter-cum-Blacksmith; (8) Chowdhary; (9) Driver; (10) Driver (Engine Tractor; M. T.; Motor); (11) Electrician; (12) Fitter; (13) Mason; (14) Mason Class II; (15) Machine Hand (Class II, III, IV), (16) Machineman; (17) Mate Gr. I (Senior); (18) Mechanic; (19) Milk Writer; (20) Mistry (Head); (21) Moulder; (22) Muster Writer; (23) Operator (Tube-well); (24) Painter; (25) Plumber; (26) Welder; (27) Upholsterer (28) Wireman; (29) Any other Categories by whatever name called which are of a skilled nature. .	10.40	9.52	8.64	7.84	7.1 2
Highly Skilled :					
(1) Artificier, Class I; (2) Blacksmith Class I; (3) Carpenter Class I; (4) Machine Hand Class I; (5) Mason Class I; (6) Mechanic (Senior); (7) Any other categories by whatever name called which are highly skilled nature .	13.00	11.90	10.80	9.80	8.90
Clerical :					
(1) Assistant (Farm); (2) Assistant; (3) Cashier; (4) Clerk; (5) Munshi; (6) Register-Keeper; (7) Storekeeper; (8) Time-Keeper; (9) Typist; (10) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature	10.40	9.52	8.64	7.84	7.12

Explanations—For purposes of this notifications.

1. (a) Areas A, B-1, B-2 and C shall respectively comprise all the places specified in the Annexure to this notification as such areas, and includes all places within a distance of eight kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place; and Area D shall comprise of all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C;

(b) Unskilled work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(c) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired thorugh experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employees, and includes unskilled supervisory work;

(d) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired thorugh experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(e) "Highly skilled" work is one which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training, or practical work-experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

2. Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees employed in employments in agriculture, in relation to whom the State Government is the appropriate Government the rates of wages fixed by ten States Govt. shall, in respect of these areas be deemed to be the minimum rates of Wages, payable under this notification.

3 The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

4. The minimum rates of wages fixed by this notification shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for weekly day of rest.

5. The minimum rates of wages payable to disabled and young persons below 18 years of age shall be 80% and 70% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

ANNEXURE

Name of the State/ Union Territory	Class of cities/Towns			
	'A'	'B—1'	'B—2'	'C'
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	..	..	Adoni, Anakapalle, Anatapur, Bandar (Masultipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinanda, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal Nellore, Nzamabad, Ongole, Proddatur, Rajammundry, Tenali, Tirupati, Vijayapuri, Vijayada (Bezwada) Visakhapatnam (Vizaypatam), Viziamgaram, warrargal .
Bihar	..	..	Patna Danbad Jamshedpur	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bihar sharif, Bokaro Steel City, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyar-Jamalpur, Muzaffarpur, Purhea, Ranchi.
Chandigarh	..	..	..	Chandigarh.
Delhi	Delhi	..	..	..

1	2	3	4	5
Gujarat	Ahmedabad	..	Surat, Vadodara (Baroda)	Anand, Bhavnagar, Bhuj, Broach, Cambay, Bhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagadh, Kalol, Mahesana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Rajkot, Surendranagar, Veraval.
Haryana	..	..	..	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Panipat, Rohtak, Sonepat, Yamunanagar.
Jammu and Kashmir	..	..	Srinagar	Jammu.
Karnataka	Banagalore	..	..	Bagalkot, Belgaum, Bellery, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere Gadag-Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Hubli-Dharwar, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Mysore, Raichur, Shimgga, Tumkur.
Kerala	..	..	Cochin Trivandrum	Alleppey, Badagara, Calicut (Kozhikode), Cannonore, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Qullon.
Madhya Pradesh	..	..	Indore Jabalpur, Gwalior.	Bhilainagar Industrial Township, Bhopal, Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, (Lashkar), Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.), Murwara, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona	Sholapur	Achalpur Town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhullia, Dombivli, Condia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khangaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Pimpri-chinchwad, sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	..	..	..	Behrampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela, Sambalpur.
Pondicherry	..	..	..	Pondicherry.
Punjab	..	..	Amritsar Ludhiana	Abhor, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	..	..	Jaipur	Ajmer, Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	..	Coimbatore Madurai Salem Tiruchirapalli (Trichnopally)	Ambur, Aruppukkottai, Bodinayakanwi, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadaynallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam Nagerooil Palayamcottai, Pollachi, Pudukkottai, Rajapalaiyam, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur, (Tanjore), Tirupur, Tiruvannamalai Tuticorin Valparai, Vaniyambodi, Vellora, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	..	Kanpur Lucknow	Agra, Allahabad Varanasi (Banaras)	Aligarh, (Koil Aligarh), Amroha, Baharaich, Banda, Barcilly, Budaun, Bulandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-*cum*-Ayodhya, Farrukhabad-*cum*-Fatehgarh, Fatehpur, Firozabad, Ghaziabad, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-*cum*-Kathogodam, Hapur, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Mathura, Maunath-Bhanjan, Meerut, Mirazpur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjanbanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	..	..	Asansol, Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bansbaria, Barradhpur, Basirhat, Berhampur, Bhatparar Budge Budge, Burdwan, Champdani, Chandernagore Cooch Behar, Durgapur, English Bazar, Halishahar Hooghly, Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabadwip, Nalhati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.

[No. S-32019(7)/75-WC(MW)]

T. S. SANKARAN, Additional Secy.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1976

का० आ० 3352 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1144, तारीख 1-3-1976 के अनुक्रम में भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1976 से 30 जून, 1977 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदो को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियो के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हे ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट की पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योकि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने की मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

[सख्या एस-38017(6)/73-एच०आई०]

New Delhi, the 1st September, 1976

S.O. 3352.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1144 dated the 1st March, 1976, the Central Government hereby exempts Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1976, up to and inclusive of the 30th June, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official

has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for grant of exemption took time. However, it is certified that the condition under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/13/76-HI]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

का० आ० 3353.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 5170 तारीख 1, नवम्बर, 1975 के अनुक्रम में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (परिष्करण शालाएं और पाईप लाइन खण्ड) कानपुर, टी/स्टेशन, डाकघर, आरमापुर, कानपुर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 31 अगस्त, 1976 से 30 अगस्त, 1977 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा किए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस० 38014(27)/76-एच०आई०]

New Delhi the 3rd September, 1976

S.O. 3353.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 5170 dated the 1st November, 1975 the Central Government hereby exempts the Indian Oil Corporation Limited (Refineries and Pipe Lines Division) Kanpur T/Station, Post Office Armapore, Kanpur from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 31st August, 1976 upto and inclusive of the 30th August, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due form it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under subsection (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons nd payment

of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee, or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment office or other premises.

[No. S-38014/27/76-III]

का० आ० 3354—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा के नाभिकीय ईंधन काम्पलेक्स, हैदराबाद के कर्मचारियों को सारत: उसी प्रकार की प्रसुविधाएं अन्य रूप में प्राप्त हैं जैसी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित हैं;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे रूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सम्बन्ध में संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए नियोजक का आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[संख्या एस०-38014(62)/73-एच०आई०]

S.O. 3354.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Nuclear Fuel Complex Hyderabad belonging to the Government of India in the Department of Atomic Energy are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for the period from 1st January, 1973 upo and inclusive of the 31st December, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application of the employer for grant of exemption was received late. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption wih retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/62/73-HI]

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1976

का० आ० 3355.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप पैरा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 237 तारीख 18 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे "अध्यक्ष" शीर्षक के अधीन क्रम स० 1 के स्थापन पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग, हैदराबाद।	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

[फा०-20012(1)/73-पी०एफ० II]

New Delhi, the 7th September, 1976

S.O. 3355.—In pursuance of clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 237 dated the 18th December, 1975, namely :—

In the said notification, under the heading Chairman for the entry against serial No. 2 the following entry shall be substituted, namely :—

The Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment and Technical Education Department, Hyderabad.	Appointed by the Central Government.

[V-20012(1)/73-PF. II]

का० आ० 3356.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, अवर सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली, को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 236, तारीख 16 दिसम्बर, 1975 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 4 के सामने, प्रथम स्तम्भ में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

"अवर सचिव
भारत सरकार,
औद्योगिक विकास विभाग,
नई दिल्ली।"

[सं० चार० 20012(1)/75-पी०एफ० II]

S.O. 3356.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints the Under Secretary to the Government of India, Department of Industrial Development, New Delhi, as a member of the Central Board of Trustees and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S. O. 236, dated the 16th December, 1975, namely :—

In the said notification, against serial number 4, for the existing entry in the first column, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Under Secretary to the Government of India, Department of Industrial Development, New Delhi."

[No. V-20012(1)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1976

का० आ० 3357.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4008 तारीख 21 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम स० 3, 14 और 15 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"3 संयुक्त सचिव, कोयला विभाग,
नई दिल्ली।

14 श्री एस० एन० पाण्डे,
निदेशक (कार्मिक)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कार्मिक भवन, मरायढेला, धनबाद।

15 श्री ओ० महीपती,
प्रधान कार्मिक प्रभाग,
कोल इण्डिया लिमिटेड,
कलकत्ता।"

[V-21012(1)/75-पी० एफ० I]
एस० एस० महलानामन, उप सचिव

New Delhi, the 9th September, 1976

S.O. 3357.—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (e) of sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabi-

litation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4008 dated the 21st November, 1972 namely :—

In the said notification for the entries against serial Nos. 3, 14 and 15, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"3. Joint Secretary, Department of Coal, New Delhi.

14 Shri S. N. Pandey, Director (Personnel) Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhawan, Saraidhella, Dhanbad.

15. Shri O. Maheepathi, Chief of Personnel Division Coal India Limited, Calcutta."

[No. V-21012(1)/75-PF. I]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd September, 1976

S.O. 3358.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Golukdih Colliery of Messrs South Golukdih Coal Company Private Limited, Post Office Jharia, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st August, 1976.

कार्यालय, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या-1

धनबाद

प्रतिप्रेषण संख्या 62 सन 1971

मंत्रालय का आदेश संख्या एल-2012/151/71-एल-आर-11, दिनांक 17 सितम्बर, 71

पक्ष : प्रबंधक, साउथ गोलकडीह कोलियरीज, मैसर्स साउथ गोलकडीह कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद

बनाम

उनके श्रमिक।

प्रस्तुत: श्री जस्टीस कुज बिहारी श्रीवास्तव (अवकाश प्राप्त), पीठासीन पदाधिकारी

उपसमिति:

प्रबंधक पक्ष से : श्री प्रणान्त बर्मन, जूनियर ला आफिसर और श्री इन्द्रदेव सिंह, सीनियर परसनल आफिसर

श्रमिक पक्ष से : कोई नहीं।

राज्य : बिहार उद्योग : कोयला।

दिनांक, 27 अगस्त, 1976

एवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 10, उप-धारा (1) (डी) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण के पास निर्णय हेतु भेजा है। विषय यह है :—

क्या मैसर्स साउथ गोलकडीह कोलियरीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साउथ गोलकडीह खान के प्रबंधक का श्री काली पद बनर्जी, माइनिंग सरकार, को उनके पद से पहली मई सन् 1971 से निकाल देने का आदेश उचित है ? यदि उचित नहीं है, तो श्री काली पद बनर्जी किस सहायता के अधिकारी हैं।

(2) प्रतिप्रेषण के प्राप्त होने के पश्चात् कोलियरी कंपनी और श्री काली पद बनर्जी को अपने-अपने लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया।

(3) काली पद बनर्जी ने अपने लिखित वक्तव्य में यह कहा है कि वह संबंधित कोथला खान में 14 जुलाई सन् 1960 से माइनिंग सरदार के पद पर काम कर रहे थे और 26 मई सन् 1972 को अवकाश प्राप्त करते। खान सुरक्षा निदेशालय के महानिदेशक ने उनको अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी सन् 1971 से आंखों में खराबी होने के कारण काम करने से वंचित कर दिया। उन्होंने अपने आंख का इलाज करवाया और चश्मा लगाना शुरू किया और उसके पश्चात् 7 अप्रैल सन् 1971 को वह खान सुरक्षा निदेशालय में दुबारा डाक्टरी जांच के लिए उपस्थित हुए और काम करने के लिए स्वस्थ पाये गये और उनका माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट निदेशालय के पत्र दिनांक 23 अप्रैल सन् 1971 के आधार पर 26 मई सन् 1972 तक के लिए बहाल कर दिया गया। फिर भी प्रबंधक ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल सन् 1971 से उनको यह लिखा कि वे मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य योग्यता का प्रस्तुत करें। श्री काली पद बनर्जी ने निदेशालय का सर्टिफिकेट प्रबंधक के सामने 29 अप्रैल सन् 1971 को पेश किया फिर भी प्रबंधक ने अपने पत्र दिनांक 30 अप्रैल सन् 1971 से उनको उनके पद से पहली मई सन् 1971 से यह कारण देते हुए हटा दिया कि उन्होंने सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। अतः उनकी मांग यह है कि वे 26 मई सन् 1972 तक काम करना चाहते हैं और उनको पहली मई सन् 1971 से पद पर बहाल किया जाए और बहाली 26 मई सन् 1972 तक रहे और इस बीच की पूरी मजदूरी इत्यादि उनको दिलाई जाए।

(4) 3 नवम्बर सन् 1971 को श्री काली पद बनर्जी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि चूंकि संबंधित कोथला खान का प्रबंध कोकिंग कोल माइन्स (एमरजेन्सी प्रोविजन्स) अध्यादेश के अन्तर्गत कस्टोडियन जनरल के पास चला गया है अतः कस्टोडियन जनरल फरीक बनाए जाएं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कस्टोडियन जनरल फरीक बना दिए जायं। उन्होंने यह कहा कि श्री बनर्जी पद से पहली मई सन् 1971 से हटाए गये हैं और उन्होंने (कस्टोडियन जनरल) प्रबंध अपने हाथों में 17 अक्टूबर सन् 1971 को लिया है अतः उनके और श्री बनर्जी के बीच में कोई विवाद नहीं है और न ही वह उनके निकाले जाने के मामले से संबंधित हैं और न उनका उनके लिए कोई दायित्व है।

(5) खान के मालिक ने अपने लिखित वक्तव्य में यह कहा है कि विवाद व्यक्तिक है न कि औद्योगिक और चूंकि व्यक्तिक विवाद को किसी श्रमिक संघ ने नहीं खड़ा किया है इसलिए भारत सरकार को इस विवाद को इस न्यायाधिकरण में निर्णय के लिए भेजने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक रूप से किया जाय और उसके पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो वे एक अतिरिक्त लिखित वक्तव्य और देंगे जिसमें श्री बनर्जी के वक्तव्य का उत्तर होगा।

(6) इस प्रश्न पर श्री ए० सी० सेन जो उस समय पीठासीन पदाधिकारी थे ने अपना निर्णय 13 जनवरी सन् 1972 को दिया और वह निर्णय यह था कि भारत सरकार को इस विवाद को इस न्यायाधिकरण में भेजने का कोई अधिकार नहीं था। इस निर्णय के विरुद्ध श्री काली पद बनर्जी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका 852 सन् 1972 दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय 8 सितम्बर सन् 1975 को दिया और यह कहा कि भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह इस विवाद को इस न्यायाधिकरण से निर्णय के लिए भेजे।

(7) कस्टोडियन जनरल की जगह पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है संबंधित कोथला खान की मालिक कोकिंग कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत पहली मई सन् 1972 से हो गई। उन्होंने एक पृथक वक्तव्य 28 जुलाई सन् 1976 को दाखिल

किया और यह कहा कि उक्त अधिनियम के धारा 9 तथा धारा 28 के आधार पर उनका कोई दायित्व नही है और न कोई निर्णय उनके खिलाफ दिया जा सकता है ।

(8) खान के पुराने मालिक और श्री काली पद बनर्जी को रजिट्री नोटिस 12 मई सन् 1976 को दी गई कि मुकद्मे की पेशी 21 जून सन् 1976 को होगी । मालिको पर नोटिस तामिल हो गई और एक्नालेज-मेन्ट सर्विस के बाद न्यायाधिकरण को प्राप्त हो गया परन्तु वे निर्धारित तारीख पर हाजिर नही हुए । श्री काली पद बनर्जी के लिए जो रजिट्री पत्र भेजा गया था वह उनके घर के किसी व्यक्ति को मिल गया और एक्नालेजमेन्ट वापस आ गया । परन्तु वे भी हाजिर नही हुए । 21 जून सन् 1976 को पेशी बढ़ाकर 28 जुलाई सन् 1976 कर दी गई और उस दिन बी० सी० सी० एल० के तरफ से यह कहा गया कि श्री काली पद बनर्जी का स्वर्गवास हो गया । उनको यह आदेश दिया गया कि वह इस बात का एक शपथ-पत्र 26 अगस्त सन् 1976 को दाखिल करे । 26 अगस्त सन् 1976 को पेशी होने की सूचना खान के मालिक को द्वारा रजिस्ट्री दी गई । यह रजिस्ट्री पत्र वापस आ गया क्योकि उन्होने लेने से इन्कार कर दिया । एक दूसरी नोटीस फिर रजिस्ट्री द्वारा भेजी गई और उनके वकील श्री पी० के० बोस को भी नोटिस दी गई कि वे 26 अगस्त सन् 1976 को हाजिर होगे । आज पेशी के समय बी० सी० सी० एल० की ओर से श्री प्रशान्त वर्मन और श्री इन्द्रदेव सिह उपस्थित हुए । पुराने मालिक बावजूद कई नोटिसो के हाजिर नही हो रहे हैं । श्री काली पद बनर्जी का स्वर्गवास हो चुका है । व्यक्तिक विवाद होने के कारण किसी श्रमिक सघ को नोटिस नही दी जा सकती और न यह मालूम ही है कि कौन सम्बन्धित श्रमिक सघ है । श्री प्रशान्त वर्मन और श्री इन्द्रदेव सिह को नही मालूम है कि श्री काली पद बनर्जी के कानूनी वारीसान कौन हैं जिनको नोटिस दी जा सके।

(9) जहां तक श्री काली पद बनर्जी और बी० सी० सी० एल० का प्रश्न है यह साफ जाहिर है कि इस गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग के खिलाफ कोई निर्णय नही दिया जा सकता । धारा 9 मे यह प्रावधान है कि यदि कोई मामला निर्धारित दिवस के पहले का है, तो कोई निर्णय गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग के विरुद्ध नही दिया जा सकता अत कोई निर्णय इनके विरुद्ध नही दिया जा सकता । यदि दिया जा सकता है तो केवल पुराने मालिक के खिलाफ।

(10) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है मालिक हाजिर ही नही होते क्योकि न हाजिर होने मे काली पद बनर्जी के देहान्त के उपरान्त उनका फायदा है । यदि काली पद बनर्जी जिवा होते तो संभवत पुराने मालिक को मजबूरन आना होता क्योकि स्वर्गीय काली पद बनर्जी के लिखित वक्तव्य मे जान है । उन्होने कई कागजात दाखिल किए थे जिनसे सभवत वे सफल हो सकते थे । परन्तु उन कागजातो को बिना साबित किए हुए मुझे पढ़ने का अधिकार नही है । वह सर्टीफाइड प्रतिलिपियां भी नही हैं और न वे पब्लिक डाकुमेन्ट्स हैं । मुझे सिवाय इसके और कोई चारा नही है कि मैं यह निर्णय दू कि कोई सहायता नही दी जा सकती क्योकि सबूत का भार श्री काली पद बनर्जी पर था कि वह साबित करते कि पद से निकालना अनुचित था और उनको पिछली मजदूरी मिलनी चाहिए और वह रकम क्या है ?

(11) मेरा एवार्ड यह है कि पद से निकालना अनुचित था इसकी कोई सबूत नही है अत किसी सहायता का प्रश्न नही उठता।

ब्रज बिहारी श्रीवास्तव, पीठासीन पदाधिकारी

[न० प्र०2012/151/51-एल०आर० II/डी III(ए) (पी० टी०)]

एल० के० नारायनन,
डेस्क पदाधिकारी

New Delhi, the 6th September, 1976

S.O. 3359.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota-2, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-76.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT JABALPUR, M.P. (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R) (41)/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota-2, Rajasthan and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—Shri Surendra Nath Gujral

For workmen—Shri M. P. Sharma.

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

Dated : July 23, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its Order No. L-29011/51/75/D. III(B) dated 19th June, 1975 for adjudication of the following dispute :—

"Whether the workman employed in Dhaneshwar Sand Stone Mine in the District of Bundi (Rajasthan) of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, wife of Shri Surendranath Gujral, Bhimgunjmandi, Kota-2 are entitled to grant of paid national and festival holidays ? If so, how many and on what occasions ?"

The parties have filed a settlement, the terms of which have been verified. The employer has agreed to grant nine paid holidays as specified in the settlement which shall form part of the award, to the workmen with effect from 1st January, 1975. The arrears of wages with respect to the past paid holidays, counted from 1st January, 1975 shall be paid by 30th June, 1976 in presence of some of the representative of the Union. The reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI. Presiding Officer
23-7-1976

[No. L-29011/51/76-D III(B)]

फार्म "एच"

(नियम 58 देखिये)

(समझौता का प्रपत्र)

पक्षकारो के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि परमजीत कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ गुजराल

श्रमिक प्रतिनिधि श्री महावीर प्रसाद शर्मा

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर खान मजदूर सघ कोटा ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों के सवेतन अवकाश का श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु समझौता वार्ता असफल रही और विवाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, जबलपुर को भेज दिया गया । पुन नियोजक ने विवाद को आपसी विचार विनिमय के बाद निम्नलिखित समझौता सम्पादन किया गया ।

समझौता की शर्तें

1. यह है कि नियोजक निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों के सवेतन अवकाश वर्ष 75 के प्रारम्भ से ही दिया जाना स्वीकार करते हैं:—

1. 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस	एक दिन
2 होली धुलेन्डी . .	,,
3. 1 मई मजदूर दिवस . .	,,
4 रक्षाबन्धन . .	,,
5. कृष्णा जन्माष्टमी . .	,,
6 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस .	,,
7. दीपावली . .	,,
8 2 अक्टूबर गाधी जयन्ती .	,,
9. दशहरा . .	,,

2 उपरोक्त चरण न० 1 मे देय भुगतान दिनांक 30 जून 76 तक भुगतान किया जाना स्वीकार करते है।

(सुरेन्द्र नाथ गुजराल) (महावीर प्रसाद शर्मा)
नियोजक प्रतिनिधि श्रमिक प्रतिनिधि

साक्षी नं० 1 राम कलन

साक्षी न० 2 रमेशचन्द्र
कोटा

दिनांक 28-5-76

S. N. JOHRI, Presiding Officer,

S.O. 3360.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kukra Stone Mine of Messrs West Suket Labour Contractors Cooperative Society Limited, Post Office, Suket, District Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.) (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case reference No. CGIT/LS(R) (16)/1976

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kukra Stone Mine of Messrs West Suket Labour contractors Cooperative Society Limited, Post Office Suket, District Kota, and their workmen represented through the Rashtriya Mazdoor Sangh, P. O. Ramgunjmandi Distt Kota (Raj.)

APPEARANCES :

For employers—Shri Lukman, President of the Society.

For workmen—Shri Ram Gopal

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

Dated : July 24, 1976

AWARD

Government of India in the Ministry of Labour has by its Order No. L-29011/70/74-LR. IV-D.O. 3(B) dated 23rd March, 1975 referred the question of justification of the following demands raised by the Union : —

1. Increase in wages of Coolies, Beldars, Stone Cutters and monthly paid staff.
2. Issue of subsidised rations as it being done by the managements of the neighbouring mines of the area.
3. Payment of bouns at the rate of 20% of the wages earned by them for the accounting years 1972-73 and 1973-74 ?

The reference wants this Tribunal to decide as to what relief in case of justification of demands and from which date would the workmen be entitled to.

The parties have agreed that the employer's Cooperative Society shall pay to all the piece rated workmen @ 0.20 P. per day from 1st July, 1974 to 31st January, 1975 as additional wages except that to the piece rated workers viz. Stone Cutter additional payment shall be made @ 0.20 P. per 100 Sq. ft. The employer shall further by bonus to all the workmen @ 8% for the years 1972-73 and 1973-74 each year beginning with the 1st of July. The bonus shall be paid by 15th August, 1976 in presence of some office bearer of the Union. The rest of the demands raised by the Union and referred to this Tribunal by the Government stand withdrawn. Award is given in terms of the settlement, copy of which shall form part of it. Parties shall bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer,
24-7-1976
[No. L-29011/70/74-D III (B)]

केस नं० सी० जी० आई० टी०/एल०सी० (आर) (16)/75

समझौता-पत्र

फार्म "एच"
(देखिए नियम 58)
कोटा, दिनांक 24-7-76

प्रबन्धक प्रतिनिधि .. श्री लुकमान भाई,
अध्यक्ष, वैस्ट सुकेत लेबर कन्टाक्टर,
सहकारी समिति लिमिटेड,
सुकेत जिला कोटा (राजस्थान)

यूनियन प्रतिनिधि .. श्री रामगोपाल गुप्ता (अधिकृत प्रतिनिधि),
कोषाध्यक्ष एव आफिस सेक्रेटरी,
राष्ट्रीय मजदूर सघ,
रामगजमण्डी।

विवाद का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय मजदूर सघ रामगजमण्डी ने माह जुलाई सन् 1974 में श्रामको की एवं कर्मचारियो की वेतन वृद्धि तथा सन् 1972-73 व 1973-74 का बोनस भुगतान किये जाने हेतु एक मांग पत्र दिया जिसका उपरोक्त सहकारी समिति की ओर से कोई सन्तोषप्रद जवाब नही आने पर संघ ने अपना एक मांग पत्र श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय कोटा को प्रेषित किया। श्रीमान् सहायक श्रम आयुक्त एव समझौता अधिकारी कोटा ने दोनो पक्षो को समझौता वार्ता हेतु बुलाया लेकिन दोनो पक्षो में इस विवाद पर कोई समझौता नही हो सका, श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त महोदय, केन्द्रीय कोटा ने अपना आखिरी असफल प्रतिवेदन भारत सरकार के श्रम विभाग को भेज दिया वहां से इस विवाद को निर्णयार्थ माननीय प्रसाइडिग आफीसर साहब सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट जबलपुर को भेजा गया जिस पर माननीय प्रीसाइडिग आफीसर साहब ने सुनवाई हेतु 19 मई सन् 1976 व 22 जुलाई सन् 1976 व 24 जुलाई सन् 1976 की तारीख पेशी नियत थी।

इस विवाद तक दोनो पक्षो में दिनांक 24 जुलाई सन् 1976 को विचार विमर्श हुआ और उसके फलस्वरूप औद्योगिक सम्बन्ध मधुर बनाये रखने के लिये निम्नलिखित समझौता सम्पन्न किया।

समझौता की शर्तें

1. दोनों पक्षों में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि वैस्ट सुकेत कोऑपरेटिव लेबर कन्टाक्टर सहकारी समिति लिमिटेड सुकेत की खदान

कूकडा पर कार्यरत सभी श्रमिकों को एक जुलाई सन् 1974 से 31 जनवरी सन् 1975 तक का भुगतान 4 रुपये के स्थान पर 4.20 पै० प्रतिदिन के हिसाब से अर्थात् 20 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करेंगे। तथा इसी खदान मे काम करने वाले सैकडिया (स्टोन कटर) को 20 पैसे प्रति सौ इसक्वायर फिट के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करेंगे ।

2. संघ ने मांग नं० 2 को वापिस कर लिया।

3. दोनो पक्षों में विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि सन् 1972-73 (1 जुलाई 1972 से 30 जून 1973 तक) एवं सन् 1973-74 (1 जुलाई 1973 से 30 जून 1974 तक) दो साल का बोनस 8 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जावेगा ।

4. उपरोक्त समस्त भुगतान 15 अक्तूबर सन् 1976 तक कर दिये जावेंगे तथा भुगतान होने की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी जावेगी ।

5. यह सभी भुगतान संघ के पदाधिकारियों के समक्ष किये जावेंगे।

हस्ताक्षर व्यवस्थापक (लुकमान भाई) अध्यक्ष,

हस्ताक्षर यूनियन प्रतिनिधि (रामगोपाल गुप्ता) अधिकृत प्रतिनिधि एवं कोषाध्यक्ष,

वैस्ट सुकेत कोआपरेटिव लेबर, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंजमण्डी जिला कोटा

कान्ट्राक्टर सोसायटी लिमिटेड (राजस्थान).

रजिस्ट्रेशन नं० 1434 सुकेत

तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

(राजस्थान)

दिनांक 24-7-76

1. गवाह : गंगाराम जारवा, 2. गवाह : महावीर प्रसाद शर्मा

एस० एन० जौहरी प्रिजाइडिंग आफिसर

S.O. 3361.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Satalkheri Sand Stone Mine of Messrs Raj Flooring Stone Company, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi district Kota and their workman, which was received by the Central Government on 24-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.) (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Reference No. CGIT/LC (R) (15)/1975

PARTIES :

Employer in relation to the management of Satalkheri Sand Stone Mine of Messrs Raj Flooring Stone Company, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota, and their workman represented through the President, Rashtriya Mazdoor Sangh, Post Office Ramgunjmandi, District Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employer—Shri Sakhi Ahmed.

For workmen—Shri Swadhin Kumar Sharma.

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

Dated July 22, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-29011/71/74-D. O. 3(B) dated 3rd March, 1975 for adjudication of the following dispute :—

"Whether the following demands of the workmen of Satalkheri Sand Stone Mine of Messrs Raj Flooring Stone Company, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota, are justified ? If so, to what relief and from what date are the workmen entitled ?

Demands

(1) Increase in wages of coolies, Beldars, Stone Cutters and monthly paid staff.

(2) Issue of subsidised rations as is being done by the managements of neighbouring mines of the area.

Parties filed a settlement according to which the employer shall pay the Stone Cutters @ 0.20 P per 107 Sq. Ft. stone cutting and to the other daily rated workmen @ 0.20 P. per day from 1st July, 1974 to 31st January, 1975, within one month in presence of the representative of the Union and the parties shall within 15 days from 22nd August 1976 inform the Labour Department of the Government of India of the fact that such arrears have been paid. The Union withdraws the rest of the demands. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award. Parties will bear their own costs.

22nd July, 1976.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-29011/71/74-D III (B)]

विवाद सं० सीजीआईटी/ए सी/आर/15/75

समझौता-पक्ष

फार्म "एच"

[देखिये नियम 58]

कोटा, 22 जुलाई 1976

प्रबन्धक प्रतिनिधि . . श्री सखी अहमद, पार्टनर मैसर्स राज फिलोरिंग कम्पनी खान मालिक सातल खेड़ी, मु० रामगंज मण्डी जिला कोटा (राजस्थान)

यूनियन प्रतिनिधि . . 1. स्वाधीन कुमार शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी

2. रामगोपाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष एवं ओफिस सेक्रेटरी, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंजमण्डी ।

विवाद का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी ने जुलाई सन् 1974 में एक मांग पत्र श्रमिकों व कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का श्री प्रबन्धक राज फिलोरिंग स्टोन कम्पनी रामगंजमण्डी को दिया था जिसका सन्तोष प्रद जवाब नहीं आने पर संघ द्वारा यह केस माननीय सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय कोटा को प्रस्तुत किया जहां दोनों पक्षो में समझौता वार्ता सफल नहीं होने से यह केस भारत सरकार ने माननीय प्रसाइडिंग आफिसर साहब सेन्ट्रल जबलपुर को निर्णयार्थ भेज दिया जिसमें माननीय प्रसाईडिंग आफीसर साहब ने दोनों पक्षों को 6 मई सन् 1976 व 22 जुलाई सन् 1976 की तारीख पेशी नियत की थी।

इस विवाद पर दोनों पक्षों में दिनांक 22 जुलाई सन् 1976 को आपसी विचार-विमर्श हुआ और उसके फलस्वरूप निम्नलिखित समझौता सम्पन्न किया।

समझौते की शर्तें

दोनों पक्षों में काफी विचार विमर्श होने पर तय पाया कि श्री राज फिलोरिंग स्टोन कम्पनी अपनी खदान सातल खेड़ी पर कार्यरत श्रमिकों को बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुये प्रतिदिन 4 रुपये के स्थान पर 4 रु० 20 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 1 जुलाई सन् 1974 से 31 जनवरी, सन् 1975 तक का एरियर भुगतान करेंगे ।

2. खानो पर कार्य करने वाले सकडिया (स्टोन कटर) को 5.40 रु० के स्थान पर 5.60 पै० प्रति 107 वर्ग फुट पत्थर कटाई के हिसाब से एक जुलाई सन् 1974 से 31 जनवरी सन् 1975 तक का एरियर भुगतान करेगें ।

3. दोनों पक्ष इस एरियर का भुगतान हो जाने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर भारत सरकार के श्रम विभाग को इसकी सूचना भेज देंगे।

4. उपरोक्त एरियर की रकम श्री राज फिलोरिंग स्टोन कम्पनी द्वारा एक माह के अन्दर यूनियन के प्रतिनिधियों के समक्ष भुगतान कर देगें ।

हस्ताक्षर व्यवस्थापक प्रतिनिधि (श्री सखी अहमद-पार्टनर) मैसर्स राज फिलोरिंग स्टोन कम्पनी, रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)	हस्ताक्षर यूनियन प्रतिनिधि (स्वाधीनकुमार शर्मा) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी जिला कोटा
दिनांक 22-7-76	2. रामगोपाल गुप्ता कोषाध्यक्ष एव आफिस सेक्रेटरी राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी
1. गवाह शफी मोहम्मद	2. गवाह महावीर प्रसाद शर्मा

S. N. JOHRI, Presiding Officer

S.O. 3362.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gudda Lambakho and Borabas Sand Stone Mines of Shri Kahan Singh Mine Owner, Kota and their workmen which was received by the Central Government on the 24-8-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.) (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Reference No. CGIT/LC(R)(53)/75

PARTIES :

Employers in relation to the management of Gudda Lambakho and Borabas Sand Stone Mines of Shri Kahan Singh Mine Owner, Kota and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—Shri Anand Singh

For workmen—Shri M. P. Sharma

INDUSTRY : Stone Mine—DISTRICT : Kota (Rajasthan).

Dated : July 21, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011/108/75/DIIIB dated 23rd August, 1975 for adjudication of the following industrial dispute by this Tribunal :—

"Whether the demand of the workmen employed in Borabas Sand Stone Mines in Kota district and Lambakho and Gudda Sand Stone Mines in Bundi district of Shri Kahan Singh, Mine Owner, Surajpol Kota for payment of Profit Sharing Bonus @ 20% of wages for the accounting years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is justified ? If not, to what quantum of bonus are the said workmen entitled for each of these years ?"

The parties have entered into a settlement according to which the employer has agreed to pay 10% bonus only for the years 1971-72 to 1973-74 to all the employees by 30th August, 1976 in presence of the representative of the Union. The award is given in terms of the settlement arrived at between the parties which shall form part of the award. Parties shall bear their own costs.

[No. L-29011/108/75-D III (B)]
S. N. JOHRI, Presiding Officer.
21-7-1976.

Case No. CGIT/LC/(R)/53/75

समझौता का पत्र

सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैंप, कोटा

केस न० सी०जी० आई० टी०/53/75

पक्षकारों के नाम

नियोजक प्रतिनिधि	आनन्द सिंह आफ्मज श्री हीरालाल जी मेनेजर गुमान पुरा कोटा ।
श्रमिक प्रतिनिधि	श्री महावीर प्रसाद शर्मा अध्यक्ष पत्थर खान मजदूर संघ कोटा

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर खान मजदूर संघ कोटा ने औद्योगिक विवाद बोनस भुगतान हेतु 20 प्रतिशत की दर से वर्ष 1965-66 से 1973-74 वर्ष का सैन्ड स्टोन माइन राजपुरा जिला बून्दी तथा बोरावास जिला कोटा की खान में काम करने वाले समस्त श्रमिको के लिये श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु समझौता वार्ता असफल रही । पुनः नियोजक ने विवाद को आपसी विचार विनिमय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव संघ के समक्ष रक्खा । अतएव दोनों पक्षकारों में काफी विचार विनिमय के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों पर समझौता सम्पादन किया गया ।

समझौते की शर्तें

1 यह है कि नियोजक श्री कानसिंह की राजपुरा जिला बून्दी तथा बोरावास जिला कोटा की सेण्ड स्टोन माइन में काम करने वाले समस्त श्रमिकों को वर्ष 1971-72, 73 व 1973-74 की बोनस रकम 10 प्रतिशत की दर से देना स्वीकार किया ।

2. यह कि प्रथम चरण में वर्णित बोनस की रकम समस्त श्रमिकों को 30 अगस्त, 1976 तक भुगतान करदी जाना स्वीकार किया गया ।

3. यह कि बोनस की रकम भुगतान श्रमिक प्रतिनिधि के समक्ष किया जावेगा ।

हस्ताक्षर, आनन्द सिंह नियोजक प्रतिनिधि कोटा दिनांक 21-7-76	हस्ताक्षर, महावीर प्रशाद शर्मा श्रमिक प्रतिनिधि

S. N. JOHRI, Presiding Officer

S.O. 3363.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindustan Steel Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 23-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 48 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindustan Steel Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri J. N. Chatterjee, Advocate, with—Shri P. K. Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen—Shri M. M. Saha, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Washery.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-19012/19/74-LRII/D.O. IIIB dated 23rd July, 1975, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindusthan Steel Limited ond their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the action of the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindustan Steel Limited, Post Office Santaldih, District Purulia, West Bengal, in terminating the lien of Shri Ram Barai, Watchman, with effect from 4th May, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled and from which date ?"

2. Shi Ram Barai was a watchman in the Watch & Ward section of Bhojudih Coal Washery, Distric Purulia, West Bengal, of Messrs Hindustan Steel Limited, His service was terminated on the basic of an order dated 28-5-74 by the Personnel Officer of the Coal Washery unit on the ground that he exceeded the period of leave and stayed back unitl 28-5-1974 with the result he lost his lien in the service on account of the provisions of Sec. 16(x) of the Standing Order which is applicable to the employees of Bhojudih Coal Washery. The Standing Order is marked as Ext. W-3.

3. The workman was granted earned leave for a period of 15 days from 19-4-1974 to 3-5-1974 vide his application Ext. M-16 dated 15/4/74. The workman belongs to the State Uttar Pradesh. While he was on leave, first he sent Ext. M-18 application for extension of his leave from 4-5-1974 to 13-5-1974. He should have joined duty on 4-5-74 on the expiry of the period of his leave which was originally granted to him. But the workman could not return to duty. So, on 11-5-1974 he sent Ext. M-17 telegram for extension of leave on account of railway strike. It is admitted that there was a railways strike from 8-5-1974 to 25th May, 1974. The management did not take any action either on the first letter dated 1-5-74 or Ext. M-17 telegram dated 11-5-1974. Thereafter the workman sent another letter for extension of his leave vide Ext. M-19 dt. 15-5-74 requesting for extension of leave upto 30-5-1974. The management did not take any action on that letter also. The workman returned to duty on 28-5-74 with an application Ext. M 20. He stated in that application that he could not report to duty earlier as his wife was ill from 1-5-74 to 13-5-74. His explanation was not accepted and the Personnel Officer vide Ext. M-22 order dated 28-5-74 terminated his service in terms of Sec. 16(x) of the Standing Order. That order was follows up by the Washery Manager passing another order Ext. M-21 dt. 1-6-74 that his explanation for extension of leave beyond 3rd May, 1974 was not satisfactory; hence the termination of service under Sec. 16.(x) was held to be valid. The workman filed Ext. M-23 a further explanation for permitting him to join duty but he was not permitted to resume duty. There was a conciliation by the Assistant Labour Commissioner, Central, Assansol but it had no effect and hence the matter was referred to this tribunal by the Labour Ministry of the Central Government for adjudication.

4. The management stated that the termination of service of the workman was justified in the circumstance of the case. According to them the worman stated in one letter that he wanted extension of leave due to some work and in another letter he wanted extension on account of wife's illness. So the management found that the contradictory statements could not be accepted and therefore the explanation of the workman that he would be entitled to leave from 4-5-74 to 13-5-74 was not entertained with the result his absence without leave was alleged to come within the mischief of Sec. 16(x) of the Standing orders on account of which he ceased to be a workman. Accordingly, they state that the worman is not entitled to any relief.

5. The management has also put forward a contention that the appropriate Government to refer the alleged industrial dispute in the instant case is not the Centrl Government but it is the State Government which is the Government of West Bengal.

6. In support of the above contention both parties led evidence in the case. On behalf of the management the Assistant Personnel Officer is examined as MW 1 and the workman is examined as WW-1 and the Secretary of the union as WW-2. The parties have also produced some documents in the case.

7. In order of priority we have to take up the preliminary objection as regards the maintainability of the reference on the basis of the order of reference passed by the Central Government. Before we deal with that question it is necessary to state few facts regarding the nature of the unit in which the workman was employed. It is in evidence that Hindustan Steel Limited is the main company under which the Central Coal Washer Organisation in Dhanbad is a unit. Under the Coal Washery Organisation at Dhanbad there are four other units, two at Dugdha, one at Pathardih and the last one at Bhojudih. The work of the Dhanbad unit and the subsidiary units is to purchase raw coal from mines and to process the coal at these units chemically through machineries installed in those units and after purification of the coal they send the purified product to the Hindustand Steel Limited for production of steel. The subsidiary units are under the control and management of the Central Coal Washery Organisation at Dhanbad and the Dhanbad unit as well as the subsidiary units are under the Hindustan Steel Limited. But the contention of the learned counsel of the company is that the Dhanbad unit and other units are separate organisations having their own staff and they maintain separate accounts. They prepare their own Profit and Loss Account. The Manager at Dhanbad supervises the work of other units. They disburse the pay of the employees separately in each of the units and finally they submit the profit and loss account to the Hindustan Steel Limited which in its turn incorporate the profit and loss account of the washeries in their balancesheet. The Hindustan Steel Limited is a Public Limited Company registered under the Companies Act having a Managing Director and a Board of Directors in charge of the management. They constitute a separate entity and as such they manage their affairs as a Limited company though the company is under the control an dthe management of the Government of India through the Ministry of Steel & Mines.

8. The question for us to consider in the facts and circumstances of the case is whether the Central Government is competent to refer the dispute to this Tribunal for adjudication. The relevant section under which the Central Government made the Reference is Section 2(a) of the Industrial Disputes Act, 1947, which reads :

"(a) appropriate Government means—

(i) in relation to any industrial dispute concerning ***any industry carried on by or under the authority of the Central Government, **(the rest of the portions are not relevant for our purpose), the Central Government, and

(ii) in relation to any other industrial dispute, the State Government."

In construring "carried on by or under the authority of the Central Government" in the definition of appropriate government in Sec. 2(a) of the Act, there being nothing to the contrary in that provision the word "authority" must be construed according to its ordinary meaning and therefore must mean a legal power given by one person to another to act. It is therefore clear that the phrase is intended to apply to an industry carried on directly under the authority of the Central Government. For an industry to be carried on under the authority of the Central Government, it must be an industry beloning to the Central Government, that is to say, its undertaking. The expression "carried on by or under the authority of the Central Government" involves a direct nexus that the industry is run through the servants or agents of the Central Government. This expression is very succinctly brought out in a decision reported in the case of Heavy Engineering Mazdoor Union v The State of Bihar, AIR 1970, Supreme Court, 82(1969 II LIJ 549). It reads :—

"A person is said to be authorised or to to have an authority when he is such a position that he can act in a certain manner without incurring liability, to which he would be exposed but for the authority, or, so as to produce the same effect as if the person granting the authority had for himself done the act. For instance, if A authorises B to sell certain goods for and on his behalf and B does so, B incurs no liability for so doing in respect of such goods and confers a good title on the purchaser. There clearly arises in such a case the relationship of a principal and an agent. The words 'under the authority of mean pursuant to the authority, such as where an agent or a servant acts under or pursuant to the authority of his principal or master. Can the respondent company, therefore, be said to be carrying on its business pursuant to the authority of hte Central Government ? That obviously cannot be said of a company incorporated under the Companies Act whose constitution, powers and functions are provided for and regulated by its memorandum of association and the articles of association."

The above observation makes it necessary for us to consider the position of the Hindustan Steel Limited on one side and its branch units on the other. Hindustan Steel Limited is an incorporated company. It has got a separate existence. The law recognises it as juristic person separate and distinct from its members. This is due to the fact that it emerges from the moment of its incorporation and from that date the persons subscribing to its memorandum of association and others joining it as members are regarded as a body incorporate or a corporation aggregate and the new person begins to function as in entity. On this aspect also the above referred decision made its own conclusion. That part of the decision reads as follows which is at page 46 of the AIR :

"It is true that besides the Central Government having contributed the entire share capital, extensive powers are conferred on it, including the power to give directions as to how the company should function, the power to appoint directors and even the power to determine the wages and salaries payable by the company to its employees. But these powers are derived from the company's memorandum of association and the articles of association and not by reason of the company being the agent of the Central Government. The question whether a corporation is an agent of the State must depend on the facts of each case. Where a statute setting up a corporation so provides, such a corporation can easily be indentified as the agent of the state as in Graham v Public Works Commissioners (4) where Phillimore, J said that the Crown does in certain cases establish with the consent of Parliament certain officials or bodies who are to be treated as agents of the Crown even though they have the power of contracting as principles. In the absence of a statutory provision, however, a commercial corporation acting on its own behalf, even though it is controlled wholly or partially by a Government department, will be ordinarily presumed not to be a servant or agent of the State. The fact that a minister appoints the members of directors of a corporation and he is entitled to call for information, to give directions which are binding on the directors and to supervise over the conduct of the business of the corporation does not render the corporation an agent of the Government. (see the State Trading Corporation of India Ltd. v The Commercial Tax Officer, Visakhapatnam (5) and Tamlin v Hannaford (6). Such an inference that the corporation is the agent of the Government may be drawn where it is performing in substance governmental and not commercial functions. (cf. London Country Territorial and Auxilary Forces Association v Nichols (7)."

9. The above observation was quoted with approval in anotherdecision of the Supreme Court reported in the case of Hindustan Aeronautics v Workmen and others, AIR 1975, Supreme Court, 1737. That was a case where the reference was made under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 by the West Bengal Government. The question was whether it was the West Bengal Government or the Central Government which was to make the reference. The concerned branch of the Hindustan Aeronautics Limited was at Barrackpore, which conducts a repair garage and other equipments for repairing Air crafts. That branch was under the Bangalore Division of the Hindusthan Aeronautics Limited. The company disputed the reference on the ground that the Central Government owned the entire bundle of shares of the company; that it appointed and removed the Board of Directors as well as the Chairman and Managing Director and that all matters of importance are reserved for decision of the President of India and ultimately executed at in accordance with his direction. On the basis of these facts it was argued that the Central Government should have made the reference. That contention was negetived by the Supreme Court. It held that the appropriate Government under Sec. 2(a)(i) from time to time had amended taking in statutory corporations incorporated in the definition to make the Central Government the appropriate Government in relation to industry carried on by them. It was pointed out that no public company even if the shares were exclusively owned by the Government was attempted to be roped in the said definition. In paragraph 4 of that judgment it was further found that the Barrackpore branch was an industry carried on by the company as a separate unit. The workers were receiving their pay at Barrackpore and were under the control of the officers of the company stationed there. On the basis of those considerations it was held that the West Bengal Government was the appropriate Government to make the reference. On a consideration of the decision it has to be held in the instant case that the appropriate Government to make the reference in respect of the industrial dispute in question is the State of West Bengal and not the Central Government.

(6) 1950 (1) K. B. 18 at 25, 26; (7) 1948 (2) All. E. R. 432.

10. If the Hindusthan Steel Limited is considered as the parent body under which the washery units work, it has to be said that it is a separate entity on account of the management of that entity by the Managing Director and the members of the Board of Directors. The fact that the Ministry of Steel & Mines control the working of the Hindusthan Steel Limited is no consideration; the Hindusthan Steel Limited being a separate entity the appropriate Government to make the reference is the State Government of West Bengal.

11. Considered conversely it has to be said that the Dhanbad Organisation and its units represent a separate entity by itself. It is in evidence that Dhanbad unit and the subsidiary units are being managed by a General Manager stationed at Dhanbad. The salary of the staff of the units is disbursed at the respective units. The day to-day management of the units was carried on through the instructions of the General Manager. They maintain a separate profit and loss account. They have a separate existence in the eye of lay and as such any dispute that arises between them and their workmen has to be referred to the Tribunal for adjudication only by the State Government and not by the Central Government. The fact that an earlier award was given by the Central Government Industrial Tribunal is not a circumstances in this case to hold that the management is not competent to raise this question in this reference. The

earlier award on the basis of a reference made by the Central Government is marked as Ext. W-7. The present dispute was not raised in that award. So, the company is not precluded from raising it in this reference. It is clear, therefore, **that the Central Government has no right to refer** the dispute to this Tribunal for adjudication as the appropriate Government to refer the dispute is the State of West Bengal.

12. In view of this finding, it is not necessary to consider the case on merits. I, therefore, find that the reference is invalid and consequently it is rejected.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-29012/19/74-I.R II/D II (B)]

Dated : Calcutta.
The 12th August, 1976

S.O. 3364.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Kalyani, Machani, Shorpa Sand Stone Mines of Messrs Tiwari Jhumarlal Swaroop Lal, Mine Owners, Karauli, Distt. Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
CAMP AT KOTA (RAJASTHAN)

Case Reference No. CGIT/LC(R)(46)/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kalyani, Machani, Shorpa Sand Stone Mines of Messrs Tiwari Jhumarlal Swaroop Lal, Mine Owners, Karauli, District Sawaimadhopur, and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E. 3/97, Near New Railway Colony, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None.

For workmen—Shri Mahabir Pradsad Sharma, President.

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : Sawaimadhopur.

Dated : July 24, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its order No. L-29011/47/75-D.O. III. B, dated 23rd July, 1975 for adjudication of the following dispute :—

"Whether the workmen employed in Kalyani, Machani, Shorpa Sand Stone Mines in Tehsil Karauli of Messrs Tiwari Jhumarlal Swaroop Lal, Mine Owners, Karauli District Sawaimadhopur, are entitled for grant of paid national and festival holidays ? If so far what holidays and from which year ?"

The case proceeded ex-parte against the employer who has not participated in the proceedings inspite of personal service of the notice. Shri M. P. Sharma has by his statement on oath proved that in the region in which this mine is situated the employers are giving paid holidays to the workmen and it is on that basis that a demand was made by the Union that Similar paid ten holidays as specified in the written statement be granted to the workmen of this Mine as well. There was no positive response from the side of the employer and he did not like to participate in the conciliation proceedings when the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central), Kota. There appears to be no reason why following the practice prevailing in this region this employer should not grant these ten paid holidays to the workmen. As such believing the testimony given by Shri M. P. Sharma an award is given that the employer should grant the following ten paid holidays to the workmen and shall pay costs of litigation Rs. 100 to the Union.

(1) 26th January (Republic Day)	One day.
(2) Holi (Dhulendi)	One day.
(3) 1st May (Labour day)	One day.
(4) Krishna Janamastmi	One day.
(5) Raksha Bandhan	One day.
(6) 15th August (Independence day)	One day.
(7) Dipawali	One day.
(8) 2nd October (Gandhi Jayanti)	One day.
(9) Dushehra	One day.
(10) Id or Local Festival	One day.

As the demand was made for the first time on 18-7-1974, the paid holidays shall be granted with effect from that date. The reference is answered accordingly.

Dated : 24-7-1976.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-29011/47/75-DIII(B)]

S.O. 3365.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota-2, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR, M.P. (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Reference No. CGIT/LC(R)(45)/1975.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota-2, Rajasthan and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—Shri Surendra Nath Gujral.

For workmen—Shri M. P. Sharma, President.

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : (Rajasthan).

Dated, July 23, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide Government Order No. L-29011/53/75-D. III B dated 23rd July, 1975 for the adjudication of the following dispute :—

"Whether the demand of the workmen employed in Dhaneswar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota, Rajasthan, for payment of profit sharing bonus @ 20 per cent of wages

for the accounting years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is justified ? If not, to what quantum of bonus are the workers entitled, for each of these years."

Parties have entered into a settlement according to which the employer shall pay bonus @ 10 per cent for the years 1971-72 to 1973-74 by 30th August, 1976 to the employees. The award is given accordingly. Settlement shall form part of the award. Parties shall bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.
[No. L-29011/53/75-D III(B)]
V. VELAYUDHAN, Under Secy.

Dated : 23-7-1976.

Case No. CGIT/LC/R/45/1975

फार्म एच

(नियम 58 देखिये)

समझौता का प्रपत्र

पक्षकारों के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि	श्री सुरेन्द्र नाथ गुजराल, अधिकृत प्रतिनिधि वास्ते श्रीमती परमजीत कौर माइन ओनर भीमगंज मंडी कोटा
श्रमिक प्रतिनिधि	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, पत्थर खान मजदूर संघ, कोटा

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर खान मजदूर संघ कोटा ने औद्योगिक विवाद बोनस अधिनियम सन् 1965 के अन्तर्गत बोनस भुगतान 20 प्रतिशत की दर से वर्ष 71-72 से 73-74 वर्ष तक का सेन्डस्टोन माइन धनेश्वर जिला बून्दी की खान में काम करने वाले समस्त श्रमिकों के लिये श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु समझौता वार्ता असफल रही। पुनः नियोजन के विवाद को आपसी विचार विनिमय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव संघ के समक्ष रखा। अतएव दोनों पक्षकारों में काफी विचार विनिमय के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों पर समझौता सम्पादन किया गया।

समझौते की शर्तें

1. यह कि नियोजक अपनी धनेश्वर सेण्डस्टोन माइन जिला बून्दी के समस्त श्रमिकों को वर्ष 71-72 से 73-74 की बोनस रकम 10 प्रतिशत की दर से देना स्वीकार करते हैं।

2. यह है कि प्रथम चरण में वर्णित बोनस की रकम समस्त श्रमिकों को 30 अगस्त, 76 तक भुगतान कर दी जावेगी।

(सुरेन्द्रनाथ गुजराल)
नियोजक प्रतिनिधि

(महावीरप्रसाद शर्मा)
श्रमिक प्रतिनिधि

साक्षी नं० 1 राम करन
साक्षी नं० 2 रमेश चन्द्र
कोटा दिनांक 23-7-76

S. N. JOHARI, Presiding Officer

New Delhi, the 9th September, 1976

S.O. 3336.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Lakheri Lime Stone Mines owned by Associated Cement Company Ltd., Post Office Lakheri, Distt. Bundi, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
CAMP AT NEW DELHI

Case Reference No. CGIT/LC(R)(29)/1974

PARTIES:

Employers in relation to the management of Lakheri Lime Stone Mines owned by Associated Cement Company Limited, Post Office Lakheri, District Bundi, Rajasthan and their workmen represented through the President Lakheri Cement Kamgar Sangh, P.O. Lakheri, District Bundi (Rajasthan).

APPEARANCES:

For employers—Shri P. S. Nair, Advocate & Shri R. R. Singh, Personnel Manager.

For workmen—Shri P. Pande, General Secretary & Shri S. L. Vyas, Joint Secretary.

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Bundi (Rajasthan)

Dated, July 31, 1976

AWARD

Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011(54)/74-LR. IV dated 15-11-1974 referred the following industrial dispute for adjudication by this Tribunal:—

"Whether the action of the management of Lakheri Lime Stone Mines of Messrs Associated Cement Company Limited, Post Office Lakheri, District, Bundi in laying off their workers in rotation from 14th May, 1974 to the 20th May, 1974 was justified ? If not, to what relief are the workers entitled ?"

The Union and the management entered into a settlement on 27-7-1976 under which as a package deal several disputes were settled by compromise between the parties. The dispute being the subject matter of several references by the State Government as well as by the Central Government were settled as a whole and so far as the present dispute under this reference is concerned the Union conceded that the said lay off of the workmen by rotation was justified. The award is given in terms of the settlement, extract of the relevant part of the settlement shall form part of the award. Parties shall bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-29011/54/74-LR-IV/DIII(B)]

Dated : 31-7-1976.

EXTRACT

COPY OF

SETTLEMENT

(3) Reference No. CGIT/LC/R(29)/74 dated 1st December, 1974 before the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur regarding justifiability of lay off of the workmen of Lakheri Limestone Mine from 14th May, 1974 to 20th May, 1974.	The Union agrees that the lay off of Mine's workers by the Company from 14th May, 1974 to 20th May, 1974 was legal and justified. The Union shall make an application within three days from the date of this Settlement to the Central Government Industrial Tribunal cum-Labour Court, Jabalpur requesting it to pass a 'No dispute' award.

Dated at Lakheri this twenty seventh day of July, 1976.

The workmen of Lakheri Cement Works and Lakheri Limestone Quarries as represented by the Lakheri Cement Kamgar Sangh.	For & on behalf of the Lakheri Cement Works and Lakheri Limestone Quarries.
	Sd/-General, Manager Lakheri Cement Works and Agent Limestone Quarries
Sd/-Rama, President	
Sd/- P. Pandey, General Secretary	

PART OF AWARD

S.N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L29011/54/74-LR-IV/DIII B]

S.O. 3367.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Satalkheri (Nayagaon) Stone Mine of Shri Sultan Akhtar, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunimandi, District Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR, M.P. (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(12)/1975

PARTIES:

Employer in relation to the management of Satalkheri (Nayagaon) Stone Mine of Shri Sultan Akhtar, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota, and their workmen represented through the President, Rashtriya Mazdoor Sangh, Post Office Ramgunjmandi, District Kota (Rajasthan).

APPEARANCES:

For employer—Shri Sakh Ahmed.

For workmen—Shri Swadhin Kumar Sharma.

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan).

AWARD

Jabalpur, July 22, 1976

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-29011/68/74-LRIV-D.O.3(B) dated 26th February, 1975 for adjudication of the following dispute:—

Whether the following demands of the workmen of Satalkheri (Nayagaon) Stone Mine of Shri Sultan Akhtar, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota are justified ? If so, to what relief and from what date the workmen are entitled ?

DEMANDS

(1) Increase in wages of Coolies, Beldars, Stone Cutters and monthly paid staff.

(2) Issue of subsidised rations as is being done by the managements of the neighbouring mines of the area.

Parties filed a settlement according to which the employer shall pay the Stone Cutters @ 0.20 Rs. per 107 Sq. Ft. Stone cutting and to the other daily rated workmen @ 0.20 Rs. per day from 1st July 1974 to 31st January, 1975, within one month in presence of the representative of the Union and the parties shall within 15 days from 22nd August 1976 inform the Labour Department of the Government of India of the fact that such arrears have been paid. The Union withdraws the rest of the demands. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award. Parties will bear their own costs.

22-7-76

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

समझौता-पत्र

फार्म "एच"

(देखिये नियम 58)

कोटा, 22 जुलाई, 1976

प्रबन्धक प्रतिनिधि :— श्री सखी अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स श्री सुल्तान अख्तर भाई खान मालिक सातल खेड़ी नया गांव पो० रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

यूनियन प्रतिनिधि :— 1. स्वाधीनकुमार शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मण्डी

2. रामगोपाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष एवं ओफिस सेक्रेटरी राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मण्डी

विवाद का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी ने जुलाई सन् 1974 में एक मांग पत्र श्रमिकों व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मैसर्स श्री सुल्तान अख्तर भाई रामगंजमण्डी को दिया था जिनका सन्तोषप्रद जवाब नहीं आने पर संघ द्वारा यह केस माननीय सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय कोटा को प्रस्तुत किया जहां दोनों पक्षों में समझौता वार्ता सफल नहीं होने से यह केस भारत सरकार के माननीय प्रजाइडिंग आफीसर साहब सेन्ट्रल जबलपुर को निर्णयार्थ भेज दिया जिसमें माननीय प्रजाइडिंग आफीसर साहब ने दोनों पक्षों को 6 मई सन् 1976 व 22 जुलाई सन् 1976 की तारीख पेशी नियत की थी।

इस विवाद पर दोनों पक्षों में दिनांक 22 जुलाई सन् 1976 को आपसी विचार विमर्श हुआ और उसके फलस्वरूप निम्नलिखित समझौता सम्पन्न किया।

समझौते की शर्तें

1. दोनों पक्षों में काफी विचार विमर्श होने पर तय पाया कि मैसर्स श्री सुल्तान अख्तर भाई खान मालिक सातल खेड़ी नयागांव ने अपनी खदान सातल खेड़ी पर कार्यरत श्रमिकों को बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुये प्रतिदिन 4 रुपये के स्थान पर 4.20 रु० प्रतिदिन के हिसाब से 1 जुलाई सन् 1974 से 31 जनवरी सन् 1975 तक का एरियर भुगतान करेंगे।

2. खानों पर कार्य करने वाले सैकडिया (स्टोन कटर) को 5.40 रु० के स्थान पर 5.60 रु० प्रति 107 वर्ग फुट पत्थर कटाई के हिसाब से एक जुलाई, सन् 1974 से 31 जनवरी, सन् 1975 तक का एरियर भुगतान करेंगे।

3. दोनों पक्ष इस एरियर का भुगतान हो जाने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर भारत सरकार के श्रम विभाग को इसकी सूचना भेज देंगे।

4. उपरोक्त एरियर की रकम मैसर्स श्री सुल्तान अख्तर भाई खान मालिक सातल खेड़ी द्वारा एक माह के अन्दर यूनियन के प्रतिनिधियों के समक्ष भुगतान कर देंगे।

हस्ताक्षर व्यवस्थापक प्रतिनिधि
(श्री सखी अहमद, अधिकृत)
प्रतिनिधि, मैसर्स सुल्तान अख्तर भाई रामगंज मण्डी कोटा (राज०)

हस्ताक्षर यूनियन प्रतिनिधि
1. (स्वाधीनकुमार शर्मा), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मण्डी कोटा
2. (राम गोपाल गुप्ता), कोषाध्यक्ष एवं ओफिस सेक्रेटरी राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी जिला कोटा (राजस्थान)

दिनांक 22-7-76

1. गवाह सफी मोहम्मद 22-7-76 2. गवाह महावीर प्रसाद शर्मा 22-7-76

[No. L. 29011/68/74-LR IV/D III B]

S.O. 3368.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Pipakheri Sand Stone Mine of Shri Ramjidas Ramrichpal, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR, M.P. (CAMP AT KOTA, RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(12)/1975

PARTIES:

Employers in relation to the management of Pipakheri Sand Stone Mine of Shri Ramjidas Ramrichpal, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tahsil Ramgunjmandi, District Kota and their workmen represented through the President, Rashtriya Mazdoor Sangh, Post Office Ramgunjmandi, District Kota (Rajasthan).

APPEARANCES:

For employers—Shri Ramji Das

For workmen—Shri Swadhin Kumar Sharma.

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan).

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-29011/72/74-LR.IV-D.O. 3(B) dated 26th February, 1975 for the adjudication of the following dispute:—

"Whether the following demands of the workmen of Pipakheri Sand Stone Mine of Shri Ramjidas Ramrichpal, Mine Owner, Post Office Satalkheri, Tehsil Ramgunjmandi, District Kota, are justified? Is so, from what date and to what relief are the workmen entitled ?

DEMAND

1. Increase in wages of Coolies, Beldars, Stone Cutters and monthly paid staff.
2. Issue of subsidised rations as is being done by the managements of neighbouring mines.

Parties filed a settlement according to which the employer shall pay the Stone Cutters @ 0.20 Rs. 107 Sq. Ft. Stone cutting and to the other daily rated workman @ 0.20 Rs. per day from 1st July, 1974 to 31st January, 1975, within one month in presence of the representatives of the Union and the parties shall within 15 days from 22nd August, 1976 inform the Labour Department of the Government of India of the fact that such arrears have been paid. The Union withdraws the rest of the demands. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award. Parties will bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

Kota, July 22, 1976.

समझौता पत्र

फार्म "एच"

(देखिये नियम 58)

कोटा, 22 जुलाई, 1976

प्रबन्धक प्रतिनिधि :— श्री रामजीदास रामरीछपाल, ओनर पीपाखेड़ी, लाइम स्टोनमाइन, मु० मोड़क स्टेशन जिला कोटा (राज०)

यूनियन प्रतिनिधि :— 1 श्री स्वाधीनकुमार शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मण्डी

2. श्री रामगोपाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष एवं आफिस सेक्रेटरी, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मण्डी

विवाद का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मण्डी ने जुलाई सन् 1974 में एक मांगपत्र श्रमिकों व कारीगरों का श्री रामजीदास जी रामरीछपाल जी को दिया था जिसका सन्तोषप्रद जवाब नहीं आने पर संघ द्वारा यह मांगपत्र श्रीमान सहायक श्रमआयुक्त केन्द्रीय कोटा को प्रस्तुत किया जहां दोनों पक्षों में समझौता वार्ता सफल नहीं होने से यह केस भारत सरकार ने माननीय प्रजाहितैषी आफीसर साहब सेन्ट्रल जबलपुर को निर्णयार्थ भेज दिया। जिसमे माननीय प्रजाहितैषी आफीसर साहब ने दोनो पक्षो को 6 मई, 1976 व 22 जुलाई, 1976 की तारीख पेशी नियत की।

इस विवाद पर दोनों पक्षों में दिनांक 22 जुलाई सन् 1976 को आपसी विचार विमर्श हुआ और उसके फलस्वरूप निम्नलिखित समझौता सम्पन्न किया।

समझौते की शर्तें

1. दोनो पक्षो में काफी विचार विमर्श होने के बाद तय पाया कि श्री रामजीदास जी द्वारा दैनिक मजदूरी पर खदानो मे काम करने वाले श्रमिकों को बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 4 रुपये के स्थान पर 4 रु० 20 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 1 जुलाई, 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक का अतिरिक्त एरियर भुगतान करेंगे।

2. खानो पर कार्य करने वाले सैकडिया (स्टोन कटर) को 5 रु० 40 पैसे के स्थान पर 5 रु० 60 पैसे प्रति 107 वर्ग फुट पत्थर कटाई के हिसाब से 1 जुलाई सन् 1974 से 31 जनवरी सन् 1975 तक का ऐरियर अतिरिक्त भुगतान करेंगे।

3 उपरोक्त ऐरियर की रकम प्रबन्धक श्री रामजीदास जी द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर यूनियन के प्रतिनिधियो के समक्ष भुगतान कर देंगे।

4 दोनों पक्ष इस ऐरियर का भुगतान हो जाने के बाद अर्थात् 22 अगस्त, सन् 1976 से 15 दिन के बाद भारत सरकार के श्रम विभाग को इसकी सूचना भेज देंगे।

हस्ताक्षर व्यवस्थापक प्रतिनिधि	हस्ताक्षर यूनियन प्रतिनिधि
(श्री रामजीदास रामरीछपाल)	1. (श्री स्वाधीन कुमार शर्मा)
ओनर पीपाखेड़ी, लाइम स्टोन माइन, मु० मोड़क स्टेशन जिला कोटा, (राज०)	अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमण्डी
	2. (रामगोपाल गुप्ता) कोषाध्यक्ष एवं ओफिस सेक्रेटरी राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज-मण्डी
1. गवाह सखी अहमद	2. गवाह शफी मोहम्मद
	एस० एन० जौहरी, अभियन्ता

[No. 129011/72/74-LRIV/D III B]

S.O. 3369.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the Management of Baherta Sand Stone Mine, Karauli of Shri Mangilal Bhagwat Prasad, Sand Stone Mine Owner, Baherta, Post Office Karauli, District Sawaimadhopur (Rajasthan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR CAMP AT KOTA (RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(49)/1975

PARTIES:

Employers in relation to the management of Baherta Sand Stone Mine, Karauli of Shri Mangilal Bhagwat Prasad, Sand Stone Mine Owner, Baherta, Post-Office Karauli, District Sawaimadhopur, (Rajasthan) and their workmen represented through the President Pathar Khan Mazdoor Sangh, E. 3/97, Near New Railway Colony, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES:

For employer—None.

For workmen—Shri Mahabir Prasad Sharma, President.

INDUSTRY: Sand Stone Mine DISTRICT: Sawaimadhopur.

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, vide its order No. L-29011/43/75-D.O. 3(B), dated 31st July, 1975 for adjudication of the following dispute:—

"Whether the workmen employed in Baherta Sand Stone Mines of Shri Mangilal Bhagwat Prasad, Mine Owner, Karauli, District Sawaimadhopur, Rajasthan are entitled to grant of paid festival and national holidays ? If so, how many and on what occassions and from which year ?

The case proceeded ex-parte against the employer who has not participated in the proceedings in spite of personal service of the notice. Shri M. P. Sharma has by his statement on oath proved that in the region in which this mine is situated the employers are giving paid holidays to the workmen and it is on that basis that a demand was made by the Union that similar paid ten holidays as specified in the written statement be granted to the workmen of this Mine as well. There was no positive response from the side of the employer and he did not like to participate in the conciliation proceedings when the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central), Kota. There appears to be no reason why the employer should not grant these ten paid holidays to the workmen. As such believing the testimony given by Shri M. P. Sharma an award is given that the employer should grant the following ten paid holidays to the workmen and shall pay costs of litigation Rs. 100 to the Union.

(1) 26th January (Republic Day)	—	One day.
(2) Holi (Dhulendi)	—	One day.
(3) 1st May (Labour day)	—	One day.
(4) Krishna Janamastmi	—	One day.
(5) Raksha Bandhan	—	One day.
(6) 15 August (Independence day)	—	One day.
(7) Dipawali	—	One day.
(8) 2nd October (Gandhi Jayanti)	—	One day
(9) Dushehra	—	One day.
(10) Id or Local Festival	—	One day.

As the demand was made for the first time on 18-7-1974, the paid holidays shall be granted with effect from that date. The reference is answered accordingly.

24-7-1976.

[No. L-29011/43/75-DIII B]

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

S.O. 3370.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the Industrial dispute between the employers in relations to the management of Kasar No. 2, Sand Stone Mine of Shri Banwarilal Gujar, Mandana, District Kota, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

(CAMP AT KOTA RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(44)/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kasar No. 2, Sand Stone Mine of Shri Banwarilal Gujar, Mandana, District Kota, Rajasthan and their workmen reprsented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—Shri Bhawar Lal.

For workmen—Shri M. P. Sharma.

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011/74/75-D.O. 3(B) dated 14th July, 1975 for adjudication of the following industrial dispute by this Tribunal :—

"Whether the demand of the workmen employed in Kasar No. 2, Sand Stone Mine of Shri Banwarilal Gujar, Mine Owner, Mandana, District Kota, Rajasthan, for the accounting years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?"

The parties have entered into a settlement according to which the employer has agreed to pay 10 per cent bonus for the years 1971-72 to 1973-74 to 1973-74 to all the employees by 30th August, 1976 in presence of the representative of the Union. The award is given in terms of the compromise which shall form part of the award. Parties shall bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

23rd July, 1976.

सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कालेबर कोर्ट जबलपुर कैम्प कोटा

समझौता का प्रपत्र

केस नं० सी० जी० आई० टी०/एल० सी० आर०/14/75

पक्षकारो के नाम :—

नियोजक के प्रतिनिधि :—भंवर लाल गूजर खान मालिक मण्डाना जिला कोटा

श्रमिक प्रतिनिधि :— श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष पत्थर खान मजदूर संघ, कोटा ।

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर खान मजदूर सघ कोटा ने औद्योगिक विवाद बोनस भुगतान हेतु 20 प्रतिशत की दर से वर्ष 65-66 से 73-74 वर्ष का सेन्ड स्टोन माईन कसार नं० 2 जिला कोटा की खान में काम करने वाले समस्त श्रमिकों के लिये श्रीमान् सहायक श्रम आयुक्त : केन्द्रीय : कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था । किन्तु समझौता वार्ता असफल रही । पुन: नियोजक ने विवाद को आपसी विचार विनिमय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव संघ के समक्ष रखा । अतएव दोनो पक्षकारो में काफी विचारा विनिमय के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों पर समझौता सम्पादन किया गया ।

समझौते की शर्तें

1. यह है कि नियोजक श्री भंवर लाल गूजर कसार नं० 2 जिला कोटा की सेन्ड स्टोन माइन में काम करने वाले समस्त श्रमिकों को वर्ष 71-72, 72-73, 73-74 की बोनस की रकम 10 प्रतिशत की दर से देना स्वीकार किया । विगत वर्षों में लाभ न होने के कारण छोड़ा गया ।

2. यह है कि प्रथम चरण में वर्णित बोनस की रकम समस्त श्रमिकों 30 अगस्त 76 तक भुगतान कर दी जाना स्वीकार किया गया ।

3. यह है कि बोनस की देय राशि का भुगतान श्रमिक प्रतिनिधि के समक्ष किया जाना स्वीकार किया गया ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
भंवर लाल	महावीर प्रसाद शर्मा
नियोजक प्रतिनिधि	श्रमिक प्रतिनिधि
कोटा—दिनांक 23-7-76	

[सं० एल-29011/54/75-डी III (बी)]

एस० एन० जौहरी, अधिष्ठाता

S.O. 3371.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of the Masonary Mines near Tanki Area, at Kota of Sri Nandlal, Mine Owner, Shivpura, Kota (Rajasthan), and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(63)/1975

PARTIES :

Employer in relation to the management of the Masonary Mines Near Tanki Area at Kota of Shri Nandlal, Mine Owner, Shivpura, Kota, and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers—None.

For workmen—Shri M. P. Sharma.

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Kota (Rajasthan)

AWARD

Government of India in the Ministry of Labour has vide its order No. L-29011(105)/75-D.O. III(B) dated 26th November, 1975 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

'Whether the action of Shri Nandlal, Mine Owner, Shivpura, Kota in terminating the services of Shri Miyachand and 8 others namely, Sarvashri Ram Lal, Bhairu, Chagan, Bal Singh, Stone Cutters and Mangani, Gulab, Tulsi and Shanti, Coolies employed in Masonary Mines Near Tanki area with effect from 24th March, 1975 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

The case of the union is that Miyachand and other 8 persons named in the reference formed a team of piece rated works. They were working in the Masonary Stone Mines Shivpura near Tanki Tehsil Ladpura District Kota Rajasthan owned by Shri Nandlal S/o Parmanand. When these workmen demanded their wages the payments fell short by Rs. 8555 of the wage dues and they were retrenched with effect from 24-3-75 without giving any notice or retrenchment compensation. They have therefore prayed for reinstatement, back wages for idle period, and wage dues which remained outstanding against the employer.

The employer had been callously indifferent and reluctant to give a reply when the demand was raised by the union by a notice in writing, to the call from the concillation officer and thereafter to the notices sent by this Tribunal. The proceedings had to be conducted ex parte. The union examined Sri Miyachand workman and closed the case.

The first question is whether these persons are the 'workmen' within the meaning of s. 2(s) of Industrial Disputes Act and whether employer employee relationship existed between the parties. Sri Miyachand has stated that he was himself working along with the remaining members of his team. The distinction between a piece rated workman working along with his team and an independent contractor was laid down by Hon. Bhagwati J. in the following words in Dhrangadhra Chemical Works Vs. State of Saurashtra A.I.R. 1957 S.C. 264 :—

"What determines whether a person is a workman or an independent contractor is whether he has agreed to work personally or not. If he has then he is a workman and the fact that he takes assistance from other would not affect his status."

It was under these observations that the agarias who worked with their families for the production of salt were held to be workmen and not independent contractors. The analogy as well as the logic of the ratio decidendi deserve utmost respect and following the same I am inclined to hold that the persons Miyachand and others were in fact the workmen and not independent contractor; there was employer employee relationship between them and Sri Nandlal.

It follows that these workmen could not be retrenched without giving them proper notice and retrenchment compensation even if such a step was necessary in the interest of the industry. The witness has further proved the outstanding wage dues against the employer who has obviously held up the same for no reason or rhyme.

Miyachand WW, has admitted that after being retrenched from the said mine, the members of his team are working in the neighbouring mine. He has not stated that there had been any loss of their daily earnings on account of such retrenchment. There being thus no idle period it is not necessary to grant them back wages. Similarly they are already on job else where and there is no evidence that the new job lacks security of service or the new employer has unsound financial position or he is paying at a lesser rate. Under the circumstances there is no need to order reinstatement.

It is therefore held that the employer do pay to these workmen a sum of Rs. 855 as arrears of wages with an interest @ Rs. 6 per cent per annum from 24-3-75 to the date of actual payment and Rs. 50 towards the costs of litigation. The award is given accordingly.

7th August, 1976.

[No. L-29011/105/75-D III B]
S. N. JOHRI, Presiding Officer

S.O. 3372.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Kemli Kotri Mines of Messrs Associated Cement Company, Lakheri and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
CAMP AT NEW DELHI

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(66/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kemli Kotri Mines of Messrs Associated Cement Company, Lakheri and their workmen represented through the President Lakheri Cement Kamgar Sangh, P.O. Lakheri, District Bundi (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers.—Shri P. S. Nair, Advocate, and Shri R. R. Singh, Personnel Manager.

For workmen.—Shri P. Pandey, General Secretary & Shri S. L. Vyas, Joint Secretary.

INDUSTRY : Stone Mine DISTRICT : Bundi (Rajasthan)

AWARD

Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29011/109/75/DIIIB dated 12th December, 1975 referred the following industrial dispute for adjudication :—

"Whether the demand of the workmen employed by Messrs Satish Trading Company, Contractors of Messrs Associated Cement Company Limited, Lakheri in Kemli Kotri Mines for payment of profit sharing bonus by Messrs Associated Cement Company Limited, for the accounting year 1973-74

is justified? If so, to what quantum of bonus are the said workmen entitled?"

The parties have entered into a settlement on 27-7-1976, copy of which has been filed in this case along with an application that a 'No Dispute' award may be given. The settlement contains a package deal under which all the outstanding disputes referred to by the State Government and Central Government stand settled as a package deal in between the parties. So far as this particular dispute is concerned and parties agreed that the workmen are not entitled to any bonus for the accounting year 1973-74 and as such the demand raised by the Union is not justified. No bonus is payable to the workmen for the said period. However, they have agreed that the employer shall pay bonus for the accounting year 1974-75 (August 74 to July 1975) and onwards at the same rate as is payable by the Company to its workmen. They have further agreed, and that agreement has been separately signed before me, at the end of the application which has been moved today, that if the Contractor fails to make payment as per the settlement, the Company shall make payment of the profit sharing bonus to the workmen of the contractor for the year 1974-75 as per terms of settlement. The award is given in terms of the settlement, extract relevant part of the settlement and the additional clause as introduced in the application shall form part of the award Parties shall bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

31-7-1976.

BEFORE THE HON'BLE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

JABALPUR

Ref. No. CGIT/LC(R)(66)/1975

BETWEEN

The Associated Cement Cos. Limited, Kemli Kotri Mines. P.O. Lakheri, Dist. Bundi, Rajasthan.

AND

The workmen employed by Messrs, Satish Trading Company, Kemli Kotri Mines P.O. Lakheri, Dist. Bundi, Rajasthan.

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

The Lakheri Cement Kamgar Sangh (hereinafter referred to as "the Union") and the Associated Cement Company Ltd., Lakheri Cement Works (hereinafter referred to as "the Company") beg to state as under:—

(1) That the disputes covered under the above Reference have been amicably resolved by the Union and the Company under the Settlement dated 27-7-1976 which has been entered into by the Union and the Company as a 'package deal'. The parties, therefore, jointly pray that your Honour may be pleased to pass a 'No dispute' Award in the matter.

Dated at Lakheri this Twenty seventh day of July, 1976.

For & on behalf of the Lakheri Cement Kamgar Sangh

Sd/- General Manager, Lakheri Cement Works.

Sd/- Rama
President.

Sd/- P. Pandey
General Secretary.

If the Contractor fails to make payment as per the settlement, the Company shall make payment of the profit bonus to the workmen for the year 1974-75 as per the terms of the settlement.

Sd/- P. Pandey. Sd/- R. R. Singh.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

31-7-1976.

EXTRACT COPY OF THE SETTLEMENT

(4) Reference No. CGIT/LC(R)/(66)/1975 dated 12th December, 1975 regarding payment of bonus to the workmen employed by M/s. Satish Trading Company, contractors of M/s. Associated Cement Co. Ltd., Lakheri in Kotri Kemli Mine for the accounting year 1973-74.

The Award dated 1st July, 1976 of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur in reference No. CGIT/LC(R)(67)/1975 dated 11th December, 1975 has rejected the claim of workmen employed in Kotri Kemli Mine by M/s. Satish Trading Company, contractors of the Company, for profit bonus for the accounting year 1972-73. The parties agree that on the same principle as laid down in the said Award, no profit bonus is payable to the said workmen for the accounting year 1973-74. However the parties agree that from the accounting year 1974-75 (August 74 to July 75) and on-wards profit bonus to the workmen employed at Kotri Kemli Mine by the said contractors shall be at the same rate as is payable by the Company to its workmen. The Union agrees to make an application to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur within three days of the date of this Settlement praying to pass a 'No dispute' Award regarding payment of profit bonus to the workmen employed it Kotri Kemli Mine for the accounting year 1973-74. The payment of bonus for the accounting year 1974-75 shall be made by the said contractors within one month from the date of this Settlement.

Dated at Lakheri this twenty-seventh day of July, 1976.

The workmen of Lakheri Cement Works and Lakheri Limeston Quarries as represented by the Lakheri Cement Kamgar Sangh.

For and on behalf of the Lakheri Cement Works and Lakher Limestone Quarries.

Sd/- Rama
President.

Sd/- P. Pandey
General Secretary.

Sd/- General Manager, Lakheri Cement Works and Agent Lakheri Limestone Quarries

S. N. JOHRI, Presiding Officer

31-7-1976.

[No. L-29011/109/75-DIII(B)]

S.O. 3373.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Chand-ka-Khera Mine of Shri Devi Lal son of Shri Duli Lal, Mine Owner, Chand-Ka-Khera Sand Stone Mines, Post Office Dabi, Distt. Bundi and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CAMP AT KOTA (RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(58)/1975

PARTIES:

Employers in relation to the management of Chand-Ka-Khera Mine of Shri Devi Lal son of Shri Duli Lal, Mine Owner, Chand-Ka-Khera Sand Stone Mines, Post Office Dabi, Distt. Bundi, and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E/3/97, Near New Railway Colony, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers.—Shri Devi Lal.

For workmen.—Shri M. P. Sharma, President.

INDUSTRY : Sand Stone Mine.

DISTRICT : Bundi (Rajasthan).

AWARD

Government of India in the Labour Department referred the following industrial dispute for the adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-29011/112/75/DIII(B), dated 4th November, 1975 :—

"Whether the workmen employed in Chand-Ka-Khera Sand Stone Mines in District Bundi (Rajasthan) of Shri Devilal, Son of Shri Duli Lal, Mine Owner, Village and Post Office Lambakno, District Bundi (Rajasthan) are entitled for grant of paid festival/national holidays? If so, on what occasions and from which year?

2. The parties have entered into a settlement under which it has been agreed that the employer shall give ten paid holidays to the workmen from 16-4-1975 as specified in the memorandum of settlement which shall from part of the award. They have further agreed to make payments of these paid holidays to the labourers by 15th July, 1976. The award is given accordingly.

24-7-1976. S. N. JOHRI, Presiding Officer

फार्म (एच)

(देखिए नियम 58)

"समझौते का ज्ञापन"

पक्षकारों के नाम--

(1) नियोजक प्रतिनिधि--श्री देवी लाल आत्मज श्री धूली लाल ग्राम व डाकघर--लाम्बाखो जिला बून्दी ।

(2) श्रमिक प्रतिनिधि--श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष पत्थर खान मजदूर संघ कोटा-2

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर मजदूर संघ कोटा ने एक औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों के सवेतन अवकाश दिलाने हेतु पत्र सख्या 112/75 दिनाक 14-6-75 को सेन्ड स्टोन माइन लाम्बाखुरो जिला बून्दी के श्रमिकों के निमित्त सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था । समझौता कार्यवाही मे नियोजक प्रतिनिधि के सम्मिलित न होने से वार्ता असफल रही । नियोजन ने पुन: मांग के आधार पर विचार विनिमय की इच्छा व्यक्त की और दोनों पक्षो मे आपसी विचार विनिमय किया गया तथा निम्नलिखित शर्तों पर समझौता सम्पादित किया गया ।

समझौते की शर्तें

(1) यह है कि नियोजक श्री देवी लाल आत्मज श्री धूली लाल सेन्ड स्टोन माइन छाँट का खेडा डाकघर लाम्बाखो जिला बून्दी में काम करने वाले समस्त श्रमिको को दिनांक 16-4-75 से ही निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों का सवेतन अवकाश देना स्वीकार करते है ।

(1) 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस—1 दिन (2) होलिका दहन (धुलैंडी)—1 दिन

(3) 1 मई मजदूर दिवस—1 दिन (4) रक्षा बन्धन—1 दिन

(5) कृष्ण जन्माष्टमी—1 दिन (6) 15 अगस्त-स्वाधीनता दिवस—1 दिन

(7) दशहरा—1 दिन (8) दीपावली-1 दिन

(9) 2 अक्तूबर-गान्धी जयन्ती—1 दिन (10) ईद या स्थानीय पर्व—1 दिन

(2) यह है कि प्रथम चरण मे वर्णित पर्वों की देय रकम समस्त श्रमिकों को 15 जुलाई, 76 तक भुगतान करना स्वीकार किया गया ।

(देवी लाल) (महावीर प्रसाद शर्मा)

हस्ताक्षर नियोजक हस्ताक्षर श्रमिक प्रतिनिधि

साक्षी नं० 1.

साक्षी नं० 2.

क ?1 दिनांक 10-6-76

एस० एन० जौहरी अधिष्ठाता

[नं० एल 29011/112/75-डी III (बी)]

S.O. 3374.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Lambakho Sand Stone Mines, Distt. Bundi (Rajasthan) of Shri Harisinghji son of Shri Gulab Singhji, Post & village Lambakho, District Bundi and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-8-76.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CAMP AT KOTA (RAJASTHAN)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(68)/1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lambakho Sand Stone Mines, District Bundi (Rajasthan) of Shri Hari Singhji Son of Shri Gulab Singhji, Post and Village Lambakho, District Bundi and their workmen represented through the President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E/3/97, Near New Railway Colony, Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employers.—Shri Chitarlal Jain.

For workmen.—Shri M. P. Sharma, President.

INDUSTRY : Sand Stone Mine. DISTRICT : Bundi (Rajasthan)

AWARD

Government of India in the Labour Department referred the following industrial dispute for the adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-29011/129/75-D. III(B), dated 23rd December, 1975 :—

"Whether the workmen employed in Lambakho Sand Stone Mines in the District Bundi (Rajasthan) of Shri Hari Singhji Son of Shri Gulab Singhji, Post and Village Lambakho, District Bundi are entitled for grant of any paid national and festival holidays? If so, on what holidays and from which year?

2. The parties have entered into a settlement under which it has been agreed that the employer shall give ten paid holidays to the workmen from 16-4-1975 as specified in the memorandum of settlement which shall from part of the award. They have further agreed to make payments of these paid holidays to the labourers by 30th June, 1976. The award is given accordingly.

24-7-1976. S. N. JOHRI, Presiding Officer

फार्म एच :

नियम 58 देखिये :

समझौते का प्रपत्र

पक्षकारो के नाम :-- हीरा लाल अधिकृत प्रतिनिधि

नियोजक के प्रतिनिधि :-- श्री हरीसिंह माइन ओनर लम्बोखो जिला बुन्दी

श्रमिक प्रतिनिधि -- श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष पत्थर खान मजदूर संघ कोटा ।

विवाद का संक्षिप्त विवरण

पत्थर खान मजदूर संघ कोटा ने औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों के वेतन अवकाश सेण्ड स्टोन माइन लम्बांखो जिला बुन्दी की खान मे काम करने वाले श्रमिकों के लिये श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था । किन्तु समझौता वार्ता असफल रही । पुनः नियोजक ने विवाद को आपसी विचार-विनिमय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव संघ के समक्ष रखा । अतएव दोनो पक्षकारो में काफी विचार विनिमय के पश्चात् निम्न लिखित शर्तों पर समझौता सम्पादन किया गया ।

समझौता की शर्तें

1 यह कि नियोजक श्री हरीसिंह की अपनी लम्बो जिला बून्दी की सेण्ड स्टोन माइन में काम करने वाले समस्त श्रमिकों को दिनांक 16-4-75 से ही निम्नलिखित पर्वों का सवेतन अवकाश देना स्वीकार करते है :

1. 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस	1 दिन
2. होलिका दहन : धुलेंडी	1 दिन
3. 1 मई मजदूर दिवस	1 दिन
4 रक्षा बन्धन	1 दिन
5. कृष्ण जन्माष्टमी	1 दिन
6. 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस	1 दिन
7. दशहरा	1 दिन
8. दीपावली	1 दिन
9. 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती	1 दिन
10. ईद या स्थानीय पर्व	1 दिन

2. यह कि प्रथम चरण में वर्णित पर्वों की देय रकम समस्त श्रमिकों को 30 जून 76 तक भुगतान कर दी जाना स्वीकार किया गया ।

नियोजक प्रतिनिधि महावीर प्रसाद शर्मा

श्रमिक प्रतिनिधि--

साक्षी-1

साक्षी-2

एम० एन० जौहरी, अधिष्ठाता 24-7-76

[सं० एल 29011/129/75-डी III बी]

V. VELAYUDHAN, Under Secy.

New Delhi, the 7th September, 1976

S.O. 3375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay in the industrial dispute between the employers *in relation to the management* of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1976.

74 GI/76—7

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2. BOMBAY

Reference No. CGIT-2/2 of 1976

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Bombay Port Trust
AND
Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. K. Shetty, Legal Advisor.

For the workmen—1. Dr. S. Maitra, General Secretary, B. P. T. General Workers' Union. 2. Shri S. K. Shetye, General Secretary, B.P.T Employees' Union, Bombay.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Maharashtra

Bombay, the 12th August, 1976

DECISION

By Order No. L-31016(3)/75-D.IV(A), dated 16-1-1976 the Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 referred to this Tribunal for adjudication the question specified in the schedule mentioned below :—

"THE SCHEDULE

Whether the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay dated the 15th July, 1975, and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 6th September, 1975 at pages 3257 to 3263, also determines the question, whether creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not."

2. Notices were issued to the parties to file their written statements.

3. The employers in their written statement submit that having regard to the submissions of the unions in their written statement in reference No. CGIT-2/1973 and the observations of the Tribunal in that reference it is clear that the Tribunal vide its Award dated 15-7-1975 had determined that the creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required by the Employers as such creation was justified having regard to the need for creation of promotional opportunities and the maintenance of industrial peace.

4. The B.P.T. Employees Union in its written statement submits that the Award in Reference No. CGIT-2 of 1973 also determines the question, whether creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not.

5. The B.P.T. General Workers' Union in its written statement submits that the Tribunal in its award in Reference No. CGIT-2 of 1973 in para 23 had taken up for consideration issue No. 2 in the terms of reference, and though the Tribunal had noted the demand of this Union for the cancellation of the creation of the post of Mobile Crane Driver (Supervisor) it could not give any directive or decision on that issue being bound by the terms of reference made to it by the Government. It is submitted that it is not denied that in para. 27 the Tribunal had noted in passing the statement made by the employer's representative EW-1 who had claimed that in the interest of smooth and efficient working of Mobile Crane Section, the creation of Mobile Crane Supervisor was very necessary etc. and this passing reference to a statement made by a representative of the employer who is a party prejudiced, can only be considered as just an observation of the Tribunal and not any directive having any binding or legal effect and therefore it can never be said that the Tribunal in its Award dated 15-7-1975 had also determined the question whether creation of post of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not. It is further stated that as a matter of fact when this question was raised by the Union, in his oral arguments in Ref. No CGIT-2 of 1973, the Tribunal had very categorically told the Union representative that he cannot take cognizance of any correspondence in connection with the terms of Reference referred to the Tribunal and could not agree to add to or alter or amend or enlarge the scope of the Terms of Reference. It is further stated that thus the Tribunal had shut out this union from pointing out how the claim of the representative of the employer that the creation of the post of Mobile Crane Driver Supervisor (Operative) would add to the efficient working in the Mobile Crane Section was not tenable or correct and if that opportunity would have been given, this Union apart from what had been

stated by this Union in its statement of claim dated 26-10-1973 in Reference No. CGIT-2 of 1973 would have led evidence in detail to show that the claim of the representative of the employer was just an eye wash and had no substance at all. It is submitted that the Tribunal should be pleased to take all the facts into consideration included in the statement of claim submitted by this union in the original dispute and the fact that the dispute still persists and hold that in Reference No. CGIT-2 of 1973 by the award dated 15-7-1975 this Tribunal had not determined the question whether creation of post of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not.

6. The employers in their rejoinder submit that the dispute regarding 'creation' of posts of Mobile Crane Supervisors (Operative) has already been finally resolved by the Terms of Reference in the previous Reference and that it had not, rightly, therefore, become a subject-matter of the previous Reference nor can it be one in the present Reference.

7. Various arguments were pressed into service by the representative of the B.P.T. General Workers' Union. It is contended by the representative of the B.P.T. General Workers' Union that the Tribunal in Reference No. CGIT-2 of 1973 was not called upon to decide the question as to whether the creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not and only an observation was made in the judgment about the working of Mobile Crane Section, which is not a directive having any binding or legal effect. It is contended that the Tribunal has not given any finding on the question as to whether creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not. On the other hand it is contended by the representative of the B.P.T. Employees' Union and the Bombay Port Trust that this Tribunal had decided the question of creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) as an incidental question in the previous Reference No. CGIT-2 of 1973 that the posts of Mobile Crane Supervisor was necessary and a clarification is sought for by the Central Government as to whether Award in Ref. No. CGIT-2 of 1973 also determines the question whether the creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not. It is then pointed out that under Section 21 of the Bombay Port Trust Act, 1879, creation of posts is a managerial function. It is contended that a plea was raised by the B.P.T. General Workers' Union in its statement of claim in Reference CGIT-2 of 1973 that considering the fact that higher scale of pay for the Drivers is being sought before the Anomaly Committee it was not at all necessary to create the posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) and the Tribunal had observed in the Award that creation of the above posts was necessary.

8. It may be pointed out at the outset that the scope of enquiry under Section 36A is limited to the decision of interpretation of any provision in an Award. If the words used in any provision of an award are ambguous or obscure and it is not reasonably possible to interpret them the difficulty arising from the use of such ambigous or obscure words may be resolved by moving the appropriate Government to make a reference under Section 36A of the I.D. Act. The object of Section 36A is to enable the Government to make a reference is case any doubt or difficulty arises as to the interpretation of any provisions of the award or settlement. The power of interpretation can only be utilized for the purpose of giving effect to the terms of the award in its true sense and is not intended to form a basis of deciding something that is a auxiliary. This view was expressed by the Madhya Pradesh High Court in Water-works Karmachari Sangh, Ujjain and the Public Health and Engineering Department in 1966-I-LLJ-366. It is also profitable to refer to the binding observations of the Supreme Court in Kirloskar Oil Engines Ltd., Kirkee, Poona and its workmen and two others (1961-II-LLJ-675) :—

> "It is thus clear that the scope of the enquiry under S. 36A is limited to the decision of interpretation of any provision in the award. If the words used in any provision of an award are ambiguous or obscure words may be revolved by moving the appropriate Government to make a reference under S. 36A. It is obvious that any question about the propriety, correctness or validity of any provision of the award would be outside the purview of the enquiry contemplated by the Section."

It is well to remember that under Section 36A of the I.D. Act a reference cannot be made in order to supplement the original award. All that can be referred under this section is an interpretation of an award already made. This proposition was enunciated by the Calcutta High Court in Britannia Engineering Company Ltd. and another and Basu Mazumdar and others, (1961-II-LLJ-310).

9. The question now that poses for determination is whether there is any obscurity or ambiguity to be found in the award which calls for in interpretation. In reference No. CGIT-2 of 1973 two issues were referred to the Tribunal for adjudication. The first issue was that :

> "Having regard to the fact that the selection has to be made on the basis of seniority-*cum*-suitability whether the manner in which selection was made by the Bombay Port Trust management to the posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was fair and proper ?"

The Tribunal after reviewing the evidence led before it and in the light of the respondents' arguments concluded that having regard to the fact that the selection has to be made on the basis of seniority-*cum*-suitability the manner in which selection was made by the Bombay Port Trust management to the posts of eight Mobile Crane Supervisor (Operative) was fair and proper. However, the withholding of the promotion of the 2nd grade drivers C. S. Rane, Joseph Pascal Vaz and Mohan Singh to the posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) after they have been selected was not fair and proper especially as nothing has been shown against them and they will be deemed to have been promoted to the posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) from the date the eight others were promoted and to the benefits flowing therefrom.

10. The second issue for determination in Reference No. CGIT-2 of 1973 was to the effect :—

> "Whether the claim that the conversion of posts of Mobile Crane Driver, Grade II into those of Mobile Crane Supervisor (Operative) had curtailed the promotional opportunities available to Mazdoors and, therefore, it was illegal to have effected the conversion without issuing a notice of change under Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947, is correct ?"

On this issue the Tribunal held that the conversion of the posts of Mobile Crane Driver, Grade II into those of Mobile Supervisor (Operative) has not curtailed the promotional opportunities available to the mazdoors and it was not illegal to have effected this conversion without issuing a notice of change under Section 9A of the I.D. Act, 1947. In para 27 of the Award in Reference No. CGIT-2 of 1973 the Tribunal had concluded that the creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) provides an incentive to the Mazdoor and removes frustration and if the post of Mobile Crane Supervisor is not created then there will only be post of Crane Driver at the apex and there will be no further avenue of promotion to him. Referring to the evidence of EW-1 the Tribunal observed that the posts of Mobile Crane Supervisors are very necessary in the interest of smooth and efficient working of the Mobile Crane Section. The Tribunal also took into account T.R. No. 671 of 1972 and said that as aptly pointed out in the T.R. No. 671 of 1972 there is at present no proper arrangement for expeditiously dealing with the situation arising from breakdowns, delays in shifting, provision of relief and for supervising greasing and glad tightening and for settling elementary disputes arising from piece rate working and it was for this reason that they had decided to create the posts of Mobile Crane Supervisors (Operative). The above observations were made by the Tribunal in view of the evidence led before it. No specific issue was referred to the Tribunal as to whether the creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not. Moreover, no evidence was led on this issue and the Tribunal merely observed on passant while agreeing with the evidence of EW-1 that the posts of Mobile Crane Supervisors are very necessary in the interest of smooth and efficient working of the Mobile Crane Section. I fail to see any obscurity in the Award. I also do not find any provisions of award which calls for interpretation. The Tribunal cannot under Section 36A of the I.D. Act supplement an award. This apart the order of reference does not indicate as to what portion of the award suffers from ambiguity which calls for interpretation by this Tribunal. The reference therefore under Section 36A of the I.D. Act

is not valid. I, therefore, hold that this reference is outside the scope of Section 36A of the I.D. Act and is therefore invalid. The Reference is answered accordingly. I make no order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer
[No. L-31016(3)/75-D IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1976

का० आ० 8376—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4457 तारीख 25 सितम्बर, 1975 के अनुक्रम में दी इंडियन आयल ब्लैण्डिंग लिमिटेड पी-68 सी० सी० आर० डाईवर्शन रोड, फारपुर कलकत्ता, और इण्डियन आयल ब्लैण्डिंग लिमिटेड पीर पौ ट्राम्बे, मुम्बई-74 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 11 अक्टूबर, 1976 से 10 अक्टूबर, 1977 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है , या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सम्बन्ध में संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेजों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है , या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर मे पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे मे उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर मे रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस०-38014/8/75-एच० आई०]
एस० एस० सहस्रनामन उप सचिव

New Delhi, the 6th September, 1976

S.O. 3376.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 the (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4457 dated the 25th September, 1975 the Central Government hereby exempts the Indian Oil Blending Limited P-68, C.C.R. Diversion Road, Phar Pur Calcutta and Indian Oil Blending Limited Pir Pau Trombay, Bombay-74, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 11th October, 1976 upto and inclusive of the 10th October, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) varifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/8/75-HI]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

S.O. 3377.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India Region No. VI New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-8-1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

C.G.I.D. No. 1 of 1976

BETWEEN

The management of M/s. State Bank of India, Region No. VI, Parliament Street, New Delhi-110001.

AND

Its workman as represented by Delhi Circle State Bank Staff Association.

PRESENT:

Shri A. Sheshan with Shri H. C. Saran—for the management.

Shri J. N. Kapoor with Sh. Jagdish Oberai—workman in person.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/147/75/DII/A dated the 2nd January, 1975 with the following terms of reference:—

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Region VI, New Delhi in transferring Shri Jagdish Oberai, Special Assistant and an office bearer of the Delhi Circle State Bank Staff Association from Padam Singh, Karol Bagh Branch, New Delhi of the said Bank to Vijay Nagar Branch, Delhi 66 the said Bank and enforcing his relief from the 16th August 1975 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The case came up today for hearing before me on an application of the workman that he had settled the matter with the management. The management had agreed to transfer the workman as Special Assistant to same branch of the Bank at Delhi permanently. Let an award be made accordingly. The management will transfer permanently the workman to its same branch at Delhi as Special Assistant.

16th August, 1976

D. D. GUPTA, Presiding Officer.
[No. L. 12012/147/75/DII(A)]
R. P. NARULA, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1976

स्टाम्प

का० आ० 3378.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो पंजाब वित्तीय निगम द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ और दस लाख रुपये मूल्य के ऋण-पत्रों के रूप में बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 45/76-स्टाम्प/फा० सं० 471/56/76-सी० शु०-VII]

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 1976

STAMPS

S.O. 3378.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures to the value of one crore and ten lakhs of rupees, to be floated by the Punjab Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 45/76-Stamps/F. No. 471/56/76-Cus. VII]

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 3379.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम, ग्रेटर बम्बई को, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले चार करोड़ और पचास लाख रुपये अंकित मूल्य के ऋण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य केवल चार लाख और पचास हजार रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है।

[सं० 46/76-स्टाम्प/फा० सं० 471/58/76-सी० शु०-VII]

ORDER

STAMPS

S.O. 3379.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Municipal Corporation of Greater Bombay to pay consolidated stamp duty of four lakhs and fifty thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on debentures of the face value of four crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 46/76-Stamps/F. No. 471/58/76-Cus. VII]

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 3380.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई द्वारा जारी किये जाने वाले सत्ताइस करोड़, पचास लाख रुपए के अंकित मूल्य के अचल-पत्रों के रूप में बंध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के

के कारण प्रभार्य केवल सोलह लाख, पचास हजार रुपये का समेकित स्टाम्प-शुल्क अदा करने की उक्त औद्योगिक विकास बैंक को अनुमति देती है।

[सं० 47/76-स्टाम्प/फा० सं० 471/59/76-सी० शु०-VII]

ORDER

STAMPS

S.O. 3380.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Industrial Development Bank of India, Bombay, to pay consolidated stamp duty of sixteen lakhs and fifty thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of promissory notes of the face value of twenty seven crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the said Industrial Development Bank.

[No. 47/76-Stamp/F. No. 471/59/76-Cus. VII.]

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1976

स्टाम्प

का०आ० 3381.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 10 जुलाई 1976 के पृष्ठ 2496 में प्रकाशित भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) के आदेश सं० 33/76-स्टाम्प/फा०सं० 471/35/76-सी० शु०-VII (का०आ० 2561) को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जारी किये जाने वाले पांच करोड़ पचास लाख रुपए के मूल्य के बचन-पत्रों के रूप में बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 48/76-स्टाम्प/फा० सं० 471/35/76-सी० शु०-7]

डी० के० आचार्य, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1976

STAMPS

S.O. 3381.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (2 of 1899), and in supersession of the Order of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 33/76-Stamps/F. No. 471/35/76-Cus. VII (S. O. 2561), dated the 26th June, 1976 published at page 2496 of the Gazette of India Part II-Section 3—Sub-section (ii), dated the 10th July, 1976, the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of five crores and fifty lakhs of rupees to be issued by the National Co-operative Development Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 48/76-Stamps/F. No. 471/35/76-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

New Delhi, the 10th Sept. 1976

S.O. 3382.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Grindlays Bank Ltd. Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th Sept. 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 74 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the Grindlays Bank Limited,

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Shri M. S. Bala, with Shri K. C. Roy.

On behalf of Workmen—Shri Ajit Banerjee.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L.12012/159/75/DII/A dated 23rd November, 1975 referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The Reference reads :

(i) "Whether the action of the management of Grindlays Bank Limited, Calcutta in deducting wages for leave availed by the following workmen on the dates shown against them is justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?

Name of the workmen	*Date on which leave availed.*
Shri Amar Banerjee	2nd September, 1975.
Shri Bikashendu Mukherjee	27th July to 29th July 1975.
Shri Naba Kumar De	1st July, 1975.
Shri Ajoy Kumar Mukherjee	7th July, 1975.
Shri Raghubans Tewari	17th July, 1975.

(ii) Whether the action of the Grindlays Bank Limited, Calcutta in recovering from the wages of the following workmen the amount shown against them from the amount granted to them as leave fare concession, is justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?

Name of workmen	*Amount deducted from wages*
Shri Bali Ram Pandey	Rs. 140.25
Shri Shree Nath Pandey	Rs. 237.93
Shri Hira Lal Chowdhury	Rs. 429.10"

2. There are two parts in the Reference, the first part pertaining to leave availed of by the workmen and the second part dealing with the amount of money paid to the workmen in lieu of leave fare concession. The first part will be dealt with first. The case of each of these workmen is separately considered.

3. Amarnath Banerjee, an employee of Grindlay's Bank Limited was working in its 41, Chowringhee Road branch. On 2-9-1975 he came to the office and applied for casual leave for that day as he felt severe backache. He presented Ext. M-5 leave application as usual for grant of leave and left the office immediately. It appears that the workman had put his initial in the attendance register as soon as he came to the office. That part of the register, where he affixed his initials is marked as Ext. M-7, but due to his backache he decided not to attend the office; hence he struck off his Initials in the Register after he filed his leave application. The Bank did not take any action against the workman for cancelling his initials in the register.

4. The Bank on the other hand issued Ext. W-1 memo dated 5-9-75 alleging that the workman went away from the office after signing the attendance register without informing

anyone about his illness on filing a leave application. So, the Bank wanted to treat his absence without leave on loss of pay. The workman replied to this memo by his letter dated 6-9-75 and the final reply from the Bank was on 12-9-75 in which they stated that the workman's absence on 2-9-75 was treated as without leave on loss of pay and allowances. The Union to which the workman was a member complained to the Bank by their letter dated 18-9-75 that the Bank was not justified in withholding the proportionate salary of the workman for the 2nd September, 1975.

5. Both parties have relied upon Chapter XIII of the Settlement arrived at between the Bank management and their workmen on the 19th October, 1966 regarding the terms and conditions which govern granting or refusing to grant casual leave and other types of leave to the bank employees. Paragraphs 13.22 to 13.28 in Chapter XIII deal with casual leave.

6. Paragraph 13.22 provides the number of days an employee can avail of as casual leave and the manner of adjusting such leave with other categories of leave. Paragraph 13.23 which provides the provisions relevant to the enquiry before us states,

> "...Ordinarily the previous permission of the sanctioning authority shall be obtained before taking such leave. When this is not possible, the said authority shall be informed as soon as practicable in writing or if writing is not possible orally or through any person, of the employee's absence from work, reason thereof and of the probable duration of such absence. In any event a written application shall be submitted to such authority latest on the day the employee resumes duty. In no case will an employee take casual leave on frivolous grounds."

Paragraph 13.24 states that casual leave is only intended to meet special or unforseen circumstances for which provision cannot be made by exact rules....Paragraph 13.25 is not material for our purpose. Paragraph 13.26 states casual leave may be taken on grounds of sickness without production of a medical certificate, provided the total period of sickness does not exceed 4 days. The Bank laid stress on paragraph 13.27 which states :

> "Any absence from duty without satisfying the requisite conditions under which leave may be taken or obtaining such leave on false grounds would justify any bank, after giving the employee an opportunity to explain, in not treating the employee as on casual leave but as being absent without leave on loss of pay and allowances."

Paragraph 13.28 states that a workman on casual leave shall be entitled to pay and allowances as if he was on duty.

7. We have to consider the contention of the Bank first on the basis of the provisions of Paragraph 13.27 referred to above. The Bank must establish two grounds under that paragraph before action is taken against a delinquent workman, first on the ground of workman's absence on duty without satisfying the requisite conditions under which leave may be taken and second on the ground of obtaining such leave on false grounds.

8. It has to be pointed out that bank has no case that the ground on which the workman applied for casual leave was false. The workman had complained of backache even on 1-9-1975; so when he came to the office on 2-9-75 the pain was acute again On 3-9-75 the Medical Officer of the Bank examined the workman and issued Ext. W-2 prescription. This was entered in the medical register dt. 3-9-75. In Ext. M-5 leave application the workman alleged that he suffered from backache. The Bank had to admit under these circumstances that the workman was really ill on 2-9-75. Yet there was some remarks made in Ext W-5 at the instance of the Bank that "Reasons not satisfactory". The Bank passed no order on Ext. M-5, either granting or refusing casual leave to the workman There was nothing on record to show that Bank made any effort to satisfy themselves as to the truth or otherwise of workman's illness. Ordinarily the Bank is expected to pass an order either rejecting or allowing casual leave on the workman's application. It cannot under those circumstances be held that the Bank had refused leave to the workman on the ground that he applied for leave on any frivolous or false grounds. On the other hand, it was established that the workman applied for leave on a valid ground that he was ill on 2-9-75.

9. The next question is whether the workman had complied with the requisite condition for taking casual leave. The management has relied upon the provisions of paragraph 13.23 referred to above, which according to them provide the requisite ground for taking casual leave. The case against the workman is that he did not obtain previous permission of the sanctioning authority before taking leave on 2-9-75. That condition set out in paragraph 13.23 has relevancy only to an employee who is away from the office on the day on which he takes leave. The next sentence in para 13-23 may be seen. It states, "when this is not possible, the said authority shall be informed as soon as practicable in writing or if writing is not possible, orally or through any person of the employee's absence from work, reason thereof and of the probable duration of such absence." This sentence read with the previous sentence makes it perfectly clear that the previous sanction of the sanctioning autority is required only in a case where the employee could predicate with accuracy that he had to take leave on the next working day. So the employee who is in office on a day and if he wants casual leave on the next working day he might ask the permission of the sanctioning authority. In a case of an employee who is at his home and due to unforseen circumstances he is unable to attend office, the grounds mentioned in second part of paragraph 13.23 will apply. But it cannot be presumed from para 13.23 that the employee who is already in office suffering from any illness should take previous permission from the sanctioning authority before he presents his leave application. In such cases it is open to the employee to present a leave application to the sanctioning authority showing the requisite grounds for leave. The workman had filed such an application in this case. The fact of his illness could not also be disputed. Under these circumstances it cannot be argued that the employee concerned should have taken previous permission of the sanctioning authority. It is apparent that the bank did not pass yet any order on Ext. M 5 leave application on the basis that the Bank had rejected it or allowed casual leave under it. The Bank is expected to pass an order on Ext. M-5 application in either way. That the workman came late on 2-9-1975 or that he struck off his initial as per Ext. M-7 is not a material ground for consideration in this case. There is no evidence that the workman failed to comply any requisite condition for taking leave under the settlement dated 19-10-1966. The Bank is therefore not justified in refusing leave to the workman on 2-9-1975. The workman is entitled to get his proportionate salary for 2-9-1975 as if he was on duty on that date.

10. The next workman is Bakashendu Mukherjee. He was on privilege leave from 14-7-75 to 26-7-75. So he was to report for duty on 27-7-75 after the expiry of his leave. But he reported for duty only on 30-7-1975. 27th July was a Sunday. The workman overstayed his leave for a period of 3days. The workman has relied upon his leave application, Ext. M-3 which he presented to the Bank on 30-7-75, the day on which he reported for duty. The ground for extention of leave alleged in Ext. M-3 is that his 3 year old daughter fell ill suddenly on 27-7-75 and therefore he could not leave his house. In support of his case, Ext. W-9 medical certificate is produced to show that the workman's child was ill from 27th to 29th July, 1975 and that she was under the treatment of the medical officer, Ext. W-8 contains the correspondence that passed between the workman and the Bank. In reply to the leave application, the Bank sent a letter dated 14-8-75 to the workman in which they stated that the workman should have gone over to the bank office and explained to them the circumstance under which he required extension of leave. They also pointed out to the workman that disciplinary action under paragraph 19.7(a) of the Settlement dated 19-10-1966 was being taken against him for overstaying his leave. The workman sent a reply to it on 18-8-75 stating that it was not possible for him to appear in person and explain the reason for the extension of leave. The bank replied to that letter on 2-9-75 in which they stated that they did not propose to take any disciplinary action, but they treated his 3 days' absence as on without leave and loss of pay and allowances.

11. In this case also it is established that the workman's child fell ill on 27-7-75 and that her illness continued upto 29-7-75. That was an unforeseen circumstance. Paragraphs 13.3, 13.4 and 13.5 is Chapter XIII of the Settlement dated 19-10-1966 do not apply to the facts of the present case. There is dispute in the case whether the workman could have sent information to the bank or not. It is not possible to hold

either way on that question without any oral evidence in that regard. The Bank did not lead any evidence that the workman could have sent the requisite information to the Bank before 30-7-75. The workman also did not adduce evidence that he was not in a position to send any messenger to the Bank conveying about his daughter's illness. In the absence of any evidence, the fact that the daughter of the workman suddenly fell ill on 27-7-75 and the workman could not move out of his house had to be accepted. There is no provision in the settlement dated 19-10-1966 as to how an unforseen circumstance could be dealt with by an employee on privilege leave wanting to get the leave extended. In view of the illness of the child the workman could not leave his house; his case is that he could not also send any information to the Bank regarding the illness of his child. Paragraph 13.3 of the settlement cannot in the circumstance of the case be pressed into service in the absence of any provision in that paragraph as to how an unforseen circumstance could be dealt with by an employee who wanted to get extention of the privilege leave. It is relevant to point out that the Bank wanted to take disciplinary action against the workman for overstaying sanctioned leave under paragraph 19.7(a) of the settlement dated 19-10-66. According to that paragraph "overstaying sanctioned leave without sufficient grounds", is a "minor misconduct" which calls for any of the punishments enumerated in paragraph 19.8 of the Settlement. The Bank would have realised later that the charge for minor misconduct if laid against the workman, the management could not have sustained it in case the workman had proved sufficient ground for overstaying his leave. Any way the management dropped the charge and proceeded against the workman on the ground that he did not conform to the rules of procedure laid down in the settlement dated 19-10-66 for overstaying his leave. I have already held that the workman overstaying his leave in the special circumstances of this case did not come within the purview of paragraph 13.3 of the settlement. I find therefore that the Bank is not justified in withholding his salary and allowances for the period from 27th July to 29th July, 1975.

12. The case of the three workmen Naba Kumar De, Ajoy Kumar Mukherjee and Raghubans Tewari stands on a different footing. These three workmen did not attend office on 1-7-75, 7-7-75 and 17-7-75 respectively. They also did not file any application for casual leave either on the day they went on leave or on the next day when they reported for duty. Ext. M-2 dated 23-7-75, Ext. M-1 dated 17-7-75 and Ext. M-4 dated 22-7-75 are respectively their leave applications. No leave application had been filed earlier to those dates. Exts. W-3, W-6 and W-7 are the relative correspondence that passed between these workmen and the Bank. The Bank brought to the notice of the workmen the provisions of para 13.23 of the settlement dated 19-10-66, which govern the procedure to be followed by the employees taking casual leave. It is clear from the above para that the workmen should have filed applications for casual leave latest on the day they resumed duty. The para referred to above states, "In any event a written application shall be submitted to such authority latest on the day the employees resumes duty". The workmen have no explanation for not submitting such an application on their returning to duty after each of them availed of one day's casual leave.

13. The workmen in question allege that due to a long-standing practice in the Bank leave applications are not filed for casual leave immediately after their return from leave and that, therefore, they did not file applications in time in these cases. This is not a valid ground. On witness was also examined on behalf of the workmen to prove the prctice. There was very little in his evidence to establish a practice. The evidence could not be relied upon. The workman have no other contention for their failure to apply for leave in these cases. I find that these three workmen violated the provisions of paragraph 13.23 of the Settlement and the Bank is justified refusing casual leave to those workmen on the respective days on which they failed to attend office without leave. Their proportionate salary was rightly deducted for 1st, 7th and 17th July,1975.

14. The second part of the Reference deals with the recovery of the amounts shown against the three workmen in the Reference, on account of the failure to produce evidence of their return journey in respect of leave fare concession availed of by those workmen. It is admitted that the Bank had paid both the outward and inward journey towards the leave fare concession due to the workmen and they had also undertaken to produce evidence of their return journey on completion of the journey. They did not produce any evidence. So the Bank sought to recover the amount from each of these three workmen out of the salary due to them for the month of September, 1975. Later the Bank directed the workmen to treat the amount as a loan and pay it in instalments with interest at 18 percent per annum. Finally, the amount was recovered from their salary due for the month of November, 1975.

15. The management relies upon the provisions of paragraph 10.11 of the Settlement dated 19-10-1966. Paragraph 10.11 reads :

> "10.11. The fare permissible under leave, fare concession will be advanced to the workman on the following conditions :
>
> (i) In the case of outward journey on his undertaking to produce ticket before the commencement of the journey or within 7 days from the date of the advance, whichever is earlier. On such evidence being produced the fare for the return journey will also be evidenced subject to the condition that evidence of the return journey shall be produced to the Bank within 7 days of the resumption of duties by the workman.
>
> (ii) In case members of the workman's family avail of the leave fare concession before or after he himself avails of the concession, the appropriate outward fares will be advanced against his undertaking to produce evidence of travel within 30 days from the date of the advance.
>
> The return fare will also be advanced subject to the condition that evidence of the return journey is produced to the bank not later than 30 days from the date of the advance."

The workmen are entitled to II class Railway fare and they received payment on their production of Rail tickets when the full amount was paid towards their to and fro journey. It is clear that the management did not issue a show cause notice to the workmen to produce evidence for return journey. On the other hand they issued memos on 26-8-1975 which was the pay day for the workmen stating that the amount in lieu of return journey shall be deducted from their salary. So the workmen did not get an opportunity to produce evidence of their return journey. I find that the Bank should have issued a show cause notice giving them a chance to produce evidence of return journey. Without giving such notice the Bank should not have deducted the amount from their salary. The ction of the Bank in this regard has to be found against. The three workmen referred to above will get back the amount shown against their names in the reference.

16. The workmen however are bound to produce proper or sufficient evidence in support of their return journey. The Bank is therefore permitted to initiate separate proceedings against these workmen for production of evidence in support of their return journey failing which the Bank will be at liberty to recover the identical amount from the workmen.

17. Before parting with the case I like to remind the workmen that the discipline among the employees of the Bank is absolutely necessary for the smooth working of the Bank and rules and regulations of the Bank shall be adhered to in a spirit of trust and cooperation in discharge of their duty.

18. In the result, the Reference is answered in favour of workmen, (1) Amar Banerjee and (2) Bikashendu Mukherjee directing the Graindlays Bank Limited to pay their proportionate salary and allowances for 2nd September, 1975 and 27th to 29th July, 1975 respectively; The claims of workmen, Naba Kumar De, Ajoy Kumar Mukherjee and Raghubans Tewari are found against. They are not entitled to get the proportionate salary from the Bank.

The workmen, Bali Ram Pandy, Shree Nath Pandey and Hira Lal Chowdhury will get back the amount shown against their names in the Reference. However, they will produce evidence of their return journy on receipt of a show cause notice from the Bank.

An award is passed accordingly.

E. K MOIDU, Presiding Officer

Dated, Calcutta,
The 28th August, 1976.

[F. No. L-12012/159/75-D II(A)]
R P. NARULA, Under Secy

New Delhi, the 3rd September, 1976

S.O. 3383.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Keshalpur Colliery Co. Private Ltd., Post Office Katrasgarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1976.

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद

प्रतिप्रेषण संख्या 4 सन् 1972

(श्रम मंत्रालय की आदेश संख्या एल/1012/188/71-एल-आर-II, दिनांक 7 फरवरी, 1972)

पक्ष	प्रबंधक, नार्थ केशलपुर, कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड डाकखाना कतरासगढ़, जिला धनबाद
	विरुद्ध
	उनके श्रमिक।
प्रस्तुत	श्री जम्टीस कुज बिहारी श्रीवास्तव (अवकाश प्राप्त) पीठासीन पदाधिकारी
उपस्थिति	
प्रबंधक पक्ष	श्री एस० एम० मुखर्जी, अधिवक्ता
श्रमिक पक्ष	श्री पी० के० अधिवक्ता।
राज्य बिहार।	उद्योग कोयला

धनबाद, 20 अगस्त, 1976

अवार्ड

श्री एल० पी० सिंह (अतःपश्चात् श्री सिंह) मैसर्स नार्थ केशलपुर कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (अतःपश्चात् कोलियरी कम्पनी) में ओवरमैन के पद पर काम करते थे। इनके विरुद्ध दो आन्तरिक जांचे पदावधार के कारण की गईं। श्री बी० लाल, जो एक स्थानीय अधिवक्ता है उनको कोलियरी कम्पनी ने जांच अधिकारी नियुक्त किया था। कुल मिलाकर सात दोषारोप थे। पहली जांच पांच से और दूसरी दो दोषारोपों से सम्बन्धित थी। श्री बी० लाल ने दो पृथक रिपोर्टें दोनो जांचों के सिलसिले में कोलियरी कम्पनी को, प्रदर्श एम-27 पहली जांच के बारे में और प्रदर्श एम-29 दूसरी जांच के बारे में फरवरी 26, सन् 1971 को दी। पहली जांच के सिलसिले में उन्होंने श्री सिंह को पांचों आरोपों का दोषी ठहराया और दूसरी जांच के सिलसिले में उन्होंने उनको दोषारोप संख्या एक का दोषी नहीं पाया परन्तु दोषारोप संख्या दो का दोषी ठहराया। कोलियरी कम्पनी ने दोनो जांच रिपोर्टों का अध्ययन करके एक संयुक्त आदेश प्रदर्श एम-24 1/2 मार्च सन् 1971 को जारी किया और उस आदेश से श्री सिंह उक्त तारीख से अपने पद से पदच्युत हो गए।

(2) कोलियरी कम्पनी में श्रमिकों के दो पृथक पृथक सम्मेलन थे। एक का नाम नार्थ केशलपुर कोलियरी वर्कर्स यूनियन था और दूसरे का नाम कोलियरी मजदूर संघ (अतःपश्चात् मजदूर संघ) था। मजदूर संघ ने पदच्युत होने का औद्योगिक विवाद खड़ा किया और इस कारण भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 10, उप-धारा (1)(डी) में दिये हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विषय इस न्यायाधिकरण के पास निर्णय के लिए भेजा। विषय यह है —

"क्या कोलियरी कम्पनी का श्री सिंह का पदच्युत करना न्यायसंगत और उचित था अथवा नहीं? और यदि न्यायसंगत और उचित नहीं था तो श्री सिंह को क्या सहायता मिलनी चाहिये।"

(3) लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् कोलियरी कम्पनी ने और मजदूर संघ के सचिव ने अपने अपने लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किये। मजदूर संघ ने कोलियरी कम्पनी के लिखित वक्तव्य का उत्तरोत्तर भी प्रस्तुत किया। प्रतिप्रेषण के विचाराधीन होने के काल में भारत सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापन किया जिसका नाम कोल माइन्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेन्ट) आर्डीनेन्स सन् 1973 है। यह अध्यादेश 31 जनवरी सन् 1973 को प्रख्यापन हुआ और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (अतःपश्चात् बी० सी० सी० एल०) इस कोलियरी कम्पनी का अपर कस्टोडीयन जेनरल नियुक्त हुआ और कोलियरी कम्पनी का प्रबंध उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। मजदूर संघ ने इस कारण एक आवेदन पत्र दिया कि कस्टोडियन जेनरल को भी एक फरीक बना लिया जाय। सूचना प्राप्त होने के बाद कस्टोडीयन जेनरल ने फरीक होना स्वीकार किया। उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य भी दाखिल किया। अध्यादेश बाद में कोल माइन्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) एक्ट 1973 में परिवर्तित हो गया। तदुपरान्त कोल माइन्स (नेशनलाइजेशन) एक्ट, 1973 पारीत हुआ और यह कोलियरी कम्पनी भारत सरकार में निहीत हो गई। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम पहली मई सन् 1973 में लागू हुआ।

(4) कोलियरी कम्पनी ने श्री बी० लाल को न्यायाधिकरण के सम्मुख एम-डब्ल्यु-एक की हैसियत से पेश किया। मजदूर संघ ने इस मौखिक साक्ष्य के उत्तर में अपने गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी परन्तु कोलियरी कम्पनी ने इसका विरोध किया और कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11ए के 15 दिसम्बर सन् 1971 को जुड़ जाने के बाद मजदूर संघ को कोई गवाह पेश करने का अधिकार नहीं है। इस अन्तरीम विवाद का निर्णय पहले करना पड़ा और यह निर्णय दिया गया कि मजदूर संघ को ऐसा अधिकार प्राप्त है। और मजदूर संघ ने तब न्यायाधिकरण के सम्मुख चार साक्षी प्रस्तुत किये।

(5) लिखित वक्तव्य में कोलियरी कम्पनी ने कहा है कि मजदूर संघ मान्यता प्राप्त संघ नहीं है और इसको श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, यह भी कहा है कि श्री सिंह इस संघ के सदस्य भी नहीं थे और यह भी कहा है कि मान्यता प्राप्त यूनियन नार्थ केशलपुर कोलियरी वर्कर्स यूनियन है जिसके श्री सिंह उप-प्रधान भी थे अतः जो विवाद मेरे सामने है वो व्यक्तिक है न कि औद्योगिक और इस कारण न्यायाधिकरण को निर्णय करने का अधिकार नहीं है। कोलियरी कम्पनी ने यह भी कहा है कि न श्री सिंह ने न मजदूर संघ ने कोई औद्योगिक विवाद कोलियरी कम्पनी के साथ उठाया अतः श्रम मंत्रालय को कोई अधिकार इस मामले के निर्णय के लिए इस न्यायाधिकरण में भेजने का अधिकार नहीं था। कोलियरी कम्पनी ने यह भी कहा है कि दोनो आन्तरिक जांचे सद्भाव और निष्कपट रूप से की गई थीं। और पदावचार साबित हुए थे और उनके साबित होने के बाद पद से पदच्युत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अतः निर्णय उनके हक में होना चाहिए।

(6) अपने लिखित वक्तव्य में मजदूर संघ ने यह बताया है कि कोलियरी कम्पनी श्रमिकों को अन्य-अन्य प्रकार से तंग कर रही थी, उनको उचित मजदूरी तथा और देय रकमें नहीं दे रही थी, उनको कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड का स्थाई सदस्य नहीं होने देती थी और नार्थ केशलपुर वर्कर्स यूनियन उनके हाथ में मात्र कठपुतली की तरह थी और इन कारणोंवश श्री सिंह ने अपने व्यक्तिक श्रम से मजदूर संघ की स्थापना

की और कराई और इसके कारण वो कोलियरी कम्पनी के रोष के भागी हुए। मजदूर संघ के बनने के बाद कोलियरी कम्पनी ने बहुत से श्रमिकों को उनके पदों से हटा दिया और श्री सिंह को बलिकरण करने के लिए अन्याय श्रम व्यवहार का प्रयोग किया और बिल्कुल झूठे एक के बाद दूसरा आरोप थोड़े ही दिनों में लगाकर जांच कराई अतः पद से पदच्युत करना इस अन्याय श्रम व्यवहार का फल है। मजदूर संघ ने यह भी कहा है कि श्री बी० लाल० नार्थ केशलपुर वर्कर्स यूनियन के उप प्रधान थे जो कोलियरी कम्पनी की कठपुतली थी और कोलियरी कम्पनी ने ऐसे व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त किया जिनके नियुक्ति के खिलाफ श्री सिंह ने अपना आलोचना पत्र कोलियरी कम्पनी के पास भेजा परन्तु कोलियरी कम्पनी ने उसकी परवाह नहीं की। श्री बी० लाल ने श्री सिंह का अपने बचाव के लिये मुनासिब मौका नहीं दिया। श्री बी० लाल ने वह सबूत नहीं लिया जो कोलियरी कम्पनी के विरुद्ध पड़ जाता था। श्री बी० लाल ने प्रोसिडिंग्स में प्रक्षेपण भी किया। श्री सिंह ने श्री बी० लाल से कहा भी कि वो किसी का भी पक्ष न करें और निष्पक्ष जांच करें परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री सिंह ने इसकी शिकायत श्रम विभाग को भी किया परन्तु कोई भी नतीजा नहीं निकला। यह भी कहा गया है कि श्री बी० लाल ने कोलियरी कम्पनी का पक्षपात किया और उनका निर्णय कम्पनी के असर में दिया गया जो कि सत्य और अन्याय के प्रतिकूल है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि प्रिंसिपुल्स आफ नैचुरल जस्टीस के विरुद्ध कार्रवाई हुई है अतः वो न्यायाधिकरण के मानने योग्य नहीं है। अन्त मे मजदूर संघ ने यह भी प्रश्न उठाया है कि यदि सारे आरोप साबित भी पाये जाय तो भी पदच्युत का कोलियरी कम्पनी का फैसला न्यायसंगत नहीं है। अपने उत्तरोत्तर मे मजदूर संघ ने कहा है कि सातों आरोप झूठे और बनावटी थे, और यदि सत्य भी थे तो स्टैंडिंग आर्डर में पदाचार के परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते और कोलियरी कम्पनी का यह कहना कि मजदूर संघ ने कोई औद्योगिक विवाद उनके साथ नहीं उठाया था झूठा और मनगढ़ंत है। यह भी कहा गया है कि झगड़ा औद्योगिक है न कि व्यक्तिक और भारत सरकार को पूरा अधिकार था कि इस विवाद को इस न्यायाधिकरण में निर्णय के लिए भेज दे।

7 अपने व्यक्तव्य मे बी०सी०सी०एल० ने कहा है कि कोई औद्योगिक विवाद उनमे और श्री सिंह मे नहीं है क्योंकि ये विवाद कोल माइंस (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) आर्डीनेन्स के प्रख्यापन के पहले का है जबकि न बी०सी०सी०एल० मालिक था और न ही श्री सिंह उसके श्रमिक थे। यह भी कहा गया है कि कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत सरकार या बी०सी०सी०एल० किसी भी निर्णय के बाध्य नहीं किये जा सकते और यदि कोई भी इस निर्णय से बाध्य होगा तो वो कोलियरी कम्पनी होगी।

8 प्रथम मैं इस विवाद का निर्णय करना चाहता हूं कि बी०सी०सी०एल० की इस विवाद के नतीजे के लिए कोई उत्तरदायित्व है या नहीं। कोल माईन्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) आर्डीनेंस का प्राख्यापन 31 जनवरी सन् 1973 को हुआ, इस अध्यादेश के धारा 2(ए) के अनुसार निर्धारित दिन 31 जनवरी सन् 1973 है। अध्यादेश के धारा 3 के अनुसार निर्धारित दिन से कोलियरी कम्पनी का प्रबंधक भारत सरकार हो गई। धारा 5, उपधारा 2 (बी) के शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने एक अधिसूचना 8 फरवरी सन् 1973 को पारित किया जो भारत सरकार के 3 फरवरी सन् 1973 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस अधिसूचना के अनुसार बी०सी०सी०एल० उन खानों के जो अधिसूचना मे दिये गये है, प्रबंधक हो गई। कोलियरी कम्पनी अध्यादेश की सूची मे संख्या 108 पर अंकित है अत. बी०सी०सी०एल० इस कोलियरी कम्पनी का प्रबन्धक जैसा कि अधिसूचना मे दिया हुआ है, 7 फरवरी सन् 1973 से हो गई। कोल माइन्स (नेशनलाइजेशन) एक्ट भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 30 मई सन् 1973 मे प्रकाशित हुआ परन्तु धारा 1 उप धारा (2) के अनुसार यह अधिनियम पहली मई सन् 1973 लागू माना गया है। धारा 2(ए) के अनुसार निर्धारित दिन भी उसी तारीख से है। धारा 3 के उपधारा एक, के अनुसार निर्धारित दिन से उन कोयला खानों का जो अनुसूची मे उल्लिखित है का अधिकार सम्पदा सम्पत्ति स्वत्व पूर्ण रूप से भारत सरकार को हस्तान्तरित हो गये और ये हस्तांतरण सर्वभारमुक्त था। धारा 5 के उपधारा (1) के अनुसार भारत सरकार को यह शक्ति प्राप्त थी कि वो अनुसूचित कोलियरी कम्पनी का अधिकार, सम्पदा तथा सम्पत्तिस्वत्व जो उनको प्राप्त हो चुका था किसी गवर्नमेंट कम्पनी को सौप दे। भारत सरकार ने अपने आज्ञा संख्या 101(18)/73-सी-11, दिनांक 12 जून सन् 1973 के अन्तर्गत इस कोलियरी कम्पनी का स्वामित्व बी०सी०सी०एल० को पहली मई सन् 1973 से दे दिया। अनुसूची में यह कोलियरी कम्पनी संख्या 145 पर अंकित है और आदेश दिनांक 12 जून सन् 1973 इस कम्पनी पर लागू है। धारा 7 मे यह प्रावधान है कि कोयला खानों के पूर्व मालिकों का जो भी उत्तरदायित्व था, जो उत्तरदायित्व निर्धारित दिन के पहले का था, वो उत्तरदायित्व उन्हीं का रहेगा और उन्हीं के खिलाफ दायित्व का फैसला किया जा सकता है न कि भारत सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध धारा 7 के उप-धारा (2) में भी इसी तरह का प्रावधान है कि कोई मजदूरी का दावा भारत सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध नहीं ठहर सकता, कोई एवार्ड निर्धारित दिन के बाद भारत सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता इत्यादि, इत्यादि। परन्तु यह जरूरी है कि उत्तरदायित्व उस काल का हो जो निर्धारित दिन के पूर्व का हो। ऊपर देखा जा चुका है कि श्री सिंह अपने पद से पदच्युत 2 मार्च सन् 1971 से किये गये हैं। पहली मई सन् 1973 के पहले का कोई भी दायित्व भारत सरकार या सरकारी कम्पनी पर नहीं हो सकता। धारा 28 में प्रावधान है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के विरुद्ध अगर और कोई अधिनियम हो जो ऐसे अधिनियम का असर राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानों पर नहीं होगा। नतीजा यह हुआ कि श्री सिंह के हक में कोई भी एवार्ड बी०सी०सी०एल० के खिलाफ जो एक सरकारी कम्पनी है, नहीं दिया जा सकता।

9 इसके पूर्व कि मैं इस बात को छानबीन करूं कि पदच्युत उचित था या नहीं, यह उपयुक्त मालूम होता है कि कुछ ऐसी बातों का निर्णय दे दूं जो पूर्व मालिक यानी कोलियरी कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता ने उठाया है।

10 उनकी पहली बहस यह है कि मजदूर संघ के नाम का कोई संघ कोलियरी कम्पनी में नहीं था। यह बहस सबूत के विरुद्ध है। श्री पी० के० राय ने जांच अधिकारी के सम्मुख यह बयान दिया था कि श्रमिक मजदूर संघ के सदस्य सितम्बर और अक्तूबर सन् 1970 में हो गये थे। श्री चन्द्रशेखर सिंह डब्ल्यू-डब्ल्यू-1 ने न्यायाधिकरण के सम्मुख यह बयान दिया कि कोलियरी कम्पनी में दो पृथक-पृथक् संघ थे जिनमें एक मजदूर संघ था और एक नार्थ केशलपुर वर्कर्स यूनियन। वे स्वयं वर्कर्स यूनियन के सदस्य थे परन्तु श्री सिंह मजदूर संघ के नेता थे। जिरह में उन्होंने यह भी कहा कि श्री सिंह मजदूर संघ के सदस्य सन् 1970 मे हुए और वे उसके शाखा सचिव भी थे। श्री सिंह डब्ल्यू-डब्ल्यू-4 ने मेरे सम्मुख बयान दिया कि वर्कर्स यूनियन सन् 1969 में स्थापित हुआ था और वह उसके उप प्रधान अगस्त सन् 1970 तक रहे। सितम्बर सन् 1970 में उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मजदूर संघ के सदस्य बन गये और उसके बढ़ावा देने में भरसक प्रयत्न करते रहे जिस कारण वे कोलियरी कम्पनी की आंखों में कांटा बन गये। उन्होंने श्रमिक प्रदर्श 16, 17, और 18 साबित किया। प्रदर्श 16 रसीदी पुस्तकें हैं जो 11 जुलाई सन् 1970 से शुरू होकर 23 दिसम्बर सन् 1970 तक की है। ये रसीद पुस्तकें यह बतलाती हैं कि मजदूर संघ के तेरह जुलाई सन् 1970 से लेकर 23 दिसम्बर सन् 1970 तक 81 सदस्य थे। प्रदर्श 17 जाहिर करता है कि यह संख्या बढ़कर 103 तक पहुंच गई। प्रदर्श 18 एक पत्र है जो सामान्य सचिव ने कोलियरी कम्पनी को 18 जुलाई सन 1971 को भेजा और जिसमे यह लिखा हुआ है कि मजदूर संघ के एक्जक्युटिव कमेटी का चुनाव 7 जनवरी सन् 1971 को हुआ और यह भी लिखा है कि कौन-कौन उसके सदस्य हुए और कौन-कौन प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सहायक सचिव तथा ट्रेजरर चुने गये। श्री सिंह सहायक सचिव चुने गये थे। उपरोक्त मौखिक तथा लेख्य प्रदर्शों से भलीभांति साबित हैं कि मजदूर संघ कोलियरी कम्पनी में एक संघ था।

22 मार्च सन् 1971 को श्री ताराचन्द जो कोलियरी कम्पनी के निदेशक थे ने एक इस्तगासा फौजदारी न्यायालय में दाखिल किया जिसमें उन्होंने खुद ही तसलीम किया है कि कुछ श्रमिक एक दूसरा संघ बना रहे हैं। सब सबूत देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि मजदूर संघ इस कोलियरी कम्पनी के श्रमिकों का एक संघ था।

11 उनकी दूसरी बहस यह है कि मजदूर संघ कोई रजिस्टर्ड या मान्यता प्राप्त संघ नहीं है। न ही ये किसी विवाद के उठाने का अधिकार रखता है। मेरी राय में इस बहस में भी कोई तत्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने कई बार ऐसा निर्णय दिया है कि औद्योगिक विवाद उठाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि संघ रजिस्टर्ड हो, या मान्यता प्राप्त हो। उनका निर्णय यह है कि औद्योगिक विवाद उठाने के लिए यह काफी है कि श्रमिकों का एक भाग चाहे वो अल्प संख्यक ही हो ऐसा विवाद उठा सकते है। अतः मेरी समझ में यह बखूबी साबित है कि मजदूर संघ को औद्योगिक विवाद उठाने का अधिकार है।

12 उनकी तीसरी बहस यह है कि मजदूर संघ ने कोई औद्योगिक विवाद कोलियरी कम्पनी के साथ कभी भी नहीं उठाया अतः जो विवाद मेरे सामने है वह व्यक्ति क विवाद है और औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता। इस बहस में भी कोई सार नहीं है। मजदूर संघ के आरगेनाइजिंग सचिव ने एक पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-5 कोलियरी कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर के पास 5 मार्च, सन् 1971 को भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि या तो वे श्री सिंह को बहाल कर लें वरना संघ इसका विवाद रीजनल लेबर कमिश्नर के साथ उठायेंगे। श्री सिंह ने भी एक पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-13 निदेशक के पास 3 मार्च सन् 1971 को भेजा जिसमें उन्होंने मांग की कि उनकी पुनर्नियुक्ति कर दी जाय नहीं तो वो इस विषय का औद्योगिक विवाद खड़ा करेंगे। कोलियरी कम्पनी ने इन मांगों की परवाह नहीं की। मामला एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास पहुंचा। जो कागज मंत्रालय ने न्यायाधिकरण के पास भेजा है उसके साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की असफलता रिपोर्ट भी संलग्न है। उस रिपोर्ट के पढ़ने से यह अच्छी तौर से विदित होता है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने दोनो पक्षो से 5 जुलाई, 13 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई, 10 अगस्त, 16 अगस्त, 6 सितम्बर, 20 सितम्बर और 25 सितम्बर सन् 1971 को बातचीत की परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। 25 सितम्बर सन् 1971 को उन्होंने कंसीलिएशन की कार्रवाई शुरू की। कोलियरी कम्पनी की तरफ से मैनेजिंग डाइरेक्टर और मजदूर संघ की ओर से केन्द्रीय एक्जक्युटिव कमेटी के सदस्य ने भाग लिया। कोलियरी मजदूर संघ के प्रतिनिधि पृथक् तौर से श्री एम० एन० मिश्रा भी थे। मजदूर संघ ने अपनी मांग अपने पत्रो दिनांक 21 जून, 21 जुलाई, 16 अगस्त और 25 सितम्बर के द्वारा रखा। प्रबन्धक की ओर से उनका जवाब उनके पत्रो दिनांक 3 जुलाई, 21 जुलाई, 30 जुलाई, 25 अगस्त, 20 सितम्बर और 25 सितम्बर से दिया गया। कोई समझौता असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नहीं करा पाये। उपरोक्त बातो से साफ जाहिर है कि मजदूर संघ ने औद्योगिक विवाद कोलियरी कम्पनी के सामने सीधे सीधे रखा। यह भी साबित है कि एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सामने दोनो पक्ष विवादग्रस्त थे। एक पक्ष अपनी मांग रखता था और दूसरा पक्ष उस मांग को मानने के लिये तैयार नहीं था। और क्या विवाद हो सकता था और किस तरह से औद्योगिक विवाद खड़ा किया जा सकता था। मेरी राय मे औद्योगिक विवाद दोनों पक्षों मे था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 2ए के अन्तर्गत भी यह विवाद औद्योगिक विवाद बन जाता है क्योंकि विवाद पदच्युत से सम्बन्ध रखता है। इस धारा के अन्तर्गत व्यक्तिक विवाद भी औद्योगिक विवाद माना जायगा। यदि ऐसा विवाद पदच्युत से सम्बन्ध रखता हो।

(13) चौथी बहस यह है कि श्रम मंत्रालय के सम्मुख कोई ऐसा मेटीरियल नहीं था जिसके आधार पर वह एक प्रतिप्रेशन इस न्यायाधिकरण के पास भेज सकते। इस बहस मे भी बिल्कुल जान नहीं है क्योंकि एक श्रमिक को पदच्युत किया गया था और वह कहता था कि पदच्युत का आदेश बिल्कुल गलत है और कोलियरी कम्पनी यह कहती थी कि आदेश न्यायसंगत और उचित था। फिर ऐसी हालत में सिवाय प्रतिप्रेशन इस न्यायाधिकरण में भेजने के और क्या चारा था। यह बहस भी मैं रद्द करता हूं।

14 मजदूर संघ के योग्य प्रतिनिधि ने यह बहस की कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जांच अधिकारी ने दोनों जांचों में से किसी भी जांच में नहीं किया। इस कारण केवल दोनों जांच ही नहीं बल्कि पदच्युत का आदेश भी मानने लायक नहीं है। श्री सिंह ने एक पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-7 कोलियरी कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर के पास 2 फरवरी सन् 1971 को भेजा था जिसमें उन्होंने श्री ० बी० लाल की नियुक्ति के बारे में ऐतराज किया था और कहा था कि श्री बी० लाल कोलियरी कम्पनी के अधिवक्ता हैं, वे जांच करने की फीस पायेंगे तथा वे वर्कर्स यूनियन के भी अधिवक्ता हैं जो यूनियन मजदूर संघ से खिलाफ है, अतः वे जांच न करे। मैनेजिंग डाइरेक्टर ने इसका जवाब प्रदर्श डब्ल्यू-4 के द्वारा 3 फरवरी को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि श्री बी० लाल कम्पनी के रीटेन्ड अधिवक्ता नहीं हैं और यह भी कहा कि केवल इस बात से कि जांच करने की फीस उनको दी जायगी यह माने नहीं निकाला जा सकता कि श्री बी० लाल को श्री सिंह के खिलाफ कोई वैमनस्य हो सकता है। मेरी राय में कोलियरी कम्पनी की बात न्यायसंगत है। शरण मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्वनाथ, 1964 (2) एल-एल-जे-139 और मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड बनाम मुरारी लाल, 21 एल-एल-आर-201 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी मालिक के मुकदमे में कभी कभी पैरवी किये हों और आन्तरिक जांच में जांच करने की फीस लें तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि साधारणतः मालिक के कोई अधिकारी ही जांच करते हैं और वेतन भी मालिक ही से पाते है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारी का जांच करना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है, जब तक कि ये न साबित हो जाय कि उनके दिल में श्रमिक के विरुद्ध अश्रद्धा है और बदनियती है। और यदि उनके खिलाफ नैसर्गिक न्याय की बात नहीं उठाई जा सकती तो अधिवक्ता के खिलाफ भी नहीं उठाई जा सकती है क्योंकि वे मालिक के नौकर नहीं हैं बल्कि कभी कभार उनके मुकदमे करते हैं। मजदूर संघ के इस बहस में कोई तत्व नहीं है।

15 श्री सिंह ने एक पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-8 लेबर इनफोर्समेंट आफिसर के पास 5 फरवरी सन् 1971 को भेजा जिसमें उन्होंने यह शिकायत की कि जांच के दौरान श्री बी० लाल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं जो कोलियरी कम्पनी के हक मे होता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर ही नहीं लिखते अतः उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेबर इन्फोर्समेंट आफिसर ने इस विषय पर एक पत्र प्रदर्श डब्ल्यू9 दिनांक 6 फरवरी सन 1971 मैनेजिंग डाइरेक्टर के पास भेजा जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। अब सवाल यह है कि श्री सिंह का यह आरोप सत्य है या नहीं। श्री बी० लाल का बयान मेरे सम्मुख एम-डब्ल्यू-1 की हैसियत में हुआ और उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जांच के दौरान सभी बातें मुनासिब तौर पर लिखी हैं और यह कहना गलत है कि उन्होंने सब बयान सही-सही नहीं लिखे। उन्होंने यह भी कहा कि श्री सिंह ने कभी भी जांच के दौरान उनसे कोई ऐसी शिकायत नहीं की। इसके विरुद्ध श्री सिंह ने यह कहा कि उन्होंने श्री लाल से जांच न करने के लिए कहा था। मैं कोई वजह नहीं पाता कि मैं श्री सिंह के इस कथन को मान्यता दूं। यदि ऐसा हुआ होता तो श्री सिंह कोई न कोई आवेदन पत्र जरूर देते मगर ऐसा कोई आवेदन पत्र जांच की नत्थी में नहीं है। श्री सिंह ने एक शब्द भी इस बारे मे नहीं कहा कि वो कौन से प्रश्न थे जिनके उत्तर श्री लाल ने नहीं लिखा या वो कौन से प्रश्न थे जिनके

अस्तर कोलियरी कम्पनी के हक में न होने के कारण उन्होने लिखने से गुरेज किया इन कारणोवश मै उनकी यह बात मानने के लिए तैयार नही हू । श्री सिह ने अपने लिखित वक्तव्य में यह कहा है कि श्री लाल ने जांच की नत्थी मे जाल किया है परन्तु उन्होने अपने बयान मे इस बात को नही दुहराया और न ही उनकी तरफ से नत्थी के अन्दर कोई ऐसा जाल मुझे दिखाया गया । मालूम होता है कि यह कथन सत्य के विरुद्ध है । यह सही है कि जाच खतम हो जाने के बाद श्री लाल ने कोलियरी कम्पनी के तरफ से कई मुकदमो मे पैरवी की । यह भी सत्य है कि उन्होने राजहश इन्टरप्राइज के भी कई मुकदमो मे पैरवी की और राजहश इन्टरप्राइज मे कोलियरी कम्पनी के मालिको का भी हिस्सा था । यह भी सत्य है कि इन मुकदमो मे ज्यादा फौजदारी के मुकदमे थे और कइयो मे श्री सिह भी एक अभियुक्त थे परन्तु ये मुकदमे जाच के खतम होने के बाद के है । श्री सिह का यह कहना है कि कोलियरी कम्पनी के मालिको मे श्री लाल ने यह वचन दिया था कि यदि वे अपनी रिपोर्ट श्री सिह के खिलाफ देगे तो कम्पनी भविष्य मे अपने मुकदमो मे उनसे पैरवी करायेगी । श्री सिह ने अपने बयान मे ऐसा कुछ नही कहा । सभवत बाद मे जो मुकदमे श्री लाल को दिये गये उनके आधार पर यह उनका महज निष्कर्ष है । श्री लाल ने अपने बयान मे कतई इन्कार किया है कि कोलियरी कम्पनी के मालिकों ने उनको कोई वचन दिया था । इन सब बातो को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हू कि ऐसा कोई वचन देना साबित नही है । श्री सिह दोनो जाचो के दौरान सर्वत्र उपस्थित रहे । कोलियरी कम्पनी के सारे गवाह उनके सामने पेश हुए और उन्होने सबसे जिरह भी की । श्री सिह ने दोनो जाचो मे अपने गवाह भी पेश किए । श्री सिह को अपने बचाव का इस तरह से पूरा-पूरा मौका मिला था और उन्होने उस मौके से फायदा उठाया । श्री सिह ने कोई वह सबूत नहीं दिया कि श्री लाल से उनसे कोई पहले की दुश्मनी या अदावत थी या श्री लाल उनके खिलाफ कोई बदनियती रखते थे । केवल इस बात से कि श्री लाल खान मजदूर सघ के उप प्रधान थे यह नही साबित हो सकता कि वो मजदूर सघ के खिलाफ थे । कोई सबूत भी नही दिया गया है कि श्री लाल वाले सघ और श्री सिह वाले सघ मे कोई आपसी झगड़ा था । सब बातो के विचार करने के बाद मै इस नतीजे पर पहुंचता हू कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धातो का उचित रूप से पालन हुआ है न कि उल्लघन । श्री सिह के तरफ से इस बहस को मै रद्द करता हू ।

16 अब मुझे यह देखना है कि दोनो जाचो के सिलसिले मे श्री लाल के पृथक पृथक निर्णय सबूत और विधि आधार है अथवा नही ।

17 पहले मै प्रथम आतरिक जाच के प्रथम आरोप पर विचार करूगा । आरोप पत्र प्रदर्श एम-4 दिनाक 26 दिसम्बर सन् 1970 मे यह कहा गया है कि श्री सिह 11 नवम्बर सन् 1970 से लेकर 8 दिसम्बर सन् 1970 तक बिना आज्ञा के छुट्टी पर चले गये और इस छुट्टी पर चले जाने की कोई मुनासिब वजह उन्होने कोलियरी कम्पनी के सामने नही रखा । अत: उन्होने स्टैडिंग आर्डर के पैरा (1) (एन) का उल्लघन किया । श्री सिह का इस आरोप का उत्तर प्रदर्श एम-7 दिनाक 30 दिसम्बर है 1970 में दिया गया है उत्तर कई भागो मे है । प्रथम यह है कि कोलीयरी कम्पनी मे यह प्रचलित नियम था कि जिस भी श्रमिक को छुट्टी पर जाना होता था वह श्री ताराचन्द, निदेशक से जुबानी छुट्टी लिया करता था । इसके विपरीत कोलियरी कम्पनी का यह कहना है कि जुबानी छुट्टी कभी भी नही दी जाती थी और नही कोई ऐसा नियम प्रचलित था । उनका यह भी कहना है कि स्टैन्डिंग आर्डर के आधार पर लिखित आवेदन पर छुट्टी देने की व्यवस्था है और सर्वत्र स्टैन्डिंग आर्डर का पालन किया जाता था । मै दस्तावेजी सबूत और मौखिक सबूत दोनो की अच्छी तरह से अध्ययन करने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुचा हू कि श्री सिह का कथन सत्य नही है । जाच अधिकारी के सामने श्री मनसुख लाल मेहता ने अपने जिरह मे इन्कार किया कि जुबानी छुट्टी का कोई प्रचलित नियम था । श्री ताराचन्द ने कहा कि वो कभी भी जुबानी छुट्टी नही देते थे । इसके विपरीत श्री पी० के० राय, यमुना सिह बैजनाथ सिह और श्री सिह ने ऐसे नियम के प्रचलित होने के पक्ष में बयान दिया है । न्यायाधिकरण के सामने एम-डब्ल्यू-1 श्री चन्द्रशेखर तथा एम-डब्ल्यू-2 श्री महेन्द्र प्रसाद साह ने भी ऐसा ही बयान दिया है । इन लोगो का बयान मानने योग्य नही है । न मानने के कई कारण है । श्री पी० के० राय, यमुना सिह, चन्द्रशेखर सिह तथा महोदय प्रसाद साहू ने यह स्वीकार किया है कि जुबानी छुट्टी कही दर्ज नही की जाती थी और दर्ज करने का कोई प्रावधान भी नहीं था । ऐसी बात किसी भी कारखाने या औद्योगिक सस्थान या कोलियरी कम्पनी में होना समझ में नही आती । छुट्टी लेने का हक होना चाहिए । छुट्टी कितने दिन की हो सकती है और किस हालत मे दी जा सकती है इसका लिखित नियम स्टैडिंग आर्डर के पैरा 10 मे है । बिना कही हिसाब किताब रखे किसी प्रबन्धक को भी यह कैसे मालूम हो सकता है कि किसी श्रमिक के खाते मे छुट्टी बाकी है या नही और वो छुट्टी पा सकता है या नही । छुट्टी के काल की मजदूरी देय है या नही । दी गई या नही । कोई न कोई छुट्टी का रजिस्टर रखा जाता होगा । छुट्टी बिना वेतन के दी गई या वेतन के साथ किसी न किसी रजिस्टर मे दर्ज होता होगा । यदि छुट्टी वेतन के साथ दी गई है तो मासिक वेतन पत्र मे दर्ज होगा । इस कारण यह बात मानने योग्य नही है कि जुबानी छुट्टी दी जाती थी और उसका लेखा जोखा नही किया जाता था । दूसरा कारण यह है कि श्री सिह कोलियरी कम्पनी के उन सारे रजिस्टरो को तलब कर सकते थे और जाच अधिकारी या इस न्यायाधिकरण को दिखला सकता था कि उनकी छुट्टियां दर्ज हैं परन्तु कोई आवेदन पत्र छुट्टी के लिए नही दिया गया था परन्तु उन्होने ऐसा कुछ नही किया । श्री चन्द्रशेखर सिह ने अपने जिरह में तस्लीम किया कि यह सत्य नही है कि छुट्टी जुबानी दी जाती थी । श्री पी० के० राय, यमुना सिह और बैजनाथ सिह ने यह कहा कि वो लोग भी जुबानी छुट्टियो पर गये है परन्तु उनकी बात मुझे स्वीकार नहीं है । न स्वीकार करने के कारण ऊपर विदित किय जा चुके हैं ।। यह भी कहना उपयुक्त मालूम होता है कि ये तीनो व्यक्ति श्री सिह के साथी है और उनसे उनकी घनिष्टता भी है ।

18 श्री सिह के प्रथम आरोप के उत्तर का दूसरा भाग यह है कि ऊपर लिखे हुए प्रचलित नियम के आधार पर उन्होने कई बार जुबानी छुट्टी ली भी थी । उन्होने जाच अधिकारी के सामने यह बयान दिया था कि उन्होने 16 नवम्बर, सन् 1969 से लेकर 26 नवम्बर सन् 1969 तक, 7 दिसम्बर सन् 1969 से 16 दिसम्बर सन् 1969 तक, 27 जनवरी सन् 1970 से 31 जनवरी सन् 1970 तक और 24 मार्च 1970 से 28 मार्च 1970 तक जुबानी छुट्टी ली थी । श्री तारा चन्द ने जाच अधिकारी के सामने यह कहा था कि उन्होने कभी भी कोई जुबानी छुट्टी श्री सिह को नहीं दी थी । उनसे उपरोक्त अवकाशो के बारे मे जिरह की गई कि श्री सिह उन कालो मे छुट्टी पर थे या नही और उन्होने कहा कि बिना कागजात को देखे हुए वो इसके बारे मे नही कह सकेंगे । श्री मनसुख लाल से भी पूछा गया था कि श्री सिह 24 जनवरी 1970 को और 23 मार्च 1970 को छुट्टी पर थे या नही और उन्होने कहा कि वे इसके बारे में कुछ नही जानते । इस जिरह से यह नही साबित हो सकता कि श्री सिह उन कालो मे वाकई छुट्टी पर थे । सबसे आसान तरीका उनके लिए यह था कि वह कोलियरी कम्पनी के रजिस्टरो को तलब कर दिखला देते कि वो छुट्टी पर थे मगर यह तरीका उन्होने नही अपनाया और उनसे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि यदि वह तलब करते तो सत्य उनके विरुद्ध निकलता ।

19 प्रथम आरोप के उत्तर का तृतीय भाग यह है कि श्री सिह ने श्री ताराचन्द्र से वाकई मे 11 नवम्बर 1970 से 8 दिसम्बर 1970 तक की जुबानी छुट्टी ली थी । जाच अधिकारी के सामने श्री देशराज नागपाल ने यह कहा कि उनको कोई जानकारी नही है और मेरी राय मे हो भी नही सकती थी क्योकि वे छुट्टी के मामले मे सम्बन्धित अधिकारी

नहीं थे । श्री ताराचन्द ने कहा कि यह बिलकुल गलत है कि उन्होंने इस काल मे कोई भी छुट्टी श्री सिंह को दी थी । श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस काल की जुबानी छुट्टी श्री ताराचन्द से ली थी और छुट्टी लेने के समय श्री यमूना सिंह भी मौजूद थे । श्री यमूना सिंह ने उनके कथन का समर्थन किया है । श्री बैजनाथ सिंह न यह कहा कि उनको व्यक्तिक जानकारी तो नही है परन्तु श्री डी० के० चौधरी, सेफ्टी आफिसर ने उनसे यह कहा था कि श्री सिंह को छुट्टी दी गई है । श्री डी० के० चौधरी जांच अधिकारी के सामनें कोलियरी कम्पनी के तरफ से गवाह थे परन्तु उनसे एक शब्द भी इसके बारे मे नही पूछा गया । श्री सिंह नें प्रदर्श-एम 14 दिनाक 9 नवम्बर 1970 और एम-15 दिनाक 13 नवम्बर 1970 का हवाला देते हुए यह कहा है कि ये दोनो पत्र अच्छी तरह साबित कर देंगे कि ताराचन्द ने उनको इस काल की जुबानी छुट्टी दी थी । प्रदर्श एम-14 एक पत्र है जिसे एम० एम० सिन्हा ने श्री सिंह को लिखा था जिसमे उन्होंने यह कहा है कि उनको यह बतलाया गया है कि श्री सिंह को छुट्टी मिल गई है परन्तु उनको यह नही मालूम है कि छुट्टी के काल मे वो कोलियरी के क्वार्टर मे रहेंगे या इम्तहान पास करने के लिए किसी स्कूल मे भर्ती होंगे । पत्र मे यह भी लिखा है कि उनकी जो पुस्तकें श्री सिंह के पास है उन्हें वह उनको लौटा दें । प्रदर्श एम-15 एक पत्र है जिसे श्री के० पी० मिश्रा ने यह लिखा है कि श्री सिंह कि छुट्टी के बारे मे मालिक ने श्री के० पी० मिश्रा को यह हुक्म दिया है कि वह फोन पर एस० एन० मंडल को बतला दे कि श्री सिंह को जुबानी छुट्टी 11 नवम्बर से दी गई हैं और रजिस्टर में इसका इन्दराज कर दिया जाय कि श्री सिंह इस काल मे छुट्टी पर हैं । प्रदर्श डबल्यु-12 दिनाक 7 नवम्बर मे यह लिखा हुआ है कि छुट्टी जाने के पहले श्री सिंह पानी के पाइपो को ठीक करा ले । मेरी राय मे यह तीनो प्रदर्श बनावटी मालूम होते हैं । श्री एम० एम० सिन्हा को कोई व्यक्तिक जानकारी नही थी कि श्री सिंह को कोई छुट्टी दी गई है । प्रदर्श एम-14 मे श्री सिन्हा ने यह लिखा है कि उनको मालूम हुआ है कि श्री सिंह को छुट्टी मिल गई है । श्री सिन्हा को गवाही मे जांच अधिकारी के सामनें और न हीं न्यायाधिकरण के सामने पेश किया गया कि वह अपने कथन को साबित करे और जिरह का मुकबला करे । काई कारण नहीं मालूम होता कि जब श्री सिन्हा और श्री सिंह दोनो ही एक ही कोलियरी कम्पनी मे श्रमिक थे और एक ही जगह पर रहते थे और आपस मे मिल सकते थे और किताबें वापस ली जा सकती थी तो पत्र लिखने का प्रश्न कैसे उठ खड़ा हुआ । किताबें तो पत्र से वापस नही आती । या तो श्री सिन्हा को जाना पड़ता या श्री सिंह को जाना पड़ता । इस बात की कोई शहादत नही है कि प्रदर्श डबल्यु-12 का लिखने वाला कौन है । श्री सिंह ने इन्कार किया है कि यह सब प्रदर्श बाद मे तैयार किए गये मगर मुझको ऐसा ही मालूम होता है । प्रदर्श एम-15 भी बनावटी मालूम होता है कहा जाता है कि श्री तारा चन्द ने श्री सिंह को जुबानी छुट्टी दी । श्री तारा चन्द ने श्री के० पी० मिश्रा से कहा कि वह श्री एस० एन० मंडल को फोन पर बता दो कि जुबानी छुट्टी दी गई है । श्री के० पी० मिश्रा को श्री सिंह ने जांच अधिकारी के सामने या मेरे सामने पेश नही किया । श्री एस० एन० मंडल को भी उन्होंने कहीं भी पेश नही किया । श्री ताराचन्द, श्री एस० एन० मंडल को स्वय फोन कर सकते थे दूसरे से फोन करने के लिए कहना असम्भव मालूम होता है । श्री ताराचन्द, एस० एन० मंडल को लिखीत आदेश दे सकते थे कि श्री सिंह को उन्होंने जुबानी छुट्टी दी है और वो उसका इन्दराज रजिस्टर मे कर दें । बयान तो यह दिलाया गया है कि जुबानी छुट्टी का कोई भी लेखा जोखा नही होता था और प्रदर्श यह बोलता है कि लेखा जोखा के लिए श्री ताराचन्द ने श्री के० पी० मिश्रा से फोन करने के लिए कहा । प्रदर्श डबल्यु-12 के लिखने वाले को पेश नही किया गया । यदि श्री ताराचन्द नें फोन करवाया था कि रजिस्टर मे जुबानी छुट्टी दर्ज कर दी जाय तो मालिक के इस आदेश का कर्मचारी पालन करता परन्तु उसके उल्टा कर्मचारी ने रजिस्टर मे श्री सिंह को गैरहाजिर दिखलाया है जिस बात को श्री सिंह स्वय स्वीकार करते हैं अत मै यह मानने के लिए तैयार नही हू कि श्री सिंह को जुबानी छुट्टी दी गयी थी ।

20 प्रथम आरोप के उत्तर का चतुर्थ भाग यह है कि श्री सिंह शायद ही कभी लिखीत आवेदन पत्र से छुट्टी लेते थे । श्री ताराचन्द ने प्रदर्श एम-8 साबित किया जो यह बतलाता है कि श्री सिंह ने अपने हाथ से लिखकर एक आवेदन पत्र 3 मार्च 1969 को दिया जिसके आधार पर उन्होंने 5 मार्च से 12 मार्च सन् 1969 तक लिखीत छुट्टी का लिखीत आज्ञा प्राप्त किया ।

21 प्रथम आरोप के उत्तर का पांचवां भाग यह है कि लिखीत आवेदन पत्र के देने का नियम पत्र संख्या एन-के--17/33/30/70 दिनांक 4 दिसम्बर 1970 से लागू हुआ और उसके पहले जुबानी छुट्टी का नियम था । श्री सिंह ने अपने बयान मे यह कहा है कि यह आदेश 4 दिसम्बर 1970 को नोटिस बोर्ड पर लगाया गया और तब उनको मालूम हुआ और तब उन्होंने लिखीत छुट्टी की दरखास्त दी कि 11 नवम्बर सन् 1970 से 8 दिसम्बर 1970 तक कि उनको छुट्टी दी जाय जो छुट्टी वह पहले ही जुबानी ले चुके थे । 4 दिसम्बर का आदेश यह नही कहता है कि पूर्व नियम जुबानी छुट्टी का था । आदेश यह कहता है कि देखने मे यह आया है कि कुछ श्रमिक छुट्टी पर चले जाते हैं या यह कहना सही होगा कि गैर-हाजिर हो जाते हैं और इसके लिए कोई आज्ञा भी प्राप्त नही करते जिसके कारण काम मे कठिनाई हो जाती है अत हर श्रमिक को आइन्दा के लिए यह बतलाया जाता है कि छुट्टी मे जाने के पहले वे लिखीत आवेदन पत्र दे दिया करे अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी । इस आदेश के यह माने नही हुए कि इसके पहले जुबानी छुट्टी का नियम था और चार दिसम्बर के बाद लिखीत छुट्टी का नियम लागू किया गया । मौखिक शहादत भी यही है जो मेरी नजर मे मान्य है कि लिखीत छुट्टी ही का नियम था । श्री मनसुख लाल मेहता ने जांच अधिकारी के सामने कहा है कि जो भी श्रमिक छुट्टी पर जाना चाहता था उसको लिखीत आवेदन पत्र मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर या मैनेजर को देनी पड़ती थी और ऐटेन्डेन्स रजिस्टर मे छुट्टी दर्ज की जाती थी । श्री सिंह 11 नवम्बर 1970 से 8 दिसम्बर 1970 तक मासिक वेतन शीट मे गैर हाजिर दर्ज है । श्री ताराचन्द ने कहा है कि लिखीत छुट्टी मांगनी पड़ती थी । श्री देशराज नागपाल ने इसका समर्थन किया है । श्री पी० के० राय, यमूना सिंह, बैजनाथ सिंह और एल० पी० सिंह ने यह माना है कि यदि डाइरेक्टर ताराचन्द या मैनेजर कोलियरी मे मौजूद नही होते थ और कोई इमरजेन्सी होती थी तो श्रमिक गण लिखीत आवेदन पत्र किसी क्लर्क को दे देते थे ताकि वह क्लर्क जहा कहीं भी डाइरेक्टर या मैनेजर मौजूद हो वहा आवेदन पत्र भेज दे । यह बात मानने के लिए मै कोई वजह नही पाता । जब डाइरेक्टर या मैनेजर मौजूद हो तब तो आवेदन पत्र नही दिया जायगा और यदि वो मौजूद न हो तो दिया जायगा । न्यायाधिकरण के सामने चन्द्रशेखर सिंह एम-डबल्यु-1 ने तसलीम किया कि मैनेजर के मौजूदगी मे भी लिखीत आवेदन पत्र देना पड़ता था । श्री महेन्द्र प्रसाद साह एम-डबल्यु-2 ने श्री सिंह का समर्थन किया और कहा कि लिखीत आवेदन का कोई प्रयोजन नही था । स्टैन्डीग आर्डर क पैराग्राफ 10 (ई) मे ऐसा प्रयोजन है कि लिखीत दरखास्त दी जाय । मै कोई वजह नही पाता कि इस प्रयोजन के होत हुए कोलियरी कम्पनी जुबानी छुट्टी क्यो देगी और श्रमिक जुबानी छुट्टी कैसे लेंगे । जुबानी छुट्टी की व्यवस्था से गड़बड़ी हो सकती है और होगी । अत मै यह निर्णय करता हू कि श्री सिंह का बयान गलत है और नियम लिखीन छुट्टी लेने का था ।

22 प्रथम आरोप के उत्तर का छठा भाग यह है कि छुट्टी के काल मे श्री सिंह कोलियरी मे अपने क्वार्टर मे ही रहे और अपने इम्तहान की तैयारी करते रहे । श्री यमूना सिंह ने ऐसा कहा भी है । श्री सिंह ने भी कहा है । श्री ताराचन्द ने कहा है कि उनको कभी नही बतलाया गया कि श्री सिंह इम्तहान की तैयारी के लिए क्वार्टर मे मौजूद है । मै मान भी लू कि श्री सिंह बाहर नही गये और अपने क्वार्टर मे ही रहे और इम्तहान की तैयारी करते रहे फिर भी इससे कुछ असर नही पड़ता । किसी श्रमिक को स्टैन्डीग आर्डर के अवहेलना करने का अधिकार नहीं हो सकता । यह कोई वजह नही है कि बगैर आज्ञा के घर बैठ जाय और छुट्टी ही न ले । स्टैन्डीग आर्डर 18(1) (एन) मे यह प्रावधान है कि यदि

कोई श्रमिक बिना आज्ञा के और बिना माकुल वजह के, मुतवातीर गैर-हाजीर रहे तो वह मिसकंडक्ट माना जायगा। कोई कागज नहीं दाखिल किया गया है कि श्री सिंह किसी भी इम्तहान मे बैठे। इम्तहान मे बैठन का कागजी सबूत होगा मगर जूबानी सबूत दी गई है। मै मानने के लिए तैयार नही हू कि श्री सिंह किसी इम्तहान की तैयारी के लिए गैरहाजिर हो गये। मै जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत हू कि स्टैन्डीग आर्डर के धारा 18(1)(एन) का उल्लघन हुआ है।

23 प्रथम जाच का दूसरा आरोप प्रदर्श एम-13 पर आधारित है। श्री सिंह ने एक पत्र एम-13 को कोलियरी कम्पनी के पास 14 दिसम्बर 1970 को भेजा जो एक संयुक्त पत्र उनकी तरफ से और श्री बैजनाथ सिंह, पी० के० राय और रमा कान्त सिंह की तरफ से था जिसमे श्री सिंह ने यह लिखा था कि जो मेस बावर्ची कोलियरी कम्पनी ने खाना पकाने के लिये मेस को दिया था खाना पकाने के लिये नहीं आ रहा है जिसके कारण मेस के सदस्यो को असुविधा हो रही है अत मेस आवर्ची जल्दी नियुक्त कर दिया जाय। यह पत्र श्री सिंह के हाथ का लिखा हुआ है। इस पत्र पर श्री बैजनाथ सिंह, पी० के० राय और रमा कान्त सिंह के नाम भी श्री सिंह के हाथ के लिखे हुए है। यह सब बाते श्री सिंह स्वीकार करते है। आरोप पत्र प्रदर्श एम-2 दिनांक 18 दिसम्बर, 1970 है। आरोप यह लगाया गया है कि श्री सिंह ने उन तीनो व्यक्तियो के हस्ताक्षर जाली बना दिये है जो उच्छृखल आचरण तथा अश्लील आचरण है जो स्टैंडिग आर्डर के पैरा 18(1) (ई) का उल्लघन करते है और यह उसके दोषी है। प्रदर्श एम-2 मे स्टैण्डिग आर्डर का हवाला नही दिया गया है परन्तु प्रदर्श एम-4 जो 26 दिसम्बर, 1970 को दिया गया था उसमे इसका हवाला है। श्री सिंह ने अपना जवाब प्रदर्श एम-5 दिनांक 20 दिसम्बर, 1970 तथा प्रदर्श एम-7 दिनाक 30 दिसम्बर, 1970 को दिया था। जिसमे उन्होने यह लिखा है कि उन्होने उन तीनो व्यक्तियो के हस्ताक्षर नही किये है बल्की उन तीनों के कहने से प्राथिया के रुप मे केवल उनके नाम मात्र लिख दिये है जिससे कोई जाल नही बनाया गया और उनका नाम उन्होने केवल इस कारण लिखा है कि वह मेस के सदस्य थे और उन्होने कहा कि उनका नाम भी लिख दिया जाय। उन्होन यह भी कहा है कि सत्यता अथवा असत्यता की जाच उन तीनो व्यक्तियो से कर ली जाय। कोलियरी कम्पनी की तरफ से श्री तारा चन्द ने इकार किया है कि ऐसा कोई भी मेस कोलियरी मे था। कोलियरी कम्पनी के गवाह श्री मनसुख लाल ने स्वीकार किया है कि ऐसा मेस था लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि इसके कौन कौन सदस्य थे और इसको कौन चलाता था। श्री पी० के० राय, यमुना सिंह, बैजनाथ सिंह और श्री सिंह ने जाच अधिकारी के सामने बयान दिया था कि ऐसा मेस चालू था जिससे वह और अन्य लोग सदस्य थे। इन सब बयानो को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुचता हू कि कोलियरी मे एक ऐसा मेस था जिसके सदस्य श्री सिंह, पी० के० राय, बैजनाथ सिंह, रमा कान्त सिंह और अन्य लोग थे और ताराचन्द ने झूठा बयान दिया है कि ऐसा कोई भी मेस नही था। इस सिलसिले मे दूसरा प्रश्न यह है कि मेस का बावर्ची कोलियरी कम्पनी ने दिया था कि नहीं। श्री पी० के० राय, बैजनाथ सिंह और श्री सिंह ने जाच अधिकारी के सामने बयान दिया था कि कोलियरी कम्पनी ने बावर्ची मेस को दिया था जिसका वेतन कोलियरी कम्पनी देती थी परन्तु उसका खाना मेस के सदस्य देते थे। श्री सिंह के जिरह मे यह पूछा गया था कि उसका वेतन सदस्य खुद देते थे न कि कोलियरी कम्पनी लेकिन श्री सिंह ने यह साफ कर दिया कि वेतन कम्पनी देती थी। मै कोई कारण नही देखता कि मै श्री सिंह की बात को क्यो न मानू। अक्सर देखा जाता है कि औद्योगिक सस्थानो मे प्रबधक कैन्टीन की सुविधा देते है और यदि उन्होंने यह सारी सुविधा नही दी और केवल बावर्ची दिया और उसका वेतन देते थे तो इसमे कोई अचम्भे की बात नहीं है। यह भी एक विचार करने की बात है कि यदि बावर्ची नही दिया गया था तो श्री सिंह कम्पनी को क्यो लिखते कि बावर्ची नही आ रहा है और इसकी व्यवस्था कर दी जाय। मालूम यह होता है कि विवाद खड़ा हो चुका था और कम्पनी ने मजदूर सघ के सदस्यो को परेशान करने के लिये बावर्ची का जाना रोक दिया और यही वजह है कि श्री सिंह ने कम्पनी को यह पत्र लिखा। श्री पी० के० राय, यमुना सिंह, बैजनाथ सिंह और श्री सिंह ने यह बयान दिया है कि मजदूर सघ के स्थापित हो जाने के बाद कोलियरी कम्पनी ने बावर्ची का आना बन्द कर दिया और सदस्यो को खाना खाने के लिये बाजार जाना पड़ा। अंतिम प्रश्न यह है कि श्री सिंह ने उन तीनो सदस्यो के हस्ताक्षर जाली बनाये या केवल उनका नाम भर पत्र मे लिख दिया। श्री पी०के०राय और बैजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि उनके कहने से श्री सिंह ने पत्र मे उनका नाम लिखा। श्री सिंह ने भी यही बयान दिया। मेरा निर्णय यह है कि कोलियरी मे एक मेस था, उस मे एक बावर्ची था, उस बावर्ची का वेतन कम्पनी देती थी और उसका खाना सदस्य देते थे, उस बावर्ची को कम्पनी ने हटा दिया और उसके कारण श्री सिंह ने कम्पनी को पत्र लिखा और उन्होने उस पत्र को सबकी ओर से और सबके कहने से लिखा और उन तीनो व्यक्तियो के कहने से उनका नाम लिखा। स्टैंडिंग आर्डर के पेरा 18(1)(ई) के अन्तर्गत डिसआर्डरली वर्ताव और डिसओबिडियन्स मिसकन्डेक्ट होता है। पत्र लिखना और पत्र मे पत्र लिखने वालो का नाम डाल देना अश्लील नही हो सकता और न ही यह उच्छृखल आचरण हो सकता है। मेरी राय मे योग्य जांच अधिकारी का फैसला किसी सबूत पर आधारित नहीं है और स्टैण्डिग आर्डर के पैरा 18(1)(ई) के अन्तर्गत भी नही आता है।

24 श्री सिंह और कुछ और लोगो ने एक एफ आई आर कतरासगढ़ थाने मे 13 दिसम्बर, 1970 को दाखिल किया। वह एफ आई आर प्रदर्श एम-10 है। इसमे यह लिखा है कि श्री सिंह, बैजनाथ सिंह, रमा कान्त सिंह, पी०के० राय और कुछ और लोग मजदूर सघ के सदस्य है और उस सघ के जाने माने सदस्य है। श्री ताराचन्द इस वजह से उन लोगो से नाराज है और समय समय पर उन लोगो को धमकी देते रहते है और कहते रहते है कि वह उनको उनके पदो से हटा देगे। यह भी लिखा है कि श्री ताराचन्द के इशारे पर उनके गुण्डे उनको लाठी भाला दिखाते रहते हैं और कोलियरी छोड़कर भाग जाने को कहते रहते है। रिपोर्ट में कुछ गुण्डो का नाम भी दर्ज है। रिपोर्ट मे यह माग की गयी है कि पुलिस उनके जान की सुरक्षा करे। श्री सिंह ने इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि कोलियरी कम्पनी को भेजी थी जिसका जवाब कम्पनी ने प्रदर्श एम-2 श्री सिंह के पास 14 दिसम्बर 1970 को भेजा। जवाब मे यह लिखा है कि कम्पनी ने कोई गुण्डे नही पाल रखे है न कोई धमकी दी जाती है। यह भी लिखा है कि सभवत श्री सिंह का झगड़ा कुछ सह-श्रमिको से है और यदि ऐसा है तो वह उनका नाम बतला दे। यह भी लिखा है कि कम्पनी उनकी सुरक्षा करेगी और श्री सिंह को खुद अधिकार है कि वह सरकारी अधिकारियो से चारा जोई करे। इन बातो के आधार पर प्रथम जाच का आरोप सख्या 3 आधारित है। आरोप पत्र प्रदर्श एम-4 दिनाक 26 दिसम्बर, 1970 है जिसमे यह लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट झूठी है और उस रिपोर्ट के कारण कम्पनी की इज्जत कम हो गयी है और यह स्टैंडिग आर्डर के पैरा 18(1)(सी) और 18(1)(ई) का उल्लघन है। श्री सिंह का जवाब प्रदर्श एम-7 दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 है जिसमे उन्होने यह लिखा है कि चूंकि कम्पनी ने लठैत रख लिये है जो अपनी मनमानी कर रहे है इसलिए उन्होंने पुलिस मे अपने बचाव के लिये रिपोर्ट की है और उससे उनका यह मतलब नही है कि कम्पनी की इज्जत मे बट्टा लगे। यह भी लिखा है कि उनको कानून के अन्दर अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी अधिकारियों से अपनी बचाव कराये।

25. जांच अधिकारी के सामने श्री ताराचन्द ने यह कहा कि यह रिपोर्ट झूठी थी। श्री पी०के०राय, यमुना सिंह, बैजनाथ सिंह और श्री सिंह ने बयान किया कि कम्पनी ने कुछ गुण्डो को नौकरी मे रख लिया था और इसकी शिकायत प्रदर्श डब्ल्यू-6 द्वारा श्री सिंह ने कम्पनी को दी। श्री ताराचन्द ने भी एक इस्तगासा इस रिपोर्ट के सिलसिले मे न्यायालय मे दिया। न्यायाधिकरण के सामने भी श्री सिंह ने ऐसा ही बयान दिया। स्टैंडिग आर्डर के पैरा 18(1)(सी) में यह लिखा है कि यदि श्रमिक जानबूझकर इनस्वाडीनेशन या डिसओबेडियन्स का

भागी हो तो वह मिसकन्डक्ट माना जायेगा। पैरा 18(1)(ई) में लिखा है कि कि यदि श्रमिक डिसआर्डली या डिसओबीडेयिन्ट व्यवहार का भागी हो तो वह मिसकन्डेक्ट माना जायेगा। पुलिस में रिपोर्ट दाखिल करना 18(1)(सी) या 18(1)(ई) के अन्तर्गत नही आता और मानहानि का कोई प्रश्न नही उठता। मेरी राय में जांच अधिकारी ने सबूत के विरूद्ध फैसला दिया है और रिपोर्ट करना स्टैण्डिंग आर्डर के अन्दर आता ही नहीं है अतः यह आरोप साबित नही है।

26. मैं अब प्रथम जांच के चतुर्थ आरोप पर आता हूं। आरोप पत्र प्रदर्श एम-3 दिनाक 19 दिसम्बर, 1970 और प्रदर्श एम-4 दिनाक 26 दिसम्बर, 1970 का है। आरोप यह है कि श्री सिह ने 18 दिसम्बर, 1970 को न्यु इनक्लाईन के दोनों शिफ्टो का ओवरमैन्स डेली इन्सपेक्सन रिपोर्ट बुक सेफटी अधिकारी के कार्यालय से उठा ले गये और उसको कार्यालय में वापस नहीं किया और जब श्री डी० के० चौधरी, सेफटी आफिसर ने उनसे वापस करने को कहा तो उन्होने फिर भी वापस नहीं किया और इस तरह उन्होने उचित आदेश का पालन नहीं किया और माइन्स रेग्युलेशनस संख्या 9 और 43(सी) का पालन नहीं किया और स्टैन्डिंग आर्डर के पैरा 18(1)(सी) और पैरा 18(1)(क्यू) का भी पालन नही किया। श्री सिंह का जवाब प्रदर्श एम-6 है। उनका कहना है कि उन्होने 18 दिसम्बर, 1970 को अपनी रिपोर्ट दफ्तर में लिखी परन्तु जब वह पुस्तक रखने के लिए दफ्तर गये तो दफ्तर बंद हो चुका था और इस कारण वह पुस्तक लेकर अपने घर चले गये। उन्होंने यह भी कहा है कि 19 दिसम्बर, 1970 को वह पुस्तक लेकर फिर दफ्तर में गये मगर दफ्तर फिर भी बन्द पाया तब वह पुस्तक लेकर ड्यूटी पर चले गये। वह 20 दिसम्बर, 1970 को पुस्तक वापस नहीं कर सके क्योंकि वह इतवार था। 21 दिसम्बर, 1970 को आठ बजे सुबह वह दफ्तर गये और तब उनपर आरोप पत्र तामील कर दिया गया और उन्होने पुस्तक वापस कर दिया।

27. जांच अधिकारी के सामने श्री डी० के० चौधरी ने बयान दिये कि यह पुस्तक उनके दफ्तर में रखी जाती है। 18 दिसम्बर, 1970 को उन्होंने इस पुस्तक को दफ्तर में नहीं पाया। 19 दिसम्बर, 1970 को उन्होंने इसके बारे में श्री सिह से पूछा और श्री सिह ने कहा कि पुस्तक उनके पास है और वह उसको हाजिर कर सकते है। तब उन्होने श्री सिह से कहा कि वह पुस्तक लाये और श्री सिह ने एक घंटे के बाद पुस्तक लाकर दे दिया। उन्होने यह भी कहा है कि माइन्स रेग्युलेशन के अन्तर्गत पुस्तक दफ्तर मे रखनी चाहिये और सिह को ले जाने का कोई अधिकार नही था। जिरह में उन्होंने कहा कि उनको नियम का ज्ञान नही है परन्तु चेकिंग के लिये पुस्तक को उनके दफ्तर में रखनी चाहिये। उनके पूछने पर श्री सिह ने कहा कि वह पुस्तक अपने घर पर रखते है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि और ओवरमैन भी पुस्तक अपने घर पर रखतें है या नही। श्री सिह ने बयान दिया कि पुस्तक मे रोजाना रिपोर्ट इन्क्लाइन माउथ के पास लिखी जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चेकिंग दो या तीन या कभी कभी पूरे सप्ताह भर नही होती थी। माइन्स रेग्युलेशन में कोई नियम नहीं है कि पुस्तक दफ्तर में रखी जाय। मैंने माइन्स रेग्युलेशनस के संख्या 9 का अध्ययन किया मगर ऐसा कोई प्रावधान नही पाया जो पुस्तक रखने के बारे में हो। रेग्युलेशन 9 आकस्मिक घटना के सूचना देने के बारे मे है। रेग्युलेशन 43(सी) के अनुसार ओवरमैन को निरीक्षण करना होता है और रिपोर्ट रखनी होती है। रेग्युलेशन 43 के उप-रेग्युलेशन 9 के अनुसार एक रिपोर्ट पुस्तक में लिखनी होती है। यह कहीं नही लिखा है कि यह पुस्तक कहां रखी जाय। कोलियरी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने तसलीम किया कि कोई रेग्युलेशन इस बारे में नही है और वह इस आरोप को प्रेस नही करते है। स्टैन्डिंग आर्डर 18(1) (सी) मे जानबूझ कर किसी अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना मिसकन्डक्ट है। श्री डी० के० चौधरी ने खुद ही कहा है कि जब उन्होंने पुस्तक मागा तो श्री सिह ने एक घंटे के बाद लाकर पुस्तक दे दिया। पैरा 18(1)(क्यु) में यह लिखा है कि यदि कोई श्रमिक माइन्स एक्ट का या किसी अधिनियम का या किसी अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमो, रेग्युलेशनो या बाईलाओं का पालन न करे या किसी स्टैन्डिंग आर्डर का पालन न करे तो वह मिसकन्डक्ट का दोषी होगा। साफ जाहीर है कि सिह ने किसी आदेश, किसी अधिनियम या किसी अधिनियम के अन्दर बने हुए नियमो इत्यादि की अवहेलना नही कि, जांच अधिकारी ने सबूत और कानून के खिलाफ फैसला दिया है।

28. प्रथम जांच का पांचवां आरोप अब सामने है। श्री सिंह और कुछ और लोगों ने एक एफ आइ आर प्रदर्श 9 कतरासगढ थाने मे 17 दिसम्बर, 1970 को दिया। उसमे यह लिखा है कि जब वह श्री बैजनाथ सिंह, पी० के राय तथा दो और लोग कतरास बाजार में खाना खाकर 16 दिसम्बर, 1970 को रात के 9 बजे अपने निवास स्थानों को लौट रहे थे और स्क्रीनीग प्लान्ट जो कटरी नदी के तीर पर है पहुंचे तो श्री ताराचन्द, कुलभूषण, देशराज नागपाल, गया बक्स, जगदीश चन्द्र, विक्रम सिंह, जनार्दन मिश्र, राम वृक्ष, राम जनम और 10/15 गुण्डों ने उनको और उनके साथियों को घेर लिया। गुण्डों के पास लाठी और भाले थे। कुछ गुण्डों के नाम रिपोर्ट में दिये हुये हैं। उन लोगों ने श्री सिह और उनके साथियो से कहा कि यदि वह कोई मांग करेंगे तो एक पखवारे के अन्दर मारपीट कर भगा दिये जायेंगे। रिपोर्ट में यह प्रार्थना की गई है कि पुलिस उनके जान और माल की सुरक्षा करे। इस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र एम-4 दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 को बनाया गया जिसमें यह लिखा है कि इस रिपोर्ट से कम्पनी की मान हानि हुई और वह स्टैन्डिंग आर्डर 18(1)(सी), 18(1)(ई) और 18(1)(आर) के अन्तर्गत मिसकन्डक्ट है। श्री सिह का जवाब एम-7 दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 का है जिसमे उन्होंने कहा है कि मजदूर संघ बन जाने के बाद कोलियरी कम्पनी मे गुडे और लठैतियो को पास रखा है जो लाठी और भाला दिखाकर धमका देते है और बेइज्जत करते हैं और उन्होंने रिपोर्ट अपने बचाव में की है, श्री ताराचन्द ने श्री सिह और कुछ और लोगों के खिलाफ एक इस्तगासा धारा 211 और 500 आइ पी सी के अन्दर न्यायालय में दाखिल किया है। जांच अधिकारियो के सामने श्री ताराचन्द ने बयान किया कि पुलिस रिपोर्ट बिलकुल झुठा है। देशराज नागपाल ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। श्री पी० के० राय, बैजनाथ सिंह, और श्री सिह ने कहा है कि ऐसी घटना हुई। यह जाहिर है कि श्री ताराचन्द और श्री सिह और उनके साथियो में मन-मुटाव हो चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट की जांच भी की। श्री ताराचन्द ने एक नही बल्की दो इस्गासे दाखिल किये। न्यायालय में दोनों विचाराधीन थे। एक इस्तगासा में श्री सिह की तलबी भी हुई थी। स्टैन्डिंग आर्डर के 18(1)(सी) के अन्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट करना इनसबार्डिनेशन या डिसओबिडीएन्स नहीं माना जा सकता। पैरा 18(1)(इ) मे यह डिसआर्डरली या इन-डीसेन्ट व्यवहार भी नही माना जा सकता। पैरा 18(1)(आर) में यह धमकी, या गाली गलौच, या हमला करना भी नही माना जा सकता। मेरी राय में जांच अधिकारी ने सबूत और कानून के खिलाफ फैसला दिया है।

29. अब मैं दूसरी जांच के आरोपो को हाथ मे लेता हूं।

30. पहला आरोप भुवनेश्वर दास को 14 अक्तुबर, 1970 को मारने पीटने का था, जिसको श्री सिह ने झूठा बतलाया था। कोलियरी कम्पनी ने इस आरोप के समर्थन मे कोई गवाह पेश नही किया। श्री सिंह ने अपने बयान मे इसको इन्कार किया। जांच अधिकारी ने सही फैसला दिया है कि यह आरोप साबित नही है।

31. दूसरी जांच का दूसरा आरोप यह है कि श्री सिह तारीख 2 जनवरी से लेकर 28 जनवरी, 1971 तक बीमारी का बहाना करके

अपने ड्यूटी से गैरहाजिर रहे । इस तरह उन्होंने स्टैन्डिंग आर्डर के पैरा 18(1)(के) तथा 18(1)(पी) का उल्लघन किया जो मिसकन्डक्ट है ।

32 श्री सिंह ने एक आवेदन पत्र प्रदर्श एम-21 कोलियरी कम्पनी के पास 2 जनवरी, 1971 को भेजा जिसमे इन्होने यह लिखा कि वह कालिक पेन से पीड़ित है और उनको सिक लीव ऐसे समय तक के लिये दिया जाये जब तक कि वह स्वस्थ हो कर काम पर न वापस आये । श्री ताराचन्द ने उस आवेदन पत्र पर यह लिखा कि कोलियरी के डाक्टर ए० एस० सेन उनकी जाच करे और इलाज करे । डाक्टर सेन ने उनकी जाच की और कोलियरी कम्पनी को अपनी रिपोर्ट प्रदर्श एम-30 दिनांक 4 जनवरी, 1971 को भेजा जिसमे उन्होने यह लिखा कि उन्होने श्री सिंह की जांच 2 जनवरी, 1971 को की और तब श्री सिह ने उनको यह बतलाया कि वह कालिक पेन से पीड़ित है परन्तु जांच करने पर उन्होने उनके पेट मे कोई असाधारण बात नही पायी । श्री सिंह ने जिद् की कि उनको कोई दवा दी जाये और उनके जिद् पर उन्होने उनको छ खुराक कारमिनेटिव मिक्सचर तथा कुछ हाजमे की गोलिया दी । डॉ० सेन ने यह भी लिखा कि श्री सिह ने उनसे पूछा कि वह काम करने योग्य है या नहीं और उन्होने उनको बतलाया कि वह काम करने के लिये बिलकुल ठीक है । डाक्टर सेन ने यह भी लिखा कि दवा लेकर श्री सिह और उनके दोनो साथी एक टैक्सी मे बैठकर धनबाद की दिशा मे चले गये । इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद श्री ताराचन्द ने एक पत्र प्रदर्श एम-17, दिनांक 4 जनवरी, 1971 को श्री सिह के पास भेजा जिसके साथ उन्होने डाक्टर सेन की रिपोर्ट भी लगा दी और यह लिखा कि वे कालिक पेन मे पीड़ित होने का बहाना मात्र कर रहे हैं और उनको वाकई मे कालिक पेन नहीं है और वह ड्यूटी करने के योग्य है उन्होने पत्र मे यह भी लिखा है कि उनके 2 जनवरी, 1971 को ड्यूटी पर न आने से शिफ्ट चलाने मे असुविधा हुई और वह तरत ड्यूटी पर वापस आये नही तो उनके उपर स्टैन्डिंग आर्डर के पैरा 18 (1)(क) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । यह पत्र और कुछ और पत्र श्री सिह पर तामिल नही हो सके अत उनके पास रजिस्ट्री द्वारा भेजे गये और तब वह पत्र उन पर तामिल हुए । एकनालेजमेन्ट रसीदें पत्रावली मे मौजूद है । इसी बीच मे श्री सिह ने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा जिसका उत्तर श्री ताराचन्द ने रजिस्ट्री द्वारा भेजा और वह पत्र प्रदर्श एम-31 है । श्री ताराचन्द ने यह पत्र प्रदर्श एम-18 दिनांक 11 जनवरी, 1971 को श्री सिह के पास रजिस्ट्री द्वारा भेजा जिसमे उन्होने लिखा कि वह आरोप पत्र प्रदर्श एम-17 उनके पास पहले ही भेज चुके हैं और उन्होने यह भी लिखा है कि वह बीमारी का केवल बहाना कर रहे हैं और लिखने पर भी ड्यूटी पर वापस नही आ रहे है और इसके विपरीत इधर उधर घूम रहे हैं और कोलियरी कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं । उन्होने यह भी लिखा कि यह बिलकुल झूठ है कि कम्पनी ने डाक्टर सेन को इलाज करने से मना कर दिया है । उन्होने यह भी लिखा कि यह भी झूठ है कि श्री सिंह ने इलाज के लिये कम्पनी को परचा देने के लिये लिखा परन्तु कम्पनी ने परचा डॉ० सेन के पास नही भेजा । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सिह ने अपने पत्र मे यह लिखा था कि वह एक प्राइवेट डाक्टर से इलाज करा रहे है । इसके बारे मे श्री ताराचन्द ने यह लिखा कि वह उनका मैडिकल सर्टीफिकेट भेज दे । श्री ताराचन्द ने यह भी लिखा है कि श्री सिह अपना डाक्टरी मुआवजा किसी सरकारी डाक्टर से कराये और उनका सर्टीफीकेट भेजे और यदि यह पाया जायेगा कि श्री सिह वाकई मे बीमार है तो उनको केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, धनबाद मे इलाज के लिये भेजा जायेगा । पत्र मे श्री ताराचन्द ने यह भी लिखा है कि उन्होने श्री एम० एन० मडल और चन्द्रशेखर को कई बार श्री सिह के निवास स्थान पर भेजा परन्तु वह कभी नही मिले और उनके घर पर ताला पडा हुआ था । पत्र मे श्री सिह को यह भी लिखा गया है कि वह सरकारी डाक्टर के सर्टीफिकेट के साथ मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर के सामने हाजिर होवे ताकि अगर वह बीमार पाये जाये तो उनको केन्द्रीय सरकार के अस्पताल मे भेज दिया जाये । पत्र मे यह भी लिखा है कि वह बीमार नही है और उनको कागजात मे गैरहाजिर लिखा जा रहा है । इस पत्र के बाद श्री ताराचन्द ने एक दूसरा पत्र प्रदर्श एम-19 श्री सिह के पास 16 जनवरी 1971 को लिखा जिसमे यह लिखा गया है कि वह ड्यूटी से बराबर गैरहाजिर हो रहे है, बीमारी का बहाना कर रहे है और धनबाद मे घूम रहे है । यह भी लिखा है कि उन्होने कोई मेडिकल सार्टिफिकेट नही भेजा और मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर के सामने हाजिर नही हुए कि उनको केन्द्रीय सरकार के अस्पताल मे भेज दिया जाये । पत्र मे यह भी लिखा है कि उनके दोनो आवेदन पत्र दिनांक 5 जनवरी और 11 जनवरी, 1971 सिक लीव के खारीज कर दिये गये है और उन्होने बीमारी का बहाना करके और ड्यूटी से गैरहाजिर हो कर स्टैंडिंग आर्डर के पैरा 18(1)(पी) का उल्लघन किया है ।

33 अभी तक मैने कोलियरी कम्पनी की ओर के प्रदर्शों का हवाला दिया है । अब मै श्री सिह की तरफ से प्रदर्शों का ब्यौरा दूगा । प्रदर्श एम-23 दिनांक 5 जनवरी, 1971 एक पत्र है जिसका श्री बैजनाथ सिह ने कतरासगढ़ थाने पर भेजा था जिसमे उन्होने यह लिखा है कि यह छुट्टी का दखास्त और डाक्टर साहेब का परचा लेकर सूरी साहेब मैनेजर के पास 5 जनवरी, 1971 को गये थे परन्तु सूरी साहेब ने दोनो कागजो को फैंक दिया और श्री बैजनाथ सिंह का गला दबाकर बेइज्जत करके कोलियरी के बाहर कर दिया । प्रदर्श डब्ल्यू०-10 दिनाक 16 जनवरी, 1971 एक मैडिकल सर्टीफिकेट है जिसको डा० एम० एन० राय ने श्री सिह को दिया और जिसमे यह लिखा है कि श्री सिह का जिगर बढ़ गया है और दो अन्य बीमारियां हैं और वह उनके इलाज मे 4 जनवरी, 1971 से है और उनको अभी स्वस्थ होने के लिए एक सप्ताह और लगेगा । प्रदर्श डब्ल्यू०-11 दिनाक 28 जनवरी, 1971 डा० एस० एन० राय का एक दूसरा सर्टीफिकेट है जिसमे यह लिखा है कि श्री सिह उनके इलाज मे 4 जनवरी, 1971 से लेकर 28 जनवरी, 1971 तक रहे और स्वस्थ हो गये है और 29 जनवरी, 1971 से ड्यूटी करने लायक हो जायेगे ।

34 आरोप बीमारी का बहाना करने का है और ड्यूटी छोड़कर चले जाने का है । श्री सिह का जवाब प्रदर्श एम-20 दिनांक 16 जनवरी, 1971 है जिसमे उन्होने यह लिखा है कि पहली जनवरी की रात मे उनको एकदम से पेट मे दर्द मालूम हुआ । दिनांक 2 जनवरी, 1971 को वह इलाज के लिये अपने कुछ साथियो के साथ डा० सेन के पास गये और डा० सेन ने उनको दो दिन के लिये दवा दी जिसमे उनको कुछ फायदा हुआ । दिनांक 4 जनवरी, 1971 को उन्होने श्री बैजनाथ सिह को डा० सेन के पास और दवा के लिये भेजा परन्तु डा० सेन ने यह कहा कि वह बिना मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर के परचे के कोई दवा नही देगे और ऐसी ही हिदायत उनको दी गई है । श्री सिह ने तब अपना इलाज प्राइवेट डाक्टर से कराना शुरू कर दिया । दिनांक 5 जनवरी, 1971 को उन्होने अपना आवेदन पत्र और परचा श्री बैजनाथ सिंह के हाथ कोलियरी कम्पनी के पास भेजा । श्री बैजनाथ सिह ने लौटकर बताया कि मैनेजर ने उनकी बेइज्जती की और आवेदन पत्र और परचा दोनो फैंक दिया । उनका जवाब यह भी है कि इसके बाद उनके पास और कोई चारा नही था सिवा इसके कि वह अपना इलाज प्राइवेट डाक्टर से करायें । उनका यह भी कहना है कि प्राइवेट डाक्टर के इलाज से उनको फायदा हो रहा था इस कारण उनको कोई जरूरत नही थी कि वह अपने को किसी सरकारी डाक्टर से दिखलायें । उनका जवाब यह भी है कि अगर जरूरत पड़ती तो वह सरकारी डाक्टर के पास या केन्द्रीय अस्पताल चले जाते ।

35 मेरी राय मे कालियरी कम्पनी की बात मान भी ली जाये तब भी स्टैंडिंग आर्डर के पैरा 18(1)(पी) के अन्दर का मिसकण्डक्ट होना नही पाया जा सकता । 18(1)(पी) यह कहता है कि यदि कोई श्रमिक ड्यूटी कर रहा हो और उस समय बिना इजाजत के या बिना

माकुल वजह के गैरहाजिर हो जाये तो वह मिसकण्डक्ट का दोषी होगा। श्री सिंह ड्यूटी नही कर रहे थे जिससे वह गैरहाजिर हो गये अत जाच अधिकारी ने कानून के खिलाफ फैसला दिया है कि श्री सिंह आरोप के इस भाग के भी दोषी हैं।

36 अब प्रश्न यह है कि श्री सिंह वाकई मे बीमार थे जैसा कि वह कहते है या बीमारी का बहाना कर रहे थे जैसा कि कोलियरी कम्पनी कहती है, बीमार होने को साबित करने का भार श्री सिंह पर होगा न कि कोलियरी कम्पनी पर परन्तु चूकि दोनो फरीको ने सबूत पेश किया है इसलिए मैं भार पर जोर नही दूगा। 18(1)(के) यह कहता है कि बीमार न होते हुए बीमारी का बहाना करना मिसकण्डक्ट है। अब यह देखना है कि श्री सिंह बीमारी का बहाना कर रहे थे या नही।

37 कोलियरी कम्पनी की तरफ से दो तरह के सबूत दिये गये हैं। एक यह है कि श्री सिंह बहाना कर रहे थे और दूसरा यह है कि बहाना इससे भी साबित है कि वह कतरास और धनबाद इत्यादि जगहो मे सैर-सपाटा कर रहे थे जो कि बीमार होने के अनुकूल बात नही होगी। पहली बात का सबूत श्री तारांचन्द और डॉ० सेन ने दिया है। दूसरी बात का सबूत श्री एस० एन० मण्डल, जगदीश चन्द्र, जोगेश्वर सिंह, महेन्द्र प्रसाद साह और जगन्नाथ महतो ने दिया है।

38. मैं पहले पहली सबूत का तजकरा करूगा। श्री तारांचन्द ने जो ऊपर कोलियरी कम्पनी के पत्रो का हवाला दिया गया है उनका समर्थन किया है और यह कहा है कि बावजूद लिखने के भी श्री सिंह उनके सामने हाजिर नही हुये और न डाक्टरी सनद ले आये जिसके आधार पर वह उनको केन्द्रीय अस्पताल भेज सकते। उन्होने यह भी कहा है कि श्री सिंह का यह कथन कि डॉ० सेन को इलाज करने से रोक दिया गया, बिलकुल असत्य है। उन्होने यह भी कहा है कि कोलियरी कम्पनी के नियमो के अन्तर्गत प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराना वर्जित है। जिरह मे उन्होने यह कहा है कि जब कोई श्रमिक बीमार पडता है तो उसको कम्पनी से एक परचा लेना पडता है और उस परचे के साथ उसको कम्पनी के डाक्टर के पास जाना पड़ता है और यदि वह खुद कोलियरी मे उपस्थित न हो तो प्रबन्धक ऐसा परचा देते है यदि प्रबन्धक भी उपस्थित न हो तो श्री देशराज नागपाल परचा देते है। उन्होने इस बात को स्वीकार किया है कि 5 जनवरी, 1971 को श्री बैजनाथ सिंह छुट्टी का दर्खास्त लेकर आए थे और उन्होने उनसे यह कहा कि वह श्री सिंह को लेकर डाक्टर सेन के पास जाये। मेरी राय मे कोई वजह नही मालूम होती कि श्री तारांचन्द निवेशक की बात क्यो न मानी जाये। स्टैडिंग आर्डर के पैरा 10(सी) मे यह लिखा है कि यदि कोई श्रमिक बीमारी के कारण छुट्टी चाहता है तो उसको कोलियरी के डाक्टर का बीमारी का सर्टीफिकेट देना पड़ेगा और यदि श्री तारांचन्द ने श्री बैजनाथ सिंह ने यह कहा कि वह श्री सिंह को लेकर डॉ० सेन के पास जाये तो इसमे कोई दुसम्भव बात नही होगी क्योकि स्टैडिंग आर्डर मे ऐसा ही नियम है और कोलियरी के डाक्टर सेन साहब थे अन्य कोई नही। ऊपर लिखा जा चुका है कि डाक्टर सेन ने 2 जनवरी, 1971 को कालिक पेन नही पाया और दवा भी श्री सिंह के जिद्द पर दिया था। ऊपर यह भी लिखा जा चुका है कि डॉ० सेन साहब ने कम्पनी को पहले ही लिख रखा था कि श्री सिंह काम करने के लायक है। फिर ऐसी सूरत मे श्री तारांचन्द छुट्टी कैसे मजूर कर देते। उनका कहना सही मालूम होता है कि उन्होने श्री बैजनाथ सिंह से कहा कि वह श्री सिंह को लेकर डा० सेन साहब के पास ले जाये। डॉ० सेन ने यह कहा है कि श्री सिंह उनके पास 2 जनवरी, 1971 को आए और यह कहा कि उनको बदहजमी है और दवा चाहिए और उन्होने उनको कारमिनेटिव मिक्सचर दिया और लिखित प्रेसक्रिप्सन भी दिया। उन्होने यह भी कहा है कि श्री सिंह काम करने लायक थे। उन्होने यह भी कहा है कि लगभग 7 जनवरी, 1971 को श्री सिंह उनको कतरास बाजार मे मिल गये और यह कहा कि उनके पेट मे अभी भी तकलीफ है और तब उन्होने उनसे यह कहा कि वह कम्पनी से इलाज के लिए परचा लाये लेकिन श्री सिंह उसके बाद उनसे नही मिले। उन्होने यह भी कहा है कि कालिक पेन मे कोई काम नही कर सकता लेकिन कालिक पेन कुछ घन्टो से लेकर 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। जिरह मे उन्होने यह कहा है कि 2 जनवरी, 1971 को उन्होने श्री सिंह के पेट मे केवल कुछ गैस का होना पाया था जिसके लिए उन्होने दो दिन की दवा दे दी थी। उन्होने यह भी कहा कि यह गलत है कि श्री बैजनाथ सिंह दोबारा दवा के लिए उनके पास 4 जनवरी को आये थे। उन्होने यह भी कहा है कि जो दवा उन्होने श्री सिंह को दी थी वह कालिक पेन के लिए नही थी। श्री सिंह के गवाह श्री पी० के० राय ने कहा है कि श्री सिंह 2 जनवरी से 28 जनवरी, 1971 तक बीमार रहे और उनके पेट मे बहुत दर्द था और वह उनको लेकर डॉ० सेन और डॉ० रे के पास जाया करते थे। लगभग ऐसा बयान श्री जमूना सिंह, एस० एन० गोरी ने भी दिया है। श्री जमूना सिंह भी कहते है कि वह श्री सिंह को लेकर डॉ० रे के पास जाते थे। श्री एस० एन० गोरी ने कहा है कि श्री सिंह बीमारी की हालत मे उन्ही के घर रहते थे और डॉ० सेन के बाद उन्होने अपना इलाज डॉ० रे से कराया। उन्होने यह भी कहा है कि बीमारी के काल मे वह और श्री बैजनाथ सिंह इत्यादि श्री सिंह की देखभाल करते थे। श्री सिंह ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि वह 2 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक बीमार रहे। वह डॉ० सेन के पास गये और उन्होने दो दिन की दवा उनको दी और कहा कि 4 जनवरी को वह फिर आये। श्री सिंह 4 जनवरी को फिर उनके पास गये और तब डॉ० सेन साहब ने उनसे यह कहा कि बिना कम्पनी के परचे के वह दवा नही देगे। तब श्री सिंह ने श्री बैजनाथ सिंह को आवेदन पत्र और परचे के साथ कोलियरी भेजा और श्री बैजनाथ सिंह ने लौटकर कहा कि श्री तारांचन्द कोलियरी मे उपस्थित नही है और चूंकि उनके पेट मे बहुत दर्द था इस कारण वह डॉ० राय साहब के पास चले गये। 5 जनवरी को उन्होने श्री बैजनाथ सिंह को फिर श्री तारांचन्द के पास भेजा परन्तु श्री बैजनाथ सिंह ने लौटकर बताया कि मैनेजर साहब ने आवेदन पत्र और परचा दोनो फैंक दिया और बेइज्जत करके उनको निकाल दिया और इसके बारे मे श्री बैजनाथ सिंह ने पुलिस मे शिकायत भेजी। उन्होने यह भी कहा है कि डॉ० सेन ने झूठी गवाही दी है। मैने श्री सिंह और उनके गवाहो के बयानो पर भरपूर विचार किया परन्तु मै इस नतीजे पर पहुचा हू कि हो सकता है कि श्री सिंह को 2 जनवरी, 1971 को बदहजमी हो गयी हो। कम्पनी ने उनको डा० सेन साहब के पास इलाज के लिए उस दिन भेजा। श्री तारांचन्द को यह बात खुद स्वीकार है। डॉ० सेन साहब ने खुद कहा है कि श्री सिंह उनके पास आए और उन्होने कालिक पेन तो नही पाया परन्तु पेट मे गैस होना पाया और बदहजमी के लिए उन्होने दो दिन की दवा भी दी। इस वजह से यह मालूम होता है कि श्री सिंह 2 और 3 जनवरी को कुछ अस्वस्थ जरूर थे और यदि इस कारण वह अपने काम पर नही गये तो उन्होने कोई गलत काम नही किया। इसके खिलाफ कम्पनी ने गलत काम किया कि उसने उनको दो दिन की भी छुट्टी नही दी। अब यह देखना है कि 4 जनवरी से 28 जनवरी, 1971 तक श्री सिंह बीमार थे या बीमारी का बहाना कर रहे थे। यह कहते है कि उनके पास डॉ० राय का प्रेसक्रिप्सन था। वह कहते है कि उनके पास दवा खरीदने की रसीदे थी परन्तु उन्होने न प्रेसक्रिप्सन दाखिल किया न रसीदें। करीब-करीब 24-25 दिन तक वह राय साहब के इलाज मे रहे परन्तु उन्होने राय साहब का पेश नही किया। उनको मालूम होना चाहिए था कि उनके विरुद्ध एक गम्भीर आरोप है जिसके साबित होने पर वह नौकरी से निकाल दिये जा सकते है फिर भी उन्होने कागजी सबूत जो उनके पास है दाखिल नही किया और जबानी सबूत पर भरोसा किया। उन्होने जिससे इलाज कराया उसका भी पेश नही किया। यह जानते थे कि डॉ० सेन साहब रिपोर्ट कर चुके है कि वह नौकरी पर आने के काबिल है। कम्पनी उनसे बार-बार कह रही थी कि वह मेडिकल सर्टीफिकेट भेजे परन्तु उन्होने 29 जनवरी के बाद डा० राय का सर्टीफिकेट भेजा। कम्पनी अपने परचे पर उनका इलाज सरकारी डाक्टर

से कराना चाहती थी परन्तु श्री सिंह ने इन्कार कर दिया। कम्पनी अपने खर्चे पर उनको केन्द्रीय सरकार के अस्पताल में भेजना चाहती थी परन्तु श्री सिंह इस पर भी राजी नहीं हुए। सत्य यह मालूम होता है कि आरोप पत्र मिल जाने के बाद और यह जान लेने के बाद कि वह उस आरोप के साबित हो जाने पर पदच्युत किये जा सकते है वह उस मुकाबले से बराबर भागते रहे जिससे असलियत जाहिर हो जाती। क्या बात है अपना जाती खर्चा करने पर तैयार थे परन्तु कम्पनी के खर्चे पर सरकारी डाक्टर से इलाज नहीं कराना चाहते थे। बदहजमी एक या दो दिन में ठीक हो जाती है और करीब करीब पूरा महीना नहीं लगता। डा० सेन साहब ने कहा है कि कालिक पेन भी हद से हद 4/5 दिन में ठीक हो जाता है। अतः मेरी राय में यह साबित है कि 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी, 1971 तक श्री सिंह बीमार नहीं थे और बीमारी का बहाना कर रहे है।

39 श्री ताराचन्द ने कहा है कि उन्होंने ए० एल० सी० साहब को फोन पर 4 जनवरी, 1971 को यह कहते पाया कि श्री सिंह धनबाद मे उनके दफ्तर में मौजूद है और कम्पनी की शिकायत कर रहे है और इस शिकायत के सुलझाने के लिए श्री ताराचन्द उनसे 5 जनवरी, 1971 को मिले। श्री एम० एन० मंडल ने यह कहा है कि वह 2 जनवरी, 4 जनवरी 5 जनवरी और 6 जनवरी को खत लेकर श्री सिंह के निवास स्थान पर गये परन्तु उन्होंने उनको बराबर गैरहाजिर पाया और उनके घर पर ताला लगा पाया। श्री जगदीश चन्द्र ने कहा कि उन्होंने श्री सिंह के पचगढी बाजार में 24 जनवरी को पाया था। श्री योगेश्वर सिंह ने उनको 14 जनवरी को बाजार में देखा था। श्री महेन्द्र प्रसाद साहू ने उनको धनबाद में 4 जनवरी को देखा था। श्री जगन्नाथ महतो ने भी उस दिन उनको वहां देखा था। न्यायाधिकरण के सामने श्री महेन्द्र प्रसाद और जगन्नाथ अपने पुराने बयानों से पलट गये और यह कहा कि श्री सिंह को घूमते हुए कहीं नहीं पाया था और जांच अधिकारी के सामने उन्होंने झूठा बयान कम्पनी के मजबूर करने की वजह से दिया था। श्री पी० के० राय, यमुना सिंह, एस० एन० गोरी और रमा कान्त ने श्री सिंह की ओर से गवाही दी और कहा कि वह इतना बीमार थे कि कहीं आ जा नहीं सकते थे। मै इन चारों गवाहों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये चारों श्री सिंह के घनिष्ट साथी है। श्री पी० के० राय श्री सिंह के साथ ही रहते थे। कम्पनी से वह बरखास्त हो चुके थे। यमुना सिंह भी कम्पनी से बरखास्त हो चुके थे और उन्होंने श्रम न्यायालय में कम्पनी के खिलाफ दावा भी कर दिया था। श्री एस० एन० गोरी श्री सिंह के मकान मालिक थे वे भी कम्पनी से निकाल दिये गये थे। उन्होंने भी कम्पनी के खिलाफ दावा किया था। श्री सिंह ने इनकार किया है कि वे कभी धनबाद गये। चूंकि मै ऊपर कह चुका हूं। बीमार नहीं थे और सिर्फ बीमारी का बहाना कर रहे थे इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वो इतना बीमार थे कि कहीं आ जा नहीं सकते थे। कोई वजह नहीं है कि मैं यह मान लूं कि श्री सिंह बाहर नहीं गये। इस काल में उन्होंने लेबर कोर्ट के दावे लिखे और कोई अचम्भे की बात नहीं की यदि उन दावों के साथ धनबाद गये थे।

40. श्री सिंह का यह कहना है कि उन्होंने कोलियरी कम्पनी में श्रमिको का एक दूसरा संगठन स्थापित किया और उसके सदस्य बनाये। उनका यह भी कहना है कि जो मान्यताप्राप्त श्रमिकों का युनियन था वह महज मालिकों की एक कठपुतली थी। इस कारण कोलियरी कम्पनी उनसे नाराज थी और मजदूर संघ को तोड़ने के लिए एक के बाद दूसरा आरोप पत्र लगाया जो उनको विक्टीमाइज करने के लिए था और जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस था। अतः सब आरोप झूठे मानें जाये। यह सही है कि मजदूर संघ के बनाने मे श्री सिंह का काफी योगदान था और यह भी सही है कि वे इस संघ के उप सभिव थे। परन्तु किसी श्रमिक संघ के नेता को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता कि वह जिस औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी हो उसी संस्थान के नियमों की अवहेलना करे और यदि वह अवहेलना करते हैं तो प्रबन्धकों के खिलाफ यह शिकायत नहीं की जा सकती की उस अवहेलना के लिए दंडित करने पर वे प्रबन्ध अनफेयर लेबर प्रेक्टिस का प्रयोग करते है।

41. ऊपर देखा जा चुका है कि श्री सिंह ने दो कार्य ऐसे किए जो मिसकन्डक्ट के परिभाषा के अन्तर्गत है। अतः मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि प्रथम जांच का पहला आरोप और दूसरी जांच का दूसरा आरोप साबित है।

42. कोलियरी कम्पनी में इन दोनो आरोपो के साबित होने के आधार पर उनको पदच्युत कर दिया। सवाल यह है कि पदच्युत की सजा मुनासिब है अथवा नहीं। कुल मिलाकर सात आरोप लगाये गये थे। दूसरी जांच का पहला आरोप बिलकुल झूठा था। पहली जांच का आरोप संख्या दो, तीन, चार और पांच स्टैन्डों के अन्तर्गत आरोप नहीं बनते थे। दूसरी जांच के दूसरे आरोप में भी कोलियरी कम्पनी और श्री सिंह दोनो किसी हद तक गलती पर थे। श्री सिंह दो और तीन जनवरी को अवश्य अस्वस्थ थे फिर भी कोलियरी कम्पनी ने इन दो दिनों की भी छुट्टी नहीं दी और यहां कम्पनी ने गलती की। चार जनवरी से 28 जनवरी तक श्री सिंह बीमार नहीं थे परन्तु बीमारी का बहाना करते रहे, अतः इस काल में वह गलती कर रहे थे। सात आरोपो मे से पांच साबित नहीं पाये गये है और उस आधार पर कम्पनी गलती पर थी। दो आरोपो में एक मे श्री सिंह बिलकुल गलती पर थे और दूसरे में कुछ हद तक कम्पनी गलती पर थी और कुछ हद तक वह। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि पदच्युत की सजा मुनासिब नहीं थी।

43. साधारणतः जब पदच्युत गलत पाया जाता है तो बहाली का हुक्म दिया जाता है परन्तु मैं बहाली करने का निर्णय नहीं दे सकता। कोलियरी कम्पनी पर कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम पहली मई सन् 1973 से लागू हो गया और कोलियरी कम्पनी का वजूद खतम हो गया और उसका स्वामित्व, अधिकार और सम्पदा भारत सरकार में निहित हो गयी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोलियरी कम्पनी के पास कोलियरी अब है ही नहीं। उसके पास ओवरमैन का कोई पद भी नहीं है जिस पर श्री सिंह की बहाली की जाय अतः बहाली करने का आदेश देना कोई माने नहीं रखता है और न ऐसा आदेश अब दिया जा सकता है।

44. 2 मार्च सन् 1971 को श्री सिंह पदच्युत किये गए थे। कोलियरी कम्पनी का प्रबन्ध कोल माइन्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) ओरडीनेंस के प्रख्यापन 31 जनवरी सन् 1973 के बाद भारत सरकार के पास आ गया और बी० सी० सी० एल० 7 फरवरी 1973 से उसका प्रबन्धक हो गया। 2 मार्च 1971 से लेकर 30 अप्रैल 1971 तक के काल में भारत सरकार या बी० सी० सी० एल० की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी है तो कोलियरी कम्पनी की। मुनासिब यह मालूम होता है कि कोलियरी कम्पनी श्री सिंह को कोई वेतन या भत्ता 18 नवम्बर सन् 1970 से लेकर 8 दिसम्बर सन् 1970 तक न दें क्योंकि श्री सिंह नाजायज तरीके पर गैरहाजिर रहे। इसी तरीके से कोलियरी कम्पनी कोई वेतन या भत्ता श्री सिंह को 4 जनवरी सन् 1971 से 28 जनवरी सन् 1971 तक नहीं देगी।

45. अब सवाल यह है कि दो मार्च 1971 से लेकर 30 अप्रैल, 1971 तक के वेतन और भत्ते की जिम्मेदारी कोलियरी कम्पनी पर है या नहीं। कोलियरी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह बहस की कि श्रमिक को साबित करना पड़ता है कि पदच्युत के बाद उसने भरसक कोशिश की कि उसको रोजी मिल जाय और यदि उसने कोशिश नहीं की तो उसको वेतन और भत्ता नहीं मिल सकता। उन्होंने यह भी बहस की कि यदि ऐसे श्रमिक को रोजी मिल गई मगर कम वेतन पर तो उसको

जितने का घाटा हुआ उतनी ही रकम दिलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बहस की कि इन सब बातों के साबित करने का भार श्रमिक पर है। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में मल्लिक डेयरी फार्म बनाम उनके श्रमिक 1968(17) एफ० एल० आर० और राकेश्वर दयाल बनाम श्रम न्यायालय, 1962(1) एल०एल०जे०-5 पर भरोसा किया। इन दोनों फैसले से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यदि श्रमिक इन बातो को साबित न करें तो उसको कोई सहायता दी ही नही जा सकती। राकेश्वर दायल वाले केस में आधी मजदूरी दिलाई गई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बहाल रखा। मालिक डेयरी वाले केस में श्रम न्यायालय के पास इस बात के निर्णय देने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय ने मुकदमा वापस कर दिया कि श्रमिक रोजी पर था या नही। यूनाइटेड क्लीनर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रम न्यायालय 1964(2) एल-एल-जे-156 में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रबन्धक को यह साबित करना पड़ता है कि श्रमिक को रोजी मिल गई थी। उच्चतम न्यायालय का इस विषय पर कोई भी निर्णय नही दिखलाया गया और न मुझे मालुम है। सबूत मेरे सामने सिर्फ यह है कि 7 फरवरी 1973 से बी० सी० सी० एल० ने श्री सिंह को बहाल कर लिया था और ज्यादा वेतन पर। जब श्री सिंह पदच्युत हुए थे तो उनका बेसिक वेतन 305/- रुपया था। उनको बी० सी० सी० एल० न 500/- रुपया के बेसिक वेतन पर बहाल किया। ऐसा श्री सिंह के बयान मे है। श्री जगन्नाथ महतो ने बयान दिया कि जब से कोलियरी कम्पनी का प्रबन्ध बी० सी० सी० एल० ने ले लिया उसी दिन से श्री सिंह को रोजी दे दी गई थी। श्री सिंह महज दो मार्च सन् 1971 से 7 फरवरी सन् 1973 तक के काल की सहायता पा सकते हैं। इस काल में उनको रोजी मिली या नही और उन्होंने रोजी मिलने का कोई प्रयत्न किया कि नहीं कोई सबूत मेरे सामने नही है। मेरी राय में आधा आधा कोलियरी कम्पनी और श्री सिंह को फायदा मिलना चाहिए।

46. मेरा एवार्ड यह है कि कोलियरी कम्पनी में पदच्युत करने में गलती की परन्तु श्री सिंह की बहाली नहीं करनी होगी। मेरा एवार्ड यह भी है कि श्री सिंह को कोई वेतन या भत्ता 18 नवम्बर सन् 1970 से लेकर 8 दिसम्बर सन् 1970 तक और 4 जनवरी सन् 1971 से 28 जनवरी सन् 1971 तक नही दिया जायेगा। 2 मार्च सन् 1971 से लेकर 7 फरवरी 1973 तक कोलियरी कम्पनी श्री सिंह को उनके वेतन और महंगाई भत्ता की आधी रकम देगी।

कुंज बिहारी श्रीवास्तव, पीठासीन पदाधिकारी

[नं० एल० 2012/185/71-एल०आर० II/डी०IIIA]

S. H. S. Iyer, Desk Officer

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1976

का. आ. 3384.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री के. वी. टॉमस, एडवोकेट, विराजपेट, करनाटका ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, विराजपेट और/अथवा कूरग में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[संख्या 22/35/76-न्याय]

आर. वासुदेवन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 9th September, 1976

S.O. 3384.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. V. Thomas, Advocate, Virajpet, Karnataka for appointment as a Notary to practise in Virajpet and/or Coorg Districts.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/35/76-Jus.]

R. VASUDEVAN, Competent Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.